खण्ड–24, अंक–05
शुक्रवार, 28 अग्रहायण, शक संवत्, 1930
(19 दिसम्बर, 2008 ई0)

उत्तराखण्ड विधान सभा

की

कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)

(द्वितीय विधान सभा)
(तृतीय सत्र, 2008)

उत्तराखण्ड विधान सभा

(खण्ड 24 में 06 अंक हैं)

उत्तराखण्ड विधान सभा, सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की, उत्तराखण्ड (भारत)
2013

मूल्य–

विषय सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थिति	"क"
नियम–310 के अन्तर्गत दी गई सूचनाओं के विषयों पर चर्चा किये जाने की मांग	1–7
प्रश्नोत्तर	8–27
नियम–300 के अन्तर्गत सूचनाएं	27–29
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान काण्डा, जनपद बागेश्वर में प्रधानाचार्य, कनिष्ठ सहायक, भण्डारी, अनुदेशकों के रिक्त पद भरे जाने व मोटर मैकेनिक, वैल्डर, कम्प्यूटर प्रशिक्षण, कारपेंटर, इलैक्ट्रिशियन/वायरमैन ट्रेडों को स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	29–30
जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत विकास खण्ड एकेश्वर के ग्राम पंचूर के डांडा नामक स्थान में मिनी स्टेडियम बनाने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	30
जनपद देहरादून में हरिद्वार विकास क्षेत्र में पड़ने वाले क्षेत्र हरिपुरकलां में 'महायोजना प्रारूप' लागू करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	30
उत्तराखण्ड राज्य में जनप्रतिनिधियों को अधिकारियों द्वारा प्रोटोकाल के अनुरूप सम्मान न दिये जाने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	31
जनपद टिहरी गढ़वाल में राष्ट्रीय ग्रामीण योजना के अन्तर्गत कार्य कर रहे 232 प्रशासनिक सहायकों को प्रशासन द्वारा हटाये जाने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	31
राज्य अनुसंधान एवं शैक्षिक परिषद् में उच्चाधिकारियों के पदस्थापना न होने एवं अनुसंधान के समस्त कार्य ठप्प होने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	32

विषय	पृष्ठ संख्या

ग्राम सभा भैंसक व गाँव आगर को भू–स्खलन से प्रभावित होने के कारण पूर्णरूप से अन्यत्र पुनर्वासित किये जाने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना 32–33

जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड जौनपुर अन्तर्गत वन विभाग अधीनस्थ घनौल्टी, नागटिब्बा जीप मार्ग को लो0नि0वि0 को हस्तांतरित करते हुए मोटर मार्ग में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना 33

विधान सभा क्षेत्र भिकियासैंण में जीर्ण–शीर्ण विद्यालय भवनों व इसके परिणाम स्वरूप इनके दुर्घटनाग्रस्त होने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना 34

जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड एकेश्वर के पट्टी मवालस्यूं के अन्तर्गत प्राचीन शिव मंदिर मरड़ा के जीर्णोद्धार एवं सौन्दर्यीकरण के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना 34

कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं 35–64

विधान सभा की समितियों के गठन हेतु माननीय अध्यक्ष को प्राधिकृत किये जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत) 64–65

उत्तराखण्ड माल के स्थानीय क्षेत्रों में प्रवेश पर कर विधेयक, 2008 (पारित) 65–93

सैनिक स्कूल घोड़ाखाल जिला नैनीताल में उत्तराखण्ड का कोटा दुगुना किये जाने के सम्बन्ध में संकल्प (चर्चा जारी) 93

नियम–53 के अन्तर्गत सूचनाएं 93–94

नत्थी 95–101

"क"

उपस्थिति

1–श्री अजय टम्टा
2–श्री अरविन्द पाण्डे
3–श्री अनिल नौटियाल
4–श्रीमती अमृता रावत
5–श्रीमती आशा
6–श्री ओम गोपाल
7–श्री करन मेहरा
8–सुश्री कैरन मेयर
9–श्री किशोर उपाध्याय
10–श्री केदार सिंह रावत
11–श्री खजान दास
12–श्री खड़क सिंह बोहरा
13–श्री गगन सिंह
14–श्री गणेश जोशी
15–श्री गोपाल सिंह राणा
16–श्री गोपाल सिंह रावत
17–श्री गोविन्द लाल
18–श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल
19–श्री गोविन्द सिंह बिष्ट
20–श्री चन्दन राम दास
21–श्री जोगा राम टम्टा
22–श्री जोत सिंह गुनसोला
23–श्री तिलक राज बेहड़
24–श्री दिनेश अग्रवाल
25–श्री दिवाकर भट्ट
26–श्री दिवान सिंह
27–श्री नारायण पाल
28–काजी मौ0 निजामुद्दीन
29–श्री पुष्पेश त्रिपाठी
30–श्री प्रकाश पन्त
31–कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"
32–श्री प्रीतम सिंह
33–श्री प्रेम चन्द अग्रवाल
34–श्री प्रेमानन्द महाजन
35–श्री बलवन्त सिंह भौर्याल
36–श्री बलवीर सिंह नेगी
37–श्री बिशन सिंह चुफाल
38–श्री बंशीधर भगत
39–श्री बृज मोहन कोटवाल
40–श्री मदन कौशिक
41–श्री मनोज तिवारी
42–श्री मयूख सिंह
43–श्री महेन्द्र सिंह माहरा "महू माई"
44–श्री मातबर सिंह कण्डारी
45–श्री मुन्ना सिंह चौहान
46–श्री यशपाल बेनाम
47–चौ0 यशवीर सिंह
48–श्री रणजीत रावत
49–डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"
50–श्री राजकुमार
51–श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी
52–श्रीमती विजय बड़थ्वाल
53–श्री विजय सिंह (गुड्डू पंवार)
54–श्रीमती वीना महराना
55–श्री शहजाद
56–श्री शैलेन्द्र सिंह रावत
57–श्री सुरेन्द्र सिंह जीना
58–श्री सुरेश चन्द जैन
59–डा0 हरक सिंह रावत
60–श्री हरभजन सिंह चीमा
61–श्री हरिदास
62–श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत

शुक्रवार, दिनांक 19 दिसम्बर, 2008 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, देहरादून में दिन के 11.00 बजे अध्यक्ष श्री हरबंस कपूर के सभापतित्व में आरम्भ हुई।)

नियम-310 के अन्तर्गत दी गई सूचनाओं के विषय पर चर्चा किये जाने की मांग

श्री अध्यक्ष-

कृपया आसन ग्रहण करें।

नेता प्रतिपक्ष (डा0 हरक सिंह रावत)-

माननीय अध्यक्ष जी, हमारी नियम-310 के अन्तर्गत एक सूचना है। .....

(माननीय नेता प्रतिपक्ष को छोड़कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्य 'वेल' में आ गये और अपनी-अपनी बात कहने लगे, जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

आज नियम-310 के अन्तर्गत पहली सूचना डा0 हरक सिंह रावत तथा श्री राजेश जुवांठा की प्राप्त हुई है, जो गढ़वाल विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिये जाने के बाद वहां कार्यरत संविदा शिक्षकों की समस्याओं के सम्बन्ध में है।

डा0 हरक सिंह रावत-

माननीय अध्यक्ष जी, वह युवतियां 2 साल से धरने पर बैठी हैं, सरकार द्वारा उनकी आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, सरकार ने एक तरफ कल सदन में बयान दिया है और दूसरी ओर उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है।

('वेल' में खड़े माननीय सदस्यगण पूर्ववत् अपनी-अपनी बात कहते रहे और नारे लगाने लगे।)

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

कृपया आप लोग अपने स्थान पर जायें।

('वेल' में खड़े माननीय सदस्यगण पूर्ववत् अपनी-अपनी बात कहते रहे और नारे लगाते रहे।)

श्री अध्यक्ष-

माननीय नेता प्रतिपक्ष, कृपया अपने सदस्यों को अपने-अपने स्थान पर जाने के लिए कहें, सदन को व्यवस्थित करने में सहयोग प्रदान करें।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, एक तरफ तो उनको रोजगार से वंचित किया जा रहा है और दूसरी ओर उनके ऊपर मुकदमें दर्ज कराये जा रहे हैं। वे लोग पुनः आत्महत्या कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष–

जब तक माननीय सदस्यगण अपनी–अपने स्थान पर नहीं जायेंगे, तब तक उनकी किसी बात का संज्ञान नहीं लिया जायेगा।

('वेल' में खड़े माननीय सदस्यगण पूर्ववत् अपनी–अपनी बात कहते रहे और नारे लगाते रहे।)

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

जब तक माननीय सदस्यगण अपने स्थान पर नहीं जायेंगे तो आपकी बात कैसे आ पायेगी। आप लोग कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, यह सरकार हत्यारी है, यह हमारे शिक्षा मित्रों की, हमारे प्रदेश के युवाओं की हत्या करवाना चाहती है। इसलिए इस सरकार को हमने जनरल डायर की की सरकार की संज्ञा दी है।

('वेल' में खड़े माननीय सदस्यगण पूर्ववत् अपनी–अपनी बात कहते रहे और नारे लगाते रहे।)

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

जब तक माननीय सदस्यगण अपने स्थान पर नहीं जाते तब तक उनकी किसी बात का संज्ञान नहीं लिया जायेगा।

(माननीय नेता प्रतिपक्ष अपने स्थान पर खड़े होकर नारे लगाने लगे तथा 'वेल' में खड़े माननीय सदस्यगण पूर्ववत् अपनी–अपनी बात कहते रहे और नारे लगाते रहे।)

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–310 के अन्तर्गत पहली सूचना डा0 हरक सिंह रावत तथा श्री राजेश जुवांठा की प्राप्त हुई है, जो गढ़वाल विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिये जाने के बाद वहाँ कार्यरत संविदा शिक्षकों की समस्याओं के सम्बन्ध में है। यह विषय नियम–310 के अन्तर्गत सुने जाने के योग्य नहीं है, मैं इसे नियम–58 के अन्तर्गत

ग्राह्यता पर सुन लूँगा। दूसरी सूचना श्री मनोज तिवारी, श्री करन मेहरा, श्री किशोर उपाध्याय तथा श्री रणजीत सिंह रावत की है, जो सरकार द्वारा जियोग्राफिकल इन्फोरमेशन सिस्टम कम्प्यूटर प्रणाली के क्रय में कथित वित्तीय अनियमितताओं के सम्बन्ध में है, इस सूचना में प्रकरण के निश्चित समय का उल्लेख नहीं है, किन्तु मैं इसे भी नियम–58 में सुन लूँगा।

तीसरी सूचना माननीय सदस्य श्री जोत सिंह गुनसोला की है, जो दून विश्वविद्यालय में भवनों के निर्माण में हो रहे विलम्ब तथा कुलपति की नियुक्ति आदि के सम्बन्ध में है, मैं इसे भी नियम–310 में उठाने की अनुमति नहीं दे रहा हूँ। चौथी सूचना श्री नारायण पाल तथा श्री प्रेमानन्द महाजन की है, जो प्रदेश में बेरोजगारी के विषय में है। मैं इसे भी नियम–310 में उठाने की अनुमति नहीं दे रहा हूँ।

पाँचवीं सूचना श्री नारायण पाल तथा श्री प्रेमानन्द महाजन की है, जो मण्डी परिषद्, उत्तराखण्ड द्वारा विधान सभा क्षेत्र पन्तनगर–गदरपुर के अधूरे सड़क निर्माण के सम्बन्ध में है, मैं इसे नियम–310 में उठाने की अनुमति नहीं दे रहा हूँ। माननीय सदस्य इस सूचना को अन्य नियम में उठा लें। छठी सूचना डा0 हरक सिंह रावत तथा श्री केदार सिंह रावत की है, जो एन0टी0टी0 प्रशिक्षितों के सम्बन्ध में है। इस पर सदन में पहले ही पीठ से निर्णय आ चुका है। सरकार इनकी समस्याओं पर विचार कर ले। मैं इसे नियम–310 मे पुनरावृत्ति के आधार पर पुनः उठाने की अनुमति नहीं दे रहा हूँ।

(माननीय नेता प्रतिपक्ष को छोड़कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी एवं बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्यगण 'वेल' में खड़े होकर पूर्ववत् नारे लगाते रहे।)

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्यगण कृपया अपने स्थान पर जाएं। (व्यवधान) मेरा विनिश्चय आ चुका है, पीठ का विनिश्चय आ चुका है।

(घोर व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, जिस तरह टीचर्स, लड़कियों पर मुकदमें दर्ज हुए हैं, अपनी वाजिब मांग को लेकर वे दो वर्षों से संघर्षरत हैं।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

जब तक माननीय सदस्य अपने स्थान पर नहीं जायेंगे, किसी बात का संज्ञान नहीं लिया जायेगा।

(घोर व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, उनकी जान की सुरक्षा के लिए तत्काल नियम–310 में सारी कार्यवाही को रोककर, उस पर चर्चा करायी जाय।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया अपने स्थान पर जाईये। माननीय नेता प्रतिपक्ष, मेरा विनिश्चय आ चुका है।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश में लगातार अराजकता बढ़ रही है। सरकार कभी शिक्षामित्रों पर लाठीचार्ज कराती है, कभी नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग की लड़कियों को आत्महत्या के लिए प्रेरित करती है। यह सरकार हत्यारी सरकार है।, माननीय अध्यक्ष जी, यह शिक्षकों, कर्मचारियों के साथ भेदभाव कर रही है, लाठी–डण्डे उनको दे रही है। माननीय अध्यक्ष जी, हमने उत्तराखण्ड इसलिए नहीं मांगा था कि इस प्रदेश के शिक्षकों को सड़कों पर सरकार लाठी–डण्डों से अपमानित करने का प्रयास करेगी। आज जिस तरह से सरकार भ्रष्टाचार में डूबी है, इसलिए मैंने आपसे निवेदन किया है, आपकी ओर पूरे प्रदेश की जनता की नजर है कि हमारे माननीय अध्यक्ष जी, आपकी ओर से इस प्रदेश की जनता को किस रूप में संरक्षण मिलता है।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

विनिश्चय आ चुका है, पीठ का विनिश्चय आ चुका है।

(घोर व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, हमने नियम के तहत उठाया है। कल आपने कहा था कि किसी के नाम का उल्लेख करना नियम विरूद्ध है। आज नियम के तहत उठाया गया है।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैं इसे नियम–58 में सुन लूँगा।

(घोर व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, जिस तरह यह राज्य सरकार भ्रष्टाचार में डूबी है, नियम–310 के तहत सारे नियमों को शिथिल करते हुए, इस पर चर्चा करायी जाय। (घोर व्यवधान) मान्यवर, जिस तरह का सरकार का बयान आया है।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कल बात आ चुकी है आपकी। कल इस पर विनिश्चय भी आ चुका है।

(घोर व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, जिस तरह का सरकार का पक्ष आया है, उस पर लड़कियां आत्महत्या के लिए उतावली हैं।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आपका विषय भी आ चुका है।

(घोर व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, उन लड़कियों के जीवन को सुरक्षित करने की जिम्मेदारी सरकार के ऊपर है।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आपका विषय आ चुका है इसके ऊपर और सरकार का पक्ष भी आ चुका है।

(घोर व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

आज परिस्थितियाँ बहुत विकट पैदा हो गयी हैं।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया अपने स्थान पर जाईये।

(माननीय नेता प्रतिपक्ष डा0 हरक सिंह रावत को छोड़कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सभी माननीय सदस्य तथा बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्य 'वेल' में पूर्ववत नारे लगाते रहे।) (घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

जब आप अपने स्थान पर जायेंगे तभी तो सरकार बतायेगी।

डा0 हरक सिंह रावत--

मान्यवर, जब सरकार का बयान इस तरह का आयेगा कि इस पर विचार ही नहीं किया जायेगा, इससे तो और स्थिति खराब हो गई है।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय नेता प्रतिपक्ष, आज शिक्षा से सम्बन्धित महत्वपूर्ण प्रश्न लगे हुए हैं।

डा0 हरक सिंह रावत--

माननीय अध्यक्ष जी, अखबारों में आज जिस तरह का बयान छपा है, उससे लड़कियाँ सूसाइट करने के लिए प्रेरित हुई हैं। इससे कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। आज सुबह से वे लड़कियाँ हमें टेलीफोन कर रही हैं और वह आज हमें मिलने के लिए आई और वह लड़कियाँ जिस तरह से भावुक थीं, वह कुछ भी कर सकती हैं। यह हमारी जिम्मेदारी है, सदन की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है। प्रदेश के हर नागरिक की सुरक्षा की हमारी जिम्मेदारी है।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्य, कृपया अपने स्थान पर जाइये। आज शिक्षा से सम्बन्धित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लगे हुए हैं।

डा0 हरक सिंह रावत--

माननीय अध्यक्ष जी, पानी आ जायेगा और सड़क बन जायेगी। जब इस प्रदेश के लोगों का जीवन ही सुरक्षित नहीं रहेगा तो हम सड़क और पानी का क्या करेंगे। (घोर व्यवधान)

(माननीय नेता प्रतिपक्ष डा0 हरक सिंह रावत को छोड़कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सभी माननीय सदस्य तथा बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्य 'वेल' में पूर्ववत् नारे लगाते रहे।) (घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, किसी के जीवन से ज्यादा महत्वपूर्ण न सड़क है, न पानी है, न स्कूल है। इसलिए आज सारे नियमों को शिथिल करते हुए, इस पर चर्चा कराई जाये।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें। मैं इसे नियम–58 में सुन रहा हूँ।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, आज इससे महत्वपूर्ण और कोई मामला नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन की कार्यवाही 11:30 बजे तक स्थगित करता हूँ।

मार्शल, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष जी ने सदन का स्थगन पूर्वाह्न 11:45 बजे तक के लिए बढ़ा दिया है।

मार्शल, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष जी ने सदन का स्थगन मध्याह्न 12:00 बजे तक के लिए बढ़ा दिया है।

मार्शल, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष जी ने सदन का स्थगन 12:20 बजे तक के लिए बढ़ा दिया है।

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

बी0टी0सी0 प्रवेश परीक्षा–2006 हेतु गठित जाँच आयोग की रिपोर्ट पर सरकार की कार्यवाही

*1–श्रीमती अमृता रावत–

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2006 के प्रथम बुधवार के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या 5 के उत्तर के संदर्भ में क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विधिक परीक्षण एवं राय प्राप्त करने की कार्यवाही के परिणाम क्या हैं तथा एडसिल पर मुकदमा दायर करने की दिशा में सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

शिक्षा मंत्री (श्री मदन कौशिक)–

बी0टी0सी0 प्रवेश परीक्षा–2006 के स्थगित होने हेतु गठित जाँच आयोग की रिपोर्ट दिनांक 23–05–2006 को प्राप्त होने के पश्चात विधिक परीक्षण एवं राय प्राप्त करने से यह तथ्य प्रकट हुआ कि, सेवा में कमी के आधार पर क्षतिपूर्ति की धनराशि की मांग एडसिल से की जा सकती है अथवा सक्षम अधिकारिता वाले उपभोक्ता फोरम को प्रतिवाद प्रस्तुत किया जा सकता है।

इस क्रम में, शिक्षा विभाग और एडसिल के अधिकारियों के मध्य दिनांक 01–11–2006 को समझौता होने के फलस्वरूप एडसिल को प्राप्त हुई कुल धनराशि रु0 1,02,42,451.00 में से रु0 94,17,974.00 की धनराशि शिक्षा विभाग को प्राप्त हो गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

शिक्षा विभाग में स्थानान्तरण नीति बनाने से पूर्व स्थानान्तरण एवं दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई

*2–श्री सुरेन्द्र राकेश–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि चालू वर्ष में स्थानान्तरण नीति बनाने से पूर्व स्थानान्तरण किये गये ?

यदि हाँ, तो स्थानान्तरण करने के क्या कारण हैं एवं इसके लिए कौन दोषी है?

क्या सरकार नियम विरूद्ध किये गये स्थानान्तरण रद्द कर दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी ?

यदि हाँ तो, कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

नोट– उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 2005 के नियम–43 के अन्तर्गत सभी प्रश्न उत्तरित माने गये।

श्री मदन कौशिक–

शासन के अनुमोदनोपरान्त 19 शिक्षकों के स्थानान्तरण किये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

शिक्षा विभाग द्वारा रेडक्रॉस की मद में वसूली गयी धनराशि रेडक्रॉस सोसाइटी को हस्तांतरित

*3–श्री किशोर उपाध्याय–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि शिक्षा विभाग द्वारा रेडक्रॉस की मद में वसूले गये रु0 11.5 करोड़ की राशि रेडक्रॉस सोसाइटी को हस्तांतरित कर दी गयी है ?

यदि हाँ, तो कब ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मदन कौशिक–

उत्तराखण्ड राज्य के गठन के उपरान्त विद्यालयी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राजकीय, अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल, हाई स्कूल तथा इण्टरमीडिएट कालेजों के कक्षा 6–12 में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं से रेडक्रॉस शुल्क रु0 15747593.00 (रु0 एक करोड़, सत्तावन लाख सैंतालीस हजार, पाँच सौ तिरानबे मात्र) संकलित कर रु0 3187637.00 (रु0 इकत्तीस लाख, सत्तासी हजार, छः सौ सैंतीस मात्र) रेडक्रॉस सोसाइटी को उपलब्ध कराया गया।

उत्तराखण्ड राज्य गठन के पश्चात् रेडक्रॉस सोसाइटी को उपलब्ध करायी गयी धनराशि का वर्षवार विवरण निम्नांकित है :–

(धनराशि रुपयों में)

नवम्बर, 2000 से नवम्बर, 2008 तक रेडक्रॉस मद की धनराशि का विवरण		
वर्ष	रेडक्रॉस मद में कुल प्राप्त धनराशि	रेडक्रॉस सोसाइटी को उपलब्ध करायी गयी धनराशि
1	2	3
नवम्बर, 2000 से मार्च/2001	328418.50	98440.00
2001–02	375125.60	141103.00

1	2	3
2002–03	521672.80	271564.00
2003–04	594524.00	381343.00
2004–05	2275252.00	259383.00
2005–06	3521017.00	622708.00
2006–07	2810567.00	621678.00
2007–08	3404560.00	589758.00
2008–09	1916456.90	201660.00
योग	15747593.80	3187637.00

प्रश्न ही नहीं उठता।

शिक्षकों से शैक्षिक कार्यों के अतिरिक्त लिये जाने वाले कार्यों की प्रकृति एवं सुधारात्मक उपाय

*4–श्री किशोर उपाध्याय–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि शिक्षा विभाग के शिक्षकों से शैक्षिक कार्यों को अतिरिक्त भी कार्य लिये जाते हैं ?

यदि हाँ, तो उनकी प्रकृति क्या है ?

क्या इससे शैक्षणिक कार्यों में व्यवधान होता है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार इस दिशा में कोई सुधारात्मक उपाय कर रही है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मदन कौशिक–

जी हाँ।

बेसिक शिक्षकों से, शिक्षण कार्य के अतिरिक्त अन्य कार्य यथा–निर्वाचन/मतगणना एवं राष्ट्रीय प्रतिरक्षा दिवस के रूप में पल्स पोलियो जैसे, राष्ट्रीय महत्व के कार्यक्रमों में सहयोग लिया जा रहा है।

जी हाँ।

यद्यपि पूर्व में शासनादेश दिनांक 05–02–2005 के द्वारा बेसिक शिक्षकों से शिक्षण कार्य के अतिरिक्त अन्य कार्य यथा–जनगणना, निर्वाचन/मतगणना, मतदाता सूची संशोधन, भवन एवं अन्य निर्माण कार्य, पल्स पोलियो, आर्थिक गणना, पशुगणना व भवन गणना से सम्बन्धित कार्य नहीं कराये जाने का निर्णय लिया गया था। लेकिन

तदोपरान्त निर्वाचन विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए निर्वाचन एवं पल्स पोलियो जैसे राष्ट्रीय कार्यक्रमों में शिक्षकों के सहयोग की अनुमति दी गयी।

इस सम्बन्ध में सुधारात्मक उपाय हेतु सभी स्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए विचार किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तराखण्ड में स्थापित उद्योगों द्वारा न्यूनतम वेतनमान का उल्लंघन कर मजदूरों के शोषण पर कार्रवाई

*5–श्री सुरेन्द्र राकेश–

क्या श्रम मंत्री अवगत हैं कि उत्तराखण्ड में स्थापित उद्योगों द्वारा न्यूनतम वेतनमान एवं फैक्ट्री कानून का उल्लंघन किया जा रहा है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार इस प्रकार के उद्योगों पर अंकुश लगाकर मजदूरों के शोषण को बन्द करेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रम, सेवायोजन एवं खेल मंत्री (श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी)–

कुछ कारखानों में कथित उल्लंघन की स्थिति पायी गयी है।

जी हाँ। जिन कारखानों द्वारा न्यूनतम वेतनमान एवं फैक्ट्री कानूनों का उल्लंघन किए जाने की स्थिति पायी गयी है, उनके विरूद्ध न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 तथा कारखाना अधिनियम, 1948 के तहत वैधानिक कार्रवाई की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में स्थापित उद्योगों के ठेकेदारी प्रथा के तहत श्रमिकों द्वारा कार्य तथा ठेकेदारी प्रथा बन्द करने पर विचार

*6–श्री प्रेमानन्द महाजन–

क्या श्रम मंत्री अवगत हैं कि प्रदेश में पुराने उद्योगों व वर्तमान में स्थापित हो रहे उद्योगों में ठेकेदारी प्रथा के तहत श्रमिकों से कार्य लिया जा रहा है ?

क्या ठेकेदारी प्रथा बन्द करने के सम्बन्ध में शासन द्वारा कोई विचार किया जा रहा है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी हाँ।

जी नहीं।

संविदा श्रम (विनियमन तथा उत्सादन) अधिनियम, 1970 के अन्तर्गत ठेका श्रमिक विनियमन सम्बन्धी प्राविधानों के संदर्भ में प्रश्न नहीं उठता।

*7–श्री सुरेन्द्र राकेश–

कुंवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"–विषय की पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त।

अतारांकित प्रश्न

जिला ऊधमसिंह नगर की जसपुर कताई मिल में निष्प्रयोजित भूमि पर स्टेडियम निर्माण

1–डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

क्या खेल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार द्वारा जसपुर जिला ऊधमसिंह नगर की कताई मिल में निष्प्रयोजित भूमि पर खेल स्टेडियम बनाने का विचार है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी नहीं। खेल विभाग द्वारा मुख्यतया जनपदीय मुख्यालय पर ही स्टेडियम निर्माण कराये जाने की योजना संचालित है।

प्रश्न नहीं उठता।

ऊधमसिंह नगर मुख्यालय तथा काशीपुर में खेल विभाग का स्टेडियम स्थापित एवं संचालित है।

जनपद ऊधमसिंह नगर अन्तर्गत नादेही चीनी मिल की परिवर्तनीय दरें

2–डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

क्या गन्ना मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद ऊधमसिंह नगर विधान सभा क्षेत्र जसपुर अन्तर्गत नादेही चीनी मिल द्वारा परिवर्तनीय दर (कन्वर्जन कॉस्ट) पूर्व वर्षों में क्या थी एवं वर्ष 2007–08 पिराई सत्र में क्या रही ?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष 2007–08 की परिवर्तनीय दर पूर्व वर्षों से ज्यादा है तो इसका क्या कारण है ?

सरकार इन कारणों पर क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री मदन कौशिक–

नादेही चीनी मिल की परिवर्तनीय दर (कन्वर्जन कॉस्ट) निम्नवत् है :–

क्र0सं0	वर्ष	रु0 प्रति कुन्तल
1	2001–2002	415.23
2	2002–2003	537.75
3	2003–2004	563.68
4	2004–2005	646.17
5	2005–2006	630.28
6	2006–2007	628.97
7	2007–2008	615.63

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पिथौरागढ़ के राजकीय बालिका इण्टर कालेज, नमजला, मुनस्यारी में जीव विज्ञान विषय की छात्राओं के बिना प्रवक्ता जीव विज्ञान की तैनाती का औचित्य

3–श्रीमती अमृता रावत–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ के राजकीय बालिका इण्टर कालेज नमजला, मुनस्यारी में जीव विज्ञान का पद कब सृजित किया गया और इण्टर मीडिएट कक्षाओं में जीव विज्ञान विषय पढ़ने वाली छात्राओं की सत्रवार संख्या क्या है ?

क्या यह भी सत्य है कि उक्त कालेज में प्रवक्ता (जीव विज्ञान) के पद पर वर्ष, 2005 से नियुक्ति/तैनाती की गई है ?

यदि हाँ, तो बिना जीव विज्ञान विषय की छात्राओं के इस विद्यालय में प्रवक्ता (जीव विज्ञान) की नियुक्ति/तैनाती का औचित्य क्या है ?

श्री मदन कौशिक–

जनपद पिथौरागढ़ के राजकीय बालिका इण्टर कालेज नमजला, मुनस्यारी में जीव विज्ञान का पद विद्यालय का उच्चीकरण होने की तिथि 07–09–1989 से सृजित किया गया है। वर्ष, 2005 में इस विद्यालय में अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, जीव विज्ञान, इतिहास एवं हिन्दी के पदों पर नवीन नियुक्ति द्वारा प्रवक्ताओं के पदों की पूर्ति की गयी। रसायन विज्ञान एवं भौतिक विज्ञान विषयों के प्रवक्ताओं की कमी के कारण इस विद्यालय में इन विषयों की प्रवक्ताओं की तैनाती नहीं की जा सकी। इस विद्यालय में मात्र जीव विज्ञान के प्रवक्ता होने एवं विज्ञान वर्ग के अन्य विषयों के अध्यापकों की कमी के कारण विद्यालय

की छात्राओं द्वारा निकटतम विद्यालयों में प्रवेश लिया गया, जिसके कारण इन विद्यालयों में प्रवेश लिया गया, जिसके कारण इस विद्यालय में इण्टर कक्षाओं में जीव विज्ञान में छात्राओं की संख्या शून्य रही।

जी हाँ।

विद्यालय में जीव विज्ञान विषय का पद सृजित होने पर प्रवक्ता जीव विज्ञान के पद पर नियुक्ति की गई। वर्तमान में प्रवक्ता जीव विज्ञान द्वारा इण्टर स्तर पर छात्र न होने के कारण हाई स्कूल स्तर पर शिक्षण कार्य किया जा रहा है।

जनपद पौड़ी के अन्तर्गत विद्यालयों का सुगम/दुर्गम क्षेत्रों का वर्गीकरण का आधार तथा नीति

4—श्रीमती अमृता रावत—

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत विद्यालयों का सुगम/दुर्गम क्षेत्रों का वर्गीकरण किस आधार और नीति के अन्तर्गत किया गया है और विद्यालयों का जनपद तथा विकास खण्ड मुख्यालय से दूरी सहित विवरण क्या है ?

क्या यह सत्य है कि सुगम एवं दुर्गम क्षेत्रों में विद्यालयों के वर्गीकरण करने में भारी अनियमितताएं की गई हैं और दुर्गम क्षेत्रों में स्थित अनेक विद्यालयों को सुगम क्षेत्रों में दिखाया गया है ?

यदि हाँ, तो इसका कारण और औचित्य क्या है तथा सुगम एवं दुर्गम क्षेत्रों में दिखाए गए विद्यालयों का तुलनात्मक विवरण क्या है ?

श्री मदन कौशिक—

1. शासनादेश संख्या 381/XXIV—2/2008, दिनांक 04 जून, 2008 के अनुसार सुगम एवं दुर्गम विद्यालयों के वर्गीकरण हेतु समिति को आहूत कर बैठक की गई, जिसमें सुगम एवं दुर्गम क्षेत्रों के विद्यालयों का निर्धारण किया गया।

2. जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास क्षेत्रों का सुगम एवं दुर्गम में निर्धारण शासन द्वारा निर्गत नीति के अनुसार जनपद पौड़ी गढ़वाल को दो श्रेणियों में रखा गया जिसमें सुगम क्षेत्र के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद् पौड़ी, दुगड्डा, श्रीनगर एवं कोटद्वार व विकास क्षेत्र खिर्सू, कोट, जयहरीखाल, कल्जीखाल, द्वारीखाल, दुगड्डा एवं पौड़ी को सुगम क्षेत्रों में रखा गया। सुगम क्षेणी में उन्हीं विद्यालयों को रखा गया जो मोटर मार्ग से रा0ई0का0/2 कि0मी0 रेडियस पर स्थित हो। शेष अन्य विकास खण्डों को दुर्गम क्षेणी में रखा गया।

इन्हीं के अनुसार विद्यालयों का सुगम एवं दुर्गम श्रेणी में वर्गीकरण किया गया है।

विद्यालयों का श्रेणीकरण शासनादेश में दिये गये प्राविधानों के अनुसार ही किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पौड़ी स्थित सन्तूधार में स्थापित राजीव गाँधी नवोदय विद्यालय हेतु क्रीड़ास्थल का निर्माण

5–श्रीमती अमृता रावत–

क्या शिक्षा मंत्री अवगत है कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के स्थान सन्तूधार में स्थापित राजीव गाँधी नवोदय विद्यालय हेतु कोई क्रीड़ास्थल नहीं है ?

यदि हाँ, तो विद्यालय के छात्र–छात्राओं के लिए क्रीड़ा आदि गतिविधियों के संचालन हेतु क्रीड़ास्थल का निर्माण करवाए जाने की दिशा में सरकार द्वारा क्या योजना बनायी गयी है तथा कब तक क्रीडास्थल का निर्माण करा दिया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मदन कौशिक–

जी हाँ।

विद्यालय के क्रीड़ास्थल हेतु पर्याप्त समतल भूमि उपलब्ध कराये जाने का प्रयास किया जायेगा। भूमि उपलब्ध होने पर ही क्रीड़ास्थल का निर्माण किया जाना सम्भव होगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पौड़ी अन्तर्गत संचालित रा0इ0 कालेजों तथा रा0इ0मा0 विद्यालयों में प्रधानाचार्य/ प्रधानाध्यापक/प्रवक्ता/स्नातक वेतनक्रम में स्वीकृत/कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण

6–श्रीमती अमृता रावत–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत संचालित राजकीय इण्टर कालेजों तथा राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक/प्रवक्ता/स्नातक वेतन क्रम में स्वीकृत/कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण क्या है ?

क्या यह सत्य है कि सभी विद्यालयों में एक समान शिक्षण व्यवस्था न होने तथा शिक्षकों की तैनाती में असमानपूर्ण रवैया अपनाए जाने के कारण क्या है ?

श्री मदन कौशिक–

जनपद पौड़ी गढ़वाल के राजकीय इण्टर कालेजों/राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्यों/प्रधानाध्यापकों/प्रवक्ताओं एवं सहायक अध्यापकों के रिक्त पदों का विवरण निम्नवत् है :–

क्रम	पदनाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1.	प्रधानाचार्य	149	109	40
2.	प्रधानाध्यापक	123	44	79
3.	प्रवक्ता	1421	889	532
4.	स0अ0 एल0टी0	2630	2199	431

जी नहीं।

राजकीय इण्टर कालेजों/राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में विषयों का चयन क्षेत्रीय जनता की मांग तथा स्थानीय आवश्यकता के आधार पर अनुभाग बनाये जाते हैं। तद्नुसार विषयवार पदों का सृजन अलग–अलग विद्यालयों में भिन्न–भिन्न होता है।

जनपद पौड़ी के रा0इ0का0 बहेड़ाखाल में विभिन्न कार्मिकों के रिक्त पदों पर तैनाती हेतु कार्यवाही

7–श्रीमती अमृता रावत–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विशेष कार्याधिकारी, मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या–GE9784/2007(20), दिनांक 02 अगस्त, 2007 के द्वारा जनपद पौड़ी गढ़वाल के राजकीय इण्टर कालेज बहेड़ाखाल में प्रधानाचार्य/प्रवक्ताओं एवं सहायक अध्यापकों के रिक्त पदों पर तैनाती सुनिश्चित करने विषयक पत्र को आवश्यक कार्यवाही पत्र को आवश्यक कार्यवाही हेतु सचिव, विद्यालयी शिक्षा को प्रेषित किया गया है ?

यदि हाँ, तो अब तक शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों के रिक्त पदों पर तैनाती/नियुक्ति करने के सम्बन्ध में सचिव विद्यालयी शिक्षा द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मदन कौशिक–

जी हाँ।

नियुक्ति अधिकारी द्वारा पदोन्नति/नियुक्ति के समय अध्यापकों को दुर्गम स्थानों पर तैनाती दी जाती है, तथा सामान्य स्थानान्तरण प्रक्रिया के अन्तर्गत दुर्गम क्षेत्र में

दीर्घ अवधि से कार्यरत शिक्षकों को सुगम क्षेत्र में तैनाती दी जाती है यह एक व्यवस्था के अन्तर्गत है। उक्त के अनुपालन में राजकीय इण्टर कालेज बहेड़ाखाल, पौड़ी गढ़वाल में सहायक अध्यापक एल0टी0 के 06 रिक्त पदों के सापेक्ष 03 पदों की पूर्ति की गई है। प्रवक्ता पदों पर पदोन्नति की प्रक्रिया गतिमान है तत्पश्चात प्रवक्ता के रिक्त पदों की पूर्ति की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरिद्वार अन्तर्गत लालढांग स्थित राज0 प्राथमिक जूनियर तथा हाई स्कूलों का उच्चीकरण

8—हाजी तस्लीम अहमद—

क्या शिक्षा मंत्री जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र लालढांग के ग्राम गैण्डीखाता के शहीद मनोज सिंह चौहान राजकीय हाई स्कूल का उच्चीकरण इण्टरमीडिएट स्तर तक, ग्राम मौ0पुर कुन्हारी के राजकीय प्राथमिक विद्यालय का उच्चीकरण जूनियर हाई स्कूल स्तर तक, ग्राम कंकरखाता राजकीय जूनियर हाई स्कूल का उच्चीकरण हाई स्कूल स्तर तक तथा ग्राम सुल्तानपुर आदमपुर में कन्या राजकीय जूनियर हाई स्कूल का उच्चीकरण कन्या हाई स्कूल तक करेंगे ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मदन कौशिक—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

शहीद मनोज सिंह चौहान राजकीय हाई स्कूल गैण्डीखाता पाँच वर्षों का परीक्षाफल का मानक पूर्ण नहीं करता है।

राजकीय प्राथमिक विद्यालय का जूनियर हाई स्कूल स्तर पर उच्चीकरण का कोई प्राविधान नहीं होता है।

ग्राम कंकरखाता राजकीय जूनियर हाई स्कूल तथा सुल्तानपुर आदमपुर में कन्या राजकीय जूनियर हाई स्कूल का हाई स्कूल स्तर पर उच्चीकरण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

सुल्तानपुर आमदपुर में पूर्व से ही दो इण्टर कालेज, शिक्षाराज इण्टर कालेज सुल्तानपुर एवं जनता इण्टर कालेज सुल्तानपुर संचालित हैं, जिनमें सह शिक्षा बालक/बालिका हेतु संचालित है।

जनपद नैनीताल के हल्द्वानी के अन्तर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनाये जाने के प्रस्ताव पर प्रगति

9–श्री नारायण पाल–

क्या खेल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद नैनीताल के हल्द्वानी में अन्तर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनाये जाने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है ?

यदि हाँ, तो उक्त सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी नहीं।

वर्तमान वित्तीय वर्ष के आय–व्ययक में हल्द्वानी में स्टेडियम निर्माण हेतु बजट प्राविधान विद्यमान है। स्टेडियम निर्माण हेतु प्रस्तावित वन भूमि हेतु एन0पी0वी0 की धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है, तथा प्रकरण वित्त व्यय समिति के सम्मुख प्रस्तुत किया जा चुका है। प्रश्नगत स्टेडियम निर्माण हेतु धनराशि स्वीकृति के सम्बन्ध में कार्यवाही परिचालित है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

सितारगंज ऊधमसिंह नगर, हरिद्वार व रुद्रपुर पंतनगर स्थित औद्योगिक आस्थान सिडकुल में ठेकेदारी प्रथा पर कार्यरत कर्मचारियों की संख्या

10–श्री नारायण पाल–

क्या श्रम मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सितारगंज ऊधमसिंह नगर, हरिद्वार व रुद्रपुर पंतनगर में बन रहे औद्योगिक आस्थान सिडकुल के तत्वाधान में कितने कर्मचारी फैक्ट्री के व कितने ठेकेदारी प्रथा पर कार्यरत हैं ?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि उक्त कर्मचारी किन संस्थाओं के अन्तर्गत कार्यरत हैं ?

श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी–

राज्य के औद्योगिक आस्थान, सिडकुल सितारगंज, हरिद्वार व पंतनगर (रुद्रपुर) में फैक्ट्री व ठेकेदारी प्रथा पर कार्यरत कर्मचारियों की संख्या निम्नवत है :–

औद्योगिक आस्थान का नाम	फैक्ट्री के कर्मचारियों की संख्या	ठेकेदारी के कर्मचारियों की संख्या	योग
सितारगंज	1617	1527	3144
पंतनगर (रुद्रपुर)	13170	8665	21835
हरिद्वार	20750	5709	26459
योग	3553	15901	51438

सूची संलग्न है।

(देखिए संलग्नक नत्थी 'क' आगे पृष्ठ संख्या 131–137 पर)

प्रदेश के प्रत्येक जिला मुख्यालय में खेल स्टेडियम स्थापना पर विचार

11–श्री चन्दन राम दास–

क्या खेल मंत्री अवगत है कि प्रत्येक जिला मुख्यालय पर एक खेल स्टेडियम बनाये जाने का प्रावधान है ?

यदि हाँ, तो क्या जनपद बागेश्वर में खेल स्टेडियम स्थापित किये जाने के लिए सरकार विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी–

विभिन्न जनपदों की नगरीय खेल गतिविधियों का उत्तरदायित्व खेल विभाग के अन्तर्गत होने के कारण सामान्यतः जिला मुख्यालयों पर ही खेल स्टेडियम बनाये जाने की परम्परा रही है।

जिला मुख्यालय बागेश्वर में भूमि उपलब्धता के आधार पर खेल स्टेडियम के स्थान पर इंडोर स्टेडियम का निर्माण कराया गया, जो लगभग पूर्ण हो चुका है।

उपर्युक्त के आधार पर प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में विशिष्ट बी0टी0सी0 के नये बैच के प्रशिक्षण हेतु चयन

12–श्री चन्दन राम दास–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार प्रदेश में विशिष्ट बी0टी0सी0 का एक नया बैच प्रशिक्षण के लिए चयनित करने पर विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मदन कौशिक–

वर्तमान बैच की तैनाती के उपरान्त नए बैच के विषय में निर्णय लिया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रदेश में राज0 जू0 हाई0 स्कूलों एवं राज0 हाई स्कूलों के उच्चीकरण की योजना तथा जू0 हा0 ओखलसों का उच्चीकरण

13–श्री चन्दन राम दास–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में रा0जू0हा0 एवं रा0 हाई स्कूल के उच्चीकरण की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ?

यदि हाँ, तो जू0 हा0 ओखलसों का उच्चीकरण किया जायेगा ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मदन कौशिक–

जी हाँ।

विद्यालय हाई स्कूल स्तर पर उच्चीकरण के निर्धारित मानकों को पूर्ण नहीं करता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में अशासकीय विद्यालयों के उच्चीकरण एवं प्रान्तीयकरण की योजना तथा उ0मा0वि0 सिरकोट का उच्चीकरण

14–श्री चन्दन राम दास–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में अशासकीय विद्यालयों के उच्चीकरण एवं प्रान्तीयकरण की कोई योजना है ?

यदि हाँ, तो उ0मा0वि0 सिरकोट के उच्चीकरण का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मदन कौशिक–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

अशासकीय विद्यालयों के उच्चीकरण एवं प्रान्तीयकरण की योजना संचालित नहीं है।

उत्तराखण्ड के ओलम्पिक क्वालीफाई एथलीट सुरेन्द्र भण्डारी को सरकार द्वारा सम्मानित करने पर विचार

15–श्री यशपाल बेनाम–

क्या खेल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड के एथलीट सुरेन्द्र भण्डारी को उनके ओलम्पिक क्वालीफाई करने पर सरकार उन्हें सहायतार्थ राशि प्रदान कर सम्मानित करने पर विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी नहीं।

उपरोक्तानुसार।

खेल विभाग द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक अर्जित करने वाले खिलाडियों को ही नकद पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है।

जिला उत्तरकाशी के बड़कोट अन्तर्गत यमुनोत्री यात्रा मुख्य मार्ग पर मदिरा की दुकानों का संचालन तथा राष्ट्रीय राजमार्ग देव मन्दिर, विद्यालयों आदि स्थानों पर संचालित दुकानों पर कार्रवाई

16–श्री केदार सिंह रावत–

क्या आबकारी मंत्री अवगत है कि बड़कोट जिला उत्तरकाशी के अन्तर्गत विदेशी मदिरा की दुकान यमुनोत्री मुख्य मार्ग एवं राष्ट्रीय राजमार्ग पर संचालित की जा रही है?

क्या यह सत्य है कि विदेशी मदिरा की दुकाने राष्ट्रीय राजमार्ग, देव मन्दिर विद्यालय आदि स्थानों पर नहीं चलाई जा सकती हैं ?

यदि हाँ, तो सरकार इस दिशा में क्या कदम उठा रही है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मदन कौशिक–

बड़कोट जिला उत्तरकाशी के अन्तर्गत विदेशी मदिरा की दुकान नगर पंचायत बड़कोट के क्षेत्रान्तर्गत गुजरने वाली बड़कोट यमुनोत्री यात्रा मुख्यमार्ग एवं राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित नहीं है।

जी हाँ।

वर्ष 2008–09 की आबकारी नीति के नियम–13 के अन्तर्गत निर्धारित प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरिद्वार के ग्राम बसेड़ा में अन्तरग्रामीण सड़क निर्माण योजनान्तर्गत स्वीकृत मार्ग निर्मित न किये जाने का कारण

17–कुँवर प्रवण सिंह ''चैम्पियन''–

क्या गन्ना मंत्री अवगत है कि जनपद हरिद्वार तहसील लक्सर के ग्राम बसेड़ा में गत दो वर्ष पूर्व अन्तरग्रामीण सड़क निर्माण योजनान्तर्गत स्वीकृत 700 मी0 सड़क मार्ग को गन्ना विभाग द्वारा अब तक निर्मित न किये जाने के क्या कारण है ?

क्या सरकार सम्बन्धित के विरूद्ध यथासमय सड़क निर्मित न किये जाने के कारण कोई कानूनी कार्यवाही करेगी ?

उक्त मार्ग जनहित में कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मदन कौशिक–

अन्तरग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत संदर्भगत सड़क मार्ग पूर्व में स्वीकृत नहीं था।

प्रश्न नहीं उठता।

उक्त मार्ग वित्तीय वर्ष 2008–09 में अन्तरग्रामीण सडक योजनान्तर्गत स्वीकृत किया गया, जिसका कार्य वित्तीय वर्ष 2008–09 में पूर्ण कर लिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पौड़ी के रा0 इ0 कालेजों में प्रधानाचार्यों के रिक्त पदों पर नियुक्तियाँ

18–श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

क्या शिक्षा मंत्री अवगत है कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के राजकीय इण्टर कालेजों में प्रधानाचार्यों के पद रिक्त हैं ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार प्रधानाचार्यों की नियुक्ति शीघ्र करने जा रही है ?

यदि हाँ, तो क्या इसी शैक्षिक सत्र में नियुक्तियां कर दी जायेंगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मदन कौशिक–

जी हाँ।

वर्तमान में जनपद पौड़ी गढ़वाल में राजकीय इण्टर कालेजों में प्रधानाचार्यों के 40 पद रिक्त हैं।

प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका पदों से प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या के 136 पदों हेतु डी0पी0सी0 सम्पन्न हो चुकी है। पदस्थापन की कार्यवाही गतिमान है।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पौड़ी के रा0 इ0 कालेज किनसूर, कूतणी मृगुखाल एवं सिलोगी के क्षतिग्रस्त विद्यालय भवनों का निर्माण

19–श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

क्या शिक्षा मंत्री अवगत है कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के रा0इ0 कालेज किनसूर, कूतणी मृगुखाल एवं सिलोगी के विद्यालय भवन क्षतिग्रस्त हैं ?

क्या सरकार उपरोक्त विद्यालयों के भवनों का निर्माण शीघ्र करायेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मदन कौशिक–

जी हाँ।

ध्वस्तप्राय भवनों का पुनर्निर्माण कराया जायेगा तथा पुराने क्षतिग्रस्त भवनों की विशेष मरम्मत कराई जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पौड़ी अन्तर्गत देवीखेत एवं गैडाखाल में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने की कार्यवाही

20–श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

क्या श्रम मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2006–07 में दो आई0टी0आई0 (औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान) खोलने की स्वीकृति सरकार द्वारा की गई थी ?

यदि हाँ, तो डेढ़ वर्ष के पश्चात् भी विकास खण्ड द्वारीखाल के स्थान पर देवीखात एवं विकास खण्ड यमकेश्वर के स्थान गैडाखाल में ग्रामीणों द्वारा भूमि दान का प्रस्ताव किये जाने पर भी कोई कार्यवाही न किये जाने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार जनहित से शीघ्र औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने की कार्यवाही करेगी ? यदि हाँ, कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी हाँ।

गैडाखाल आई0टी0आई0 हेतु भूमि पंजीकरण की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है। द्वारीखाल आई0टी0आई0 के लिए पूर्व में चयनित भूमि में बाँज के जंगल होने के करण उक्त भूमि निरस्त की गयी। इसके उपरान्त स्थानीय लोगों द्वारा जो जगह दिखायी गयी है उसमें भूमिधर लोगों में आपसकी सहमति न बनने के कारण भूमि का चयन नहीं हो पाया है।

जनपद पौड़ी स्थित जयहरीखाल में संचालित जवाहर नवोदय विद्यालय में छठी कक्षा का संचालन तथा छात्र–छात्राओं हेतु आवासीय व्यवस्था

21–श्रीमती अमृता रावत–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के स्थान जयहरीखाल में संचालित जवाहर नवोदय विद्यालय के संचालन तथा छात्र–छात्राओं के लिये आवासीय व्यवस्था हेतु राज्य सरकार द्वारा क्या व्यवस्था की गयी है ?

क्या यह सत्य है कि भवन न होने के कारण वर्तमान शिक्षा सत्र में छठवीं कक्षा में 40 छात्र–छात्राओं को प्रवेश नहीं दिया जा सका है ?

यदि हाँ, तो छठवीं कक्षा के संचालन एवं छात्र–छात्राओं के लिए आवासीय व्यवस्था हेतु भवन कब तक उपलब्ध करताया जायेगा ?

श्री मदन कौशिक–

जयहरीखाल जवाहर नवोदय विद्यालय के संचालन तथा छात्र–छात्राओं के लिए अस्थाई आवासीय व्यवस्था हेतु राजकीय इण्टर कालेज लैन्सडाउन के पुराने छात्रावास के 20 कक्षा–कक्ष, भोजन कक्ष तथा हॉस्टल वार्डन आवास के साथ–साथ विद्यालय के मुख्य भवन के 05 कक्षा–कक्ष भी उपलब्ध कराये गये हैं।

जी हाँ।

राजकीय इण्टर कालेज जयहरीखाल के परिसर में उपलब्ध 10 कमरों पर राजकीय स्ना0 महा0 विद्यालय का कब्जा है, उक्त कक्षों को अवमुक्त कराये जाने पर ही प्रवेश एवं आवासीय व्यवस्था उपलब्ध करायी जा सकेगी।

जनपद पिथौरागढ़ अन्तर्गत वि0ख0 धारचूला/मुनस्यारी में जूनियर हाई स्कूल उच्छैती, सेरा, जाराजिबली आदि का उच्चीकरण

22–श्री गगन सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत वि0ख0 धारचूला/मुनस्यारी में जूनियर हाई स्कूल उच्छैती, सेरा, जाराजिबली, ढूँगातोली, गाला, गलाती, तोली (बरम) एवं जू0हा0 कनार का उच्चीकरण करने की कोई योजना बनाई है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मदन कौशिक–

जनपद पिथौरागढ़ के विकासखण्ड धारचूला/मुनस्यारी के अन्तर्गत जूनियर हाई स्कूल उच्छैती का उच्चीकरण हाई स्कूल स्तर पर हो चुका है। जूनियर हाई स्कूल सेरा एवं गलाती के उच्चीकरण का प्रस्ताव विभाग के विचाराधीन है। अन्य विद्यालयों के उच्चीकरण के प्रस्ताव उपलब्ध नहीं है। प्रस्ताव उपलब्ध होने एवं विभागीय मानकों को पूर्ण करने पर इन विद्यालयों के उच्चीकरण पर विचार किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अल्मोड़ा अन्तर्गत बिन्ता एवं मासी में आई0टी0आई0 की स्वीकृति तथा संचालित कक्षाओं की स्थिति

23–श्री पुष्पेष त्रिपाठी–

क्या प्रशिक्षण एवं सेवायोजन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत बिन्ता एवं मासी में आई0टी0आई0 की स्वीकृति किस वर्ष प्रदान की गयी थी ?

क्या उक्त संस्थान में नियमित रूप से कक्षायें संचालित की जा रही हैं ? यदि नहीं तो क्यों ? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि कक्षाये सरकारी भवन में संचालति की जा रही हैं या निजी भवन में ?

श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी–

जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत बिन्ता में आई0टी0आई0 की स्वीकृति वर्ष 2005–06 में तथा मासी में आई0टी0आई0 की स्वीकृति वर्ष 2006–07 में प्रदान की गयी थी।

मासी आई0टी0आई0 में डाटा एन्ट्री आपरेटर एवं बिन्ता आई0टी0आई0 को कोपा की कक्षाये निजी भवन में नियमित रूप से संचालित की जा रही हैं।

जनपद पिथौरागढ़ अन्तर्गत अस्कोट में संचालित आई0टी0आई0 का प्रस्तावित क्षेत्र हेतु हस्तान्तरण

24–श्री गगन सिंह–

क्या प्रशिक्षण एवं सेवायोजन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सीमान्त जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत अस्कोट में संचालित आई0टी0आई0 किस क्षेत्र के लिए शासन द्वारा स्वीकृत किया गया है ?

क्या भविष्य मे उक्त आई0टी0आई0 प्रस्तावित क्षेत्र के लिए हस्तान्तरित किया जायेगा ?

यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी–

सीमान्त जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत अस्कोट में संचालित आई0टी0आई0 अस्कोट के लिए स्वीकृत है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद टिहरी अन्तर्गत रा0इ0का0 गरखेत में तैनात प्रधानाध्यापक का स्थानान्तरण

25–श्री खजान दास–

क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि जनपद टिहरी गढ़वाल के धनौल्टी विधान सभा अन्तर्गत रा0इ0का0 गरखेत में तैनात प्रधानाध्यापक के स्थानान्तरण की मांग विगत कई वर्षों से अभिभावक शिक्षण संघ एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा की जा रही है एवं इस सम्बन्ध में समय–2 पर सरकार को भी अवगत कराया जा चुका है ?

यदि हाँ, तो क्या मंत्री जी उक्त विद्यालय के प्रधानाचार्य का स्थानान्तरण करेंगे?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मदन कौशिक–

जनपद टिहरी गढ़वाल के धनौल्टी विधान सभा के अन्तर्गत राजकीय इण्टर कालेज गरखेत, टिहरी गढ़वाल में तैनात श्री राम प्रसाद , प्रधानाध्यापक के स्थानान्तरण की मांग के सम्बन्ध में अभिभावक शिक्षक संघ एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों का कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

स्थानान्तरण आवेदन पत्र प्राप्त होने पर स्थानान्तरण के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

स्थानान्तरण आवेदन प्राप्त होने पर आगामी वार्षिक स्थानान्तरण के समय गुणावगुण के आधार पर विचार किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में पर्वतीय एवं मैदानी क्षेत्रों में सोलर पावर फैन्सिंग की स्थापना हेतु कृषकों की सुविधाएं

26–श्रीमती अमृता रावत–

क्या वैकल्पिक ऊर्जा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार द्वार प्रदेश में पर्वतीय एवं मैदानी क्षेत्रों में सोलर पावर फैन्सिंग की स्थापना हेतु कृषकों को क्या सुविधाएं तथा रियायतें प्रदान की जा रही है ?

श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी–

उरेडा सोलर पावर फैन्सिंग का कार्य केवल डिपाजिट वर्क के रूप में सम्पादित कराता है, कृषकों को रियायती दर पर यह सुविधा उरेडा द्वारा वर्तमान में उपलब्ध नहीं करायी जाती है।

भारत सरकार के वैकल्पिक ऊर्जा विभाग द्वारा उत्तराखण्ड में भू–गर्भीय ऊर्जा का सर्वे तथा विद्युत उत्पादन की योजना

27–डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

क्या वैकल्पिक ऊर्जा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड में भू–गर्भीय ऊर्जा का कोई सर्वे भारत सरकार के वैकल्पिक ऊर्जा विभाग द्वारा किया गया है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार की उक्त योजना के अन्तर्गत विद्युत उत्पादन की कोई योजना है ?

यदि है, तो क्या ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी–

तपोवन विष्णुप्रयाग क्षेत्र एवं बद्रीनाथ हाट स्प्रिंग जोन का सर्वेक्षण कराया गया है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता

भू–गर्भीय ऊर्जा के रूप में प्राप्त गर्म जल से विद्युत उत्पादन की सम्भावनायें नहीं हैं।

(12 बजकर 20 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई)

नियम–300 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

कृपया आसन ग्रहण करें। आज नियम–300 के अन्तर्गत श्री बलवन्त सिंह भौर्याल, श्री यशपाल बेनाम, श्री प्रेमचन्द्र अग्रवाल, कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन" श्री किशोर उपाध्याय, श्री बलवीर सिंह नेगी, श्री मनोज तिवारी, श्री ओम गोपाल रावत, श्री खजान दास, श्री सुरेन्द्र सिंह जीना तथा श्रीमती विजय बड़थ्वाल की कुल 11 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। मैं इनमें से श्री बलवन्त सिंह भौर्याल, श्री यशपाल बेनाम, श्री प्रेमचन्द अग्रवाल, कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन", श्री किशोर उपाध्याय, श्री बलवीर सिंह नेगी, श्री ओम गोपाल रावत, श्री खजान दास, श्री सुरेन्द्र सिंह जीना तथा श्रीमती विजय बड़थ्वाल की सूचनाओं को नियम–300 के अन्तर्गत स्वीकार कर रहा हूँ। शेष सूचनाएं अस्वीकार हुई।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कई माननीय सदस्य अपने स्थान पर खड़े होकर अपनी–अपनी बात कहने लगे।)

(घोर व्यवधान)

*श्री किशोर उपाध्याय–

माननीय अध्यक्ष जी, नियम–58 की सूचना भी अस्वीकृत हुई है ? (व्यवधान)

*नेता प्रतिपक्ष (डा0 हरक सिंह रावत)–

मान्यवर, हमारी सूचना नियम–310 के अन्तर्गत नर्सरी टीचर और सी0डी0 प्रकरण में भ्रष्टाचार का मामला है, इस पर चर्चा करा लें।

---

*वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

मेरा विनिश्चय आ चुका है कि नियम–310 के अन्तर्गत डा0 हरक सिंह रावत तथा श्री राजेश जुवांठा की सूचना प्राप्त हुई है, जो गढ़वाल विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिये जाने के बाद वहाँ कार्यरत संविदा शिक्षकों की समस्याओं के सम्बन्ध में है, यह विषय नियम–310 के अन्तर्गत सुने जाने के योग्य नहीं है, मैं इसे नियम–58 के अन्तर्गत ग्राह्यता पर सुन लूँगा। दूसरी सूचना श्री मनोज तिवारी, श्री करन मेहरा, श्री किशोर उपाध्याय तथा श्री रणजीत सिंह रावत की है, जो सरकार द्वारा जियोग्राफिकल इन्फोरमेशन सिस्टम कम्प्यूटर प्रणाली के क्रय में कथित वित्तीय अनियमिताओं के सम्बन्ध में है। मैं इसे नियम–58 में सुन लूँगा और जो एन0टी0टी0 प्रशिक्षितों के सम्बन्ध में नियम–310 में सूचना प्राप्त हुई है, यद्यपि नियम–310 में अस्वीकार कर दिया है और यह भी विनिश्चय आया है कि नियम–58 में ग्राह्यता पर सुन लिया जायेगा। विषय की गम्भीरता और संवेदनशीलता को देखते हुए इसमें संक्षेप में आपके विचार आ जायें।

(घोर व्यवधान)

*श्री महेन्द्र सिंह माहरा "महू भाई"–

मान्यवर, मेरी भी सूचना है।

*कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"–

मान्यवर, कल आपने आश्वासन दिया था कि मेरी नियम–310 की सूचना को नियम–58 में सुनेंगे, मैंने उसी नियम के तहत लगाया है, इतनी तो कृपा करें। (व्यवधान)

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, 31 ग्राम सभाओं के लोग 4–5 दिसम्बर से वहाँ पर स्ट्राइक पर बैठे है, सिंगोली भटवाड़ी जल विद्युत परियोजना के सम्बन्ध में।

(घोर व्यवधान)

कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"–

मान्यवर, 150 गाँव के लोग थे, फर्जी मुकदमें में 38 लोगों को नामजद किया जा रहा है। अति महत्वपूर्ण है। आपने कल आश्वासन दिया था कि नियम–310 के बजाय दूसरे नियम के अन्तर्गत मैं लाऊं तो सुन लेंगे। आपके आदेश का अनुकरण करते हुए नियम–58 में मैं आज लाया हूँ। तो इतना तो कम से कम आप ध्यान रखें कि जो कल आपने आदेश दिया, जो आपने आश्वासन दिया, उसको तो पूरा करें। (व्यवधान)

*वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, जो आज नियम–58 की सूचनाएं थी, उस पर डिसीजन दिया है। (व्यवधान) अभी नियम–58 नहीं आया है।

*श्री प्रेमानन्द महाजन–

मान्यवर, मैंने भी एक नियम–310 की सूचना दी थी।

श्री अध्यक्ष–

मात्र चार सूचनाएं नियम–58 के अन्तर्गत ली हैं, जो सूचनाएं इस नियम की परिधि में आयेंगी, उन्हीं को लिया जायेगा।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने जो एन0टी0टी0 प्रशिक्षितों के सम्बन्ध में सूचना थी, उसकी गम्भीरता को देखते हुए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य श्री बलवन्त सिंह भौर्याल आप अपनी नियम–300 की सूचना को पढ़ें।

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान काण्डा, जनपद बागेश्वर में प्रधानाचार्य, कनिष्ठ सहायक, भण्डारी, अनुदेशकों के रिक्त पद भरे जाने व मोटर मैकेनिक, वैल्डर, कम्प्यूटर प्रशिक्षण, कारपेंटर, इलैक्ट्रिशियन/वायरमैन ट्रेडों को स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

*श्री बलवन्त सिंह भौर्याल–

मान्यवर, जनपद बागेश्वर विधान सभा क्षेत्र काण्डा में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान काण्डा में कुछ ट्रेडों के साथ विगत कई वर्षों से राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अल्मोड़ा से संचालन किया जा रहा हैं, जहाँ पर प्रशिक्षण संस्थान की करोड़ों धनराशि की अपनी सम्पत्ति भवन आदि बने हैं परन्तु लम्बे समय से प्रधानाचार्य, अनुदेशक सहित कई कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं हो पाई है, जिससे एकमात्र प्रशिक्षण संस्थान में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं का पठन–पाठन कार्य प्रभावित हो रहा है, साथ ही इसके अतिरिक्त क्षेत्रवासी लम्बे समय से मोटर मैकेनिक, वैल्डर, कम्प्यूटर प्रशिक्षण, कारपेंटर, इलैक्ट्रिशियन/वायरमैन ट्रेडों को स्वीकृत करने का भी अनुरोध कर रहे है, जो सर्वथा उचित है।

अतः इस लोक महत्व के मामले को संज्ञान में लेते हुए राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान काण्डा में प्रधानाचार्य सहित अन्य कर्मचारियों के रिक्त पदों पर सर्वोच्च

*वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्राथमिकता के आधार पर नियुक्ति करने व नये ट्रेडों की स्वीकृति हेतु सरकार को निर्देशित करने का कष्ट करेंगे।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत विकास खण्ड एकेश्वर के ग्राम पंचूर के डांडा नामक स्थान में मिनी स्टेडियम बनाने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

श्री यशपाल बेनाम–

[मान्यवर, जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत विकास खण्ड एकेश्वर के ग्राम पंचूर के डांडा, जो कि काफी ऊँचाई पर स्थित है, इस स्थान की जमीन अधिकांश समतल है तथा यहाँ स्टेडियम बनवाने के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध है। यहाँ से प्रकृति का विहंगम दृश्य भी दृष्टिगोचर होता है। इस क्षेत्र में अभी तक कोई भी स्टेडियम न होने के कारण युवा खिलाडियों को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल पाता है।

अतः मेरा माननीय सदन से अनुरोध है कि जन भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए उक्त उल्लिखित स्थान पर अविलम्ब सर्वे करवाकर एक मिनी स्टेडियम बनाये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय ताकि इस पिछड़े हुए क्षेत्र के युवा खिलाड़ियों को देश–विदेश में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन का अवसर मिल सके।]

जनपद देहरादून में हरिद्वार विकास क्षेत्र में पड़ने वाले क्षेत्र हरिपुरकलां में 'महायोजना प्रारूप' लागू करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रेम चन्द अग्रवाल–

मान्यवर, मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान देहरादून जनपद में हरिद्वार विकास क्षेत्र में पड़ने वाले क्षेत्र हरिपुरकलां में लागू 'महायोजना प्रारूप 2006–2025' की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ कि इस महायोजना के मानचित्र में देव संस्कृति वि0वि0, सप्त ऋषि आश्रम, व्यवसायिक स्थल (होटल कंट्री इन) को प्रदर्शित किया गया, किन्तु अन्य महत्वपूर्ण स्थल स्वामी सत्यमित्रानन्द गिरि इन्टर कॉलेज, रा0प्रा0 पाठशाला, माधवेन्द्र धर्मार्थ चिकि0, भागीरथी विद्यालय, अंसल अपार्टमेंट, गीता अपार्टमेंट, प्रसिद्ध कालूसिद्ध पीठ आदि की स्थिति प्रदर्शित नहीं की गई है, साथ ही स्थानीय मार्गों को आवश्यकता से अधिक चौड़ा होना प्रस्तावित किया गया है, जबकि सप्तऋषि, हरिद्वार सम्पर्क मार्ग को गाँव के प्रस्तावित मार्ग से कम चौड़ा दर्शाया है एवं स्थानीय बस अड्डा, बस स्टैण्ड ऐसे स्थान पर प्रस्तावित किया गया है, जहाँ महायोजना से पूर्व के पुराने मकानात बने हुए हैं, जिससे क्षेत्र में जनाक्रोश बढ़ सकता है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर तत्काल कार्यवाही की मांग करता हूँ।

नोटः– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

उत्तराखण्ड राज्य में जनप्रतिनिधियों को अधिकारियों द्वारा प्रोटोकाल के अनुरूप सम्मान न दिये जाने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"–

मान्यवर, उत्तराखण्ड राज्य में प्रायः यह स्थिति दृष्टिगोचर हो रही है कि प्रशासनिक अधिकारीगण द्वारा जनप्रतिनिधिगण को यथावांछित प्रोटोकाल के अनुरूप सम्मान, संज्ञान नहीं दिया जा रहा है, जबकि भारत के संविधान के तहत लेजिस्लेचर एक्जीक्यूटिव एवं जुडीसरी हेतु विभिन्न प्रोटोकाल स्पष्ट किए गये हैं।

मुख्यतः जब कोई माननीय विधायक अथवा कोई अन्य जनप्रतिनिधि जनपद मुख्यालय अथवा अन्य सरकारी कार्यालय पर कार्यवश जाते हैं तो अधिकारीगण प्रोटोकाल का उल्लंघन कर स्वयं अपने आसन पर बैठे रहकर ही उनका अभिवादन करते हैं। यह अनुचित प्रतीत होता है एवं अपमानजनक भी है।

दरअसल आपसी आदरभाव (म्यूचल रिसपैक्ट) का निर्वहन एक स्वस्थ लोकतंत्र हेतु अनिवार्य है। अतः प्रदेश के अधिकारीगण को जनता द्वारा चुने गए लोक सेवकों के पद में आसन्न सम्मान का आभास आवश्यक है, अन्यथा परिपाटी गलत पड सकती है।

अतः लोकहित के इस अति महत्वपूर्ण विषय पर मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए अविलम्ब यथोचित आवश्यक कार्यवाही की मांग करता हूँ।

जनपद टिहरी गढ़वाल में राष्ट्रीय ग्रामीण योजना के अन्तर्गत कार्य कर रहे 232 प्रशासनिक सहायकों को प्रशासन द्वारा हटाये जाने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, जनपद टिहरी गढ़वाल में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत कार्य कर रहे 232 प्रशासनिक सहायकों को प्रशासन द्वारा 30 नवम्बर, 2008 से कार्य मुक्त कर दिया गया है, जिससे जनपद में योजना पर अत्यन्त प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। ग्रामीण बेरोजगार प्रशासन के इस निर्णय से भयंकर बेरोजगारी की चपेट में आ गये हैं तथा उनके परिवार दो वक्त की रोटी के लिए मोहताज हो गये हैं।

अतः इस अति लोक महत्व की सूचना पर नियम–300 के अन्तर्गत आपके माध्यम से शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूँ।

राज्य अनुसंधान एवं शैक्षिक परिषद् में उच्चाधिकारियों के पदस्थापना न होने एवं अनुसंधान के समस्त कार्य ठप्प होने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

*श्री बलवीर सिंह नेगी–

मान्यवर, राज्य में भारत सरकार के सहयोग से राज्य अनुसंधान एवं शैक्षिक परिषद् गठित की गयी है। जिसके लिये राज्य सरकार द्वारा संरचनात्मक ढांचे में वरिष्ठ अधिकारियों के पद रिक्त पड़े हुए हैं। इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि अपर निदेशक के पद को उच्चीकृत करते हुए निदेशक के पद का सृजन दिनांक 14 जुलाई, 2008 को किया गया है। उच्चीकृत पद के सापेक्ष वर्तमान में अधिकारी कार्यरत हैं तथा इस पद के लिए अन्य उपयुक्त बाध्य प्रतीक्षारत् अधिकारी है। इस पद पर बाध्य प्रतीक्षारत् अधिकारी की तैनाती से उक्त प्रतिष्ठित संस्थान में उच्चाधिकारियों के पदस्थापना न होने के कारण जहाँ सरकार एक ओर आर्थिक क्षति को उठा रही है, वहीं दूसरी ओर राज्य के पाठ्यक्रम के निर्धारण, संशोधन एवं परिवर्द्धन, कार्यशालाएं एवं अनुसंधान के समस्त कार्य लगभग ठप्प हो गये हैं।

अतः इस अति लोक महत्व की सूचना पर नियम–300 के अन्तर्गत आपके माध्यम से शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूँ।

ग्राम सभा भैंसक व गाँव आगर को भू–स्खलन से प्रभावित होने के कारण पूर्णरूप से अन्यत्र पुनर्वासित किये जाने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

*श्री ओम गोपाल–

मान्यवर, विधान सभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत ग्राम सभा भैंसक में कण्डारी गाँव व मुण्डयासाल में वर्ष, 2007 में हुई अति–वृष्टि व भू–स्खलन से वहाँ के निवासियों के भवन/कृषि भूमि नष्ट हो गयी थी। जिन्हें अन्यत्र पुनर्वासित किया जाना था किन्तु शासन स्तर पर भू–स्खलन से प्रभावित गाँवों को अन्यत्र पुनर्वासित किये जाने हेतु प्रस्तावित सूची में उपरोक्त गाँव का नाम नहीं है। ग्राम सभा आगर के अन्तर्गत भू–स्खलन से प्रभावितों को अन्यत्र पुनर्वासित किये जाने हेतु 47 परिवारों का चयन हुआ है, जबकि अन्य गाँव वासियों के भवन भू–धंसाव वाले क्षेत्र के ऊपरी भाग में स्थित हैं, जिनके कभी भी भू–स्खलन/दैवी आपदा की चपेट में आने की सम्भावना बनी हुई है, क्योंकि वर्ष, 1988, 1993 में गाँव में हुए भू–स्खलन का क्षेत्र प्रत्येक बार बढ़ता रहा, जिसने वर्ष, 2007 में विनाशकारी रूप लिया। यदि चयनित 47 परिवारों सहित पूरे गाँव

*वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

को अन्यत्र पुनर्वासित नहीं किया गया तो भविष्य में भू-स्खलन से गम्भीर जन-धन की हानि होने की सम्भावना बनी हुई है। जिस कारण उल्लिखित गाँवों के निवासियों को अविलम्ब अन्यत्र पुनर्वासित किये जाने की आवश्यकता है। विषय ग्रामीणों की जनजीवन की सुरक्षा से जुड़ा होने के कारण लोक महत्व का, अविलम्बनीय है।

अतः अविलम्ब कार्यवाही की मांग करता हूँ।

जनपद टिहरी गढ़वाल विकास खण्ड जौनपुर अन्तर्गत वन विभाग अधीनस्थ धनौल्टी, नागटिब्बा जीप मार्ग को लो0नि0वि0 को हस्तांतरित करते हुए मोटर मार्ग में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-300 के अन्तर्गत सूचना

श्री खजान दास-

मान्यवर, मेरी विधान सभा धनौल्टी को विकास खण्ड जौनपुर के अन्तर्गत विश्वविख्यात पर्यटक स्थल धनौल्टी एवं नागटिब्बा को जोड़ने हेतु धनौल्टी, नागटिब्बा जीप मार्ग का निर्माण किया गया था। वन विभाग में पर्याप्त मात्रा में धनराशि न होने के कारण मार्ग का रख-रखाव ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है। उल्लेखनीय है कि उक्त मार्ग पर विकास खण्ड जौनपुर एवं विकास खण्ड थौलधार के लगभग 100 से अधिक परिवार खाद नामक तोक पर निवास करते हैं तथा खेती-बाड़ी कर अपनी आजीविका चलाते हैं। मार्ग को मोटर मार्ग में परिवर्तित किये जाने हेतु स्थानीय जन मानस लम्बे समय से माँग कर रहा है। मेरे द्वारा इस सम्बन्ध में कई बार माननीय मुख्यमंत्री/माननीय मन्त्री, लोक निर्माण विभाग को लिखित एवं मौखिक रूप से अनुरोध किया गया कि उक्त मार्ग, जिसकी लम्बाई लगभग 20 कि0मी0 है, को मोटर मार्ग में परिवर्तित किया जाय, क्योंकि उक्त मार्ग पूर्व में हल्का वाहन मार्ग (जीप हेतु) बना है। जिस कारण मोटर मार्ग में परिवर्तित किये जाने हेतु अधिक धनराशि भी खर्च नहीं होगी। गौरतलब है कि ठीक प्रकार से रख-रखाव न होने के कारण स्थानीय काश्तकारों द्वारा अपनी नकदी फसलें एवं खाद्य सामग्री मुख्य मार्ग तक पहुँचाने हेतु अत्यधिक धनराशि व्यय करनी पड़ती है।

व्यापक जनहित को देखते हुए मेरा अनुरोध है कि उक्त जीप मार्ग को लोक निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए मोटर मार्ग में परिवर्तित किये जाने हेतु आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराई जाय। साथ ही यदि वन भूमि के हस्तांतरण में कोई तकनीकी समस्या उत्पन्न होती है तो मोटर मार्ग में परिवर्तित किये जाने हेतु आवश्यक धनराशि वन विभाग को उपलब्ध कराई जाय।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर शीघ्रता से कार्यवाही की माँग की जाती है।

विधान सभा क्षेत्र भिकियासैंण में जीर्ण–शीर्ण विद्यालय भवनों व इसके परिणाम स्वरूप इसके दुर्घटनाग्रस्त होने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

मान्यवर, मेरी विधान सभा क्षेत्र भिकियासैंण में अनेकों राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में बैठने के लिए कक्षा–कक्ष नहीं हैं, जहाँ कक्ष हैं भी तो उनकी स्थिति अत्यन्त जीण–शीर्ण है। वर्ष 2006 में मुख्यमंत्री जी की घोषणा व उसके उपरान्त आगणन आने के बावजूद इसमें कोई कार्यवाही नहीं हुई। जब छात्रों के पठन–पाठन हेतु उचित स्थान तक नहीं होगा तो कैसे हमारे छात्रों व प्रदेश का भविष्य उज्जवल होगा ?

(शेम–शेम की ध्वनि)

मान्यवर, इन जीर्ण–शीर्ण विद्यालय भवनों के कभी भी गिरने व गम्भीर दुर्घटना की आशंका बनी हुई है। इस कारण क्षेत्रीय जनता में भारी आक्रोश व्याप्त है। दुर्घटना होने से भारी जन आन्दोलन हो सकते हैं।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ ताकि समय रहते, कुछ ठोस कार्यवाही कर इन विद्यालयों की स्थिति सुधारी जा सके।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत विकास खण्ड एकेश्वर के पट्टी मवालस्यूं के अन्तर्गत प्राचीन शिव मंदिर मरड़ा के जीर्णोद्धार एवं सौन्दर्यीकरण के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

मान्यवर, जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत विकास खण्ड एकेश्वर, पट्टी मवालस्यूं के अन्तर्गत मरड़ा नामक स्थान पर भगवान शंकर का एक पौराणिक मन्दिर है। जो कि अत्यन्त जीर्ण–शीर्ण स्थिति में है। उक्त मन्दिर के सौन्दर्यीकरण के सन्दर्भ में विभाग से भी पत्राचार किया गया परन्तु विभाग द्वारा कोई सकारात्मक प्रगति नहीं हुई। इस मन्दिर में दूर–दूर से भक्तजन पूजा–अर्चना करने आते रहते हैं। क्षेत्रीय लोगों की भी इस मन्दिर में धार्मिक भावनाएं जुड़ी हुई हैं।

अतः मेरा मा0 सदन से अनुरोध है कि उक्त मन्दिर के नवीन–निर्माण एवं सौन्दर्यीकरण के लिए आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

---

*वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

जैसा मैंने पूर्व में सूचित किया था कि नियम–310 के अन्तर्गत जो पहली दो सूचनाएं थी, उन्हें हम नियम–58 में सुन रहे हैं और इसके साथ–साथ जो एन0टी0टी0 से सम्बन्धित सूचना थी, उसे भी हम विशेष परिस्थितियों में नियम–58 में सुन रहे हैं। इसके बाद नियम–58 के अन्तर्गत आज 11 सूचनायें प्राप्त हुई हैं, डा0 हरक सिंह रावत, श्री मनोज तिवारी, श्री करन मेहरा, डा0 हरक सिंह रावत तथा श्री केदार सिंह रावत, इसमें नियम है............।

*श्री शहजाद–

मान्यवर, मेरा एक निवेदन है।

श्री अध्यक्ष–

नियम यह है कि एक दिन में कोई भी माननीय सदस्य एक ही सूचना दे सकते हैं, आपकी दो सूचनायें आज नियम–58 के अन्तर्गत प्राप्त हुई हैं। पहली डा0 हरक सिंह रावत, श्री मनोज तिवारी, श्री करन मेहरा तथा दूसरी डा0 हरक सिंह रावत एवं श्री केदार सिंह रावत की है। आप नियम–310 वाली में बोल लें जो नियम–58 में कन्वर्ट हुई हैं। इन दोनों में आप नहीं बोलेंगे। मैं सिर्फ इस बात को सुनिश्चित करना चाहता था कि मात्र एक सूचना आपके माध्यम से आनी चाहिए। एक सूचना ही किसी माननीय सदस्य के माध्यम से आनी चाहिए। नम्बर तीन– श्री राजेश जुवांठा, नम्बर चार–चौ0 यशवीर सिंह, मौ0 शहजाद तथा श्री हरिदास, नम्बर पाँच–श्री महेन्द्र सिंह माहरा तथा गोविन्द सिंह कुंजवाल, नम्बर छः– श्री किशोर उपाध्याय, नम्बर सात–श्री प्रेमानन्द महाजन, नम्बर आठ–श्री नारायण पाल, नम्बर नौ–कुँवर प्रणव सिंह ''चैम्पियन'', श्री रणजीत सिंह रावत, श्री हरिदास तथा चौ0 यशवीर सिंह, नम्बर दस–श्री ओम गोपाल रावत तथा नम्बर ग्यारह–श्री दिनेश अग्रवाल, की कुल 11 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। जैसा कि मैं सदन को अवगत करा चुका हूँ कि नियम–310 की दो सूचनाएं नियम–58 में सुनी जानी हैं। इसके अतिरिक्त डा0 हरक सिंह रावत, श्री करन मेहरा तथा श्री मनोज तिवारी की सूचना, जो विशिष्ट बी0टी0सी0 प्रशिक्षण प्रक्रिया को निरन्तर जारी रखते हुए 5000 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी किये जाने विषयक है। दूसरी सूचना डा0 हरक सिंह रावत तथा श्री केदार सिंह रावत की है, जो उत्तराखण्ड राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा विक्रम वाहनों के किराया में एकपक्षीय कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में है। तीसरी सूचना चौ0 यशवीर सिंह, मौहम्मद शहजाद तथा श्री हरिदास जी की है, जो अर्द्धकुम्भ हरिद्वार में बनी सड़कों के पुनः निर्माण हेतु कुम्भ के बजट में प्राविधान किए जाने के सम्बन्ध में है, को मैं ग्राह्यता पर सुन रहा हूँ। शेष सूचनाएं अस्वीकार हुई।

---

*वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सभी माननीय सदस्यगण अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर जोर-जोर से अपनी बात कहने लगे, जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

यह सुसंगत नियमों के अन्तर्गत नहीं है। नियम-58 में स्पष्ट है कि प्रस्ताव हाल ही में घटित किसी विषय पर निर्भर होगा और ये आपकी जो सूचना है, काफी पुरानी है, वो इसके अन्तर्गत नहीं आती है। (घोर व्यवधान)

(तत्पश्चात् माननीय सदस्य श्री प्रेमानन्द महाजन, कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन", श्री दिनेश अग्रवाल, श्री महेन्द्र सिंह माहरा "महू भाई" तथा श्री मनोज तिवारी 'वेल' में आकर जोर-जोर से अपनी बात कहने लगे।

श्री अध्यक्ष-

किसी अन्य नियमों में देते, मैं सुन लेता इस बात को। नियम-58 के अन्तर्गत नहीं आ रही है आपकी सूचना, मैं क्या करूँ इसे। (व्यवधान)

नेता प्रतिपक्ष (डा0 हरक सिंह रावत)-

मान्यवर, दो-तीन सूचनाएं और ले लीजिए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

जो शेष सूचनाएं हैं, मैं उन्हें नियम-300 में परिवतर्तित कर देता हूँ।

(तत्पश्चात् 'वेल' में उपस्थित माननीय सदस्यगण अपने-अपने स्थान पर वापस चले गये।)

श्री अध्यक्ष-

परिधि में नहीं आ रही है। (व्यवधान) नियम-300 में आपका विषय आ जायेगा।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)-

श्रीमन्, ऐसा है, नियम-300 में आप उनके विषय पढ़ लेंगे, उत्तर शासन का नहीं आयेगा, उत्तर बाद में आयेगा। विषय आ जाये उनका, लेकिन उत्तर चूँकि नियम-300 में देंगे तो यहाँ पर नहीं आ सकता है। (व्यवधान)

कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"-

मान्यवर, नियम-58 में मेरी सूचना कैसे नहीं है, इतना मुझे बता दीजिए। (व्यवधान)

श्री महेन्द्र सिंह माहरा "महूं भाई"–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, आज मैं कह रहा हूँ कि सात साल पहले फ्री–होल्ड हुआ था उत्तर प्रदेश से, आज मेरे शहर में फ्री–होल्ड नहीं हुआ, आज ऋण नहीं मिल रहा है, व्यापारियों को ऋण नहीं मिल रहा है, बेरोजगार लड़कों को ऋण नहीं मिल रहा है।

कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"–

मान्यवर, नियम–58 में मेरी सूचना पूरी तरह से सही है, इसमें डेढ़ सौ आदमियों का सवाल है, उनको झूठा फंसाया जा रहा है, अगर सरकार संज्ञान नहीं लेगी तो कैसे काम चलेगा ?

श्री हरभजन सिंह चीमा–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, बड़े लम्बे समय से यह परिपाटी बनती चली जा रही है कि विपक्षी सदस्य अपनी हर बात 'वेल' में आकर करते हैं। (व्यवधान)

श्री महेन्द्र सिंह माहरा "महूं भाई"–

मान्यवर, क्या परिपाटी की बात कर रहे हैं, आप परिपाटी की बात मत कहिये। (व्यवधान)

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सभी माननीय सदस्य अपने–अपने स्थान पर खड़े होकर जोर–जोर से अपनी बात को उठाने लगे, जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।) (घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप नियमों के अन्तर्गत अपनी बात को उठायें। नियमों के अन्तर्गत आपका जवाब आ रहा है।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति लेकर ही व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय चीमा जी, कृपया स्थान ग्रहण करें। जो शेष सूचनायें हैं, उनको आप पढ़ देंगे, उन पर मैं शासन का ध्यान आकर्षित कर दूँगा। माननीय नेता प्रतिपक्ष कृपया विशिष्ट बी0टी0सी0 प्रक्रिया को निरन्तर जारी रखने के सम्बन्ध में अपनी पहली सूचना पर अपने विचार रखें।

डा0 हरक सिंह रावत–

मननीय अध्यक्ष जी, आज बिजनेस भी कम है।

श्री अध्यक्ष–

बिजनेस कम नहीं है।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय दिनेश अग्रवाल जी, श्री किशोर उपाध्याय जी, कुँवर प्रणव सिंह जी, माननीय महेन्द्र सिंह माहरा जी की सूचना को भी नियम–58 में सुन लें।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य सूचना को पढ़ लेंगे, मैं उस पर शासन का ध्यान आकर्षित कर दूँगा।

कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"–

मान्यवर, नियम–58 में तो मेरी पूरी ग्राह्यता है, कहाँ गलत है, हमें बता तो दीजिए।

श्री शहजाद–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा निवेदन है कि मेरा आज अन्तिम दिन है, उसके बाद मैं दिल्ली जा रहा हूँ। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य सूचना को पढ देंगे, मैं उस पर शासन का ध्यान आकर्षित कर दूँगा।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्य श्री महेन्द्र सिंह माहरा "महूँ भाई" श्री प्रणव सिंह "चैम्पियन", श्री दिनेश अग्रवाल तथा बहुजन समाज पार्टी के माननीय सदस्य श्री शहजाद एवं श्री प्रेमानन्द महाजन "वेल" में आकर अपनी बात को जोर–जोर से उठाने लगे, जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।) (घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

किसी भी माननीय सदस्य की बात का संज्ञान नहीं लिया जायेगा, जब तक वह अपने स्थान पर नहीं बैठेंगे।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्य कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"), श्री किशोर उपाध्याय, माननीय श्री दिनेश अग्रवाल एवं बहुजन समाज पार्टी के माननीय सदस्य श्री शहजाद और प्रेमानन्द महाजन 'वेल' में अपनी–अपनी बात को जोर–जोर से

कहने का प्रयास करने लगे एवं अन्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के एवं बहुजन समाज पार्टी के माननीय सदस्य अपने स्थान पर खड़े होकर जोर–जोर से अपनी–अपनी बात को कहने का प्रयास करने लगे, जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

आपकी सूचना नियम–58 की परिधि में नहीं आ रही है। इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। आपकी सूचना नियमों को क्वालिफाई नहीं करती है। किसी भी माननीय सदस्य की किसी बात का संज्ञान नहीं लिया जायेगा जब तक कि माननीय सदस्य अपना स्थान ग्रहण नहीं करते हैं।

(घोर व्यवधान)

(माननीय सदस्य कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन" के 'वेल' में खड़े होकर कुछ कहने पर)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली, 2005 का नियम–60, जो नियम–58 से सम्बन्धित है, मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करने के अधिकार पर निबन्धन के बिन्दु–3 में स्पष्ट लिखा है कि प्रस्ताव हाल में ही घटित किसी निर्दिष्ट विषय तक निबद्ध रहेगा। (घोर व्यवधान)

श्री हरभजन सिंह चीमा–

मान्यवर, विपक्ष के साथियों के 'वेल' को अखाड़ा बना दिया है। ये सदन की परम्पराओं को तोड़ रहे हैं। (शोर)

(घोर व्यवधान के मध्य)

(माननीय सदस्य श्री प्रीतम सिंह के खड़े होकर कुछ कहने पर.................)

श्री अध्यक्ष–

प्रीतम सिंह जी, आप कौन से नियम के अन्तर्गत अपनी बात को कह रहे हैं ? (हँसी)

*श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

क्या व्यवस्था आ गई ? (घोर व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, चीमा जी बार–बार व्यवस्था के प्रश्न पर सदन को व्यवस्थित करने की बात कर रहे हैं। उन्हें सदन को व्यवस्थित करने का अधिकार दिया गया है तो उन्हें उपाध्यक्ष बना दीजिए।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

माननीय चीमा जी को अपना सुझाव देने का पूरा अधिकार है।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, माननीय चीमा जी व्यवस्था के माध्यम से सदन को सुव्यवस्थित करना चाहते हैं।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

आपका एक विषय हमने ले लिया है और एक विषय से ज्यादा ले नहीं सकते है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन की कार्यवाही अपराह्न 1:30 बजे तक स्थगित करता हूँ।

मार्शल, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष जी ने सदन का स्थगन अपराह्न 03:00 बजे तक लिए बढ़ा दिया है।

(सदन की कार्यवाही 03:00 बजे श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।)

श्री अध्यक्ष–

मदन जी बहुत खुश हैं आज और आपके जो मित्र हैं श्री शहजाद साहब, वे कुछ दुविधा में हैं, यह जो नूरा कुश्ती का आरोप है। (हँसी)

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, अब तो असली पनीर खाया जायेगा। (हँसी)

श्री अध्यक्ष--

उम्मीद तो यही है। (हँसी)

डा0 हरक सिंह रावत

माननीय अध्यक्ष जी, हमने जो नियम-310 की सूचना में एन0टी0टी0 प्रशिक्षित बेरोजगार नवयुवतियों की मांग उताई थी।

श्री अध्यक्ष-

वैसे तो माननीय नेता प्रतिपक्ष, ये हल्की सी चर्चा कल आ चुकी है। इसलिए इसे संक्षिप्त कर लें।

डा0 हरक सिंह रावत-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं संक्षिप्त कर लूँगा। आपने इसको नियम-58 में सुनने का अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, कल भी मैंने उल्लेख किया था और आज पुनः इस विषय को सदन के पटल पर हमको रखना पड़ा है।

श्री अध्यक्ष-

जो नये तथ्य आपके प्रकाश में हैं, कृपया उनको रखें।

डा0 हरक सिंह रावत-

माननीय अध्यक्ष जी, इस प्रदेश के सामने सरकार का जो कल उत्तर आया था उसके कारण आज जो परिस्थितियाँ बन गई हैं, कल भी पुष्पा राठौर और योगिता ने आत्महत्या करने का प्रयास किया था और आज भी प्रातः काल एन0टी0टी0 की लड़कियाँ हमको मिलने के लिए आयी थी और पुनः इन्होंने आत्महत्या करने की बात कही है। मैं स्वयं अभी माननीय किशोर उपाध्याय और माननीय गोपाल जी, करन मेहरा जी, मयूख महर और मनोज जी के साथ उन लड़कियों से मिलने गया था और जिस तरह वे भावुक हैं, उसके निश्चित रूप से यह सम्भावना बनती है कि कभी भी वे लड़कियाँ कोई ऐसा कृत्य कर सकती हैं अपनी जीवन लीला को समाप्त करने का। इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, यह बहुत ही गम्भीर विषय है। वे दो वर्षों से संघर्षरत हैं। आपके माध्यम से सरकार से बहुत विनम्र शब्दों मे निवेदन करना चाहते हैं कि एक तो उनके ऊपर जो सरकार की तरफ से मुकदमा दर्ज हुआ है आत्महत्या का और पूर्व में भी उन पर मुख्यमंत्री आवास घेराव के समय मुकदमें दर्ज हुए हैं। सरकार को उदार हृदय का परिचय देते हुए वे मुकदमें वापस लेने चाहिए।

दूसरा मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ, क्योंकि उत्तराखण्ड माध्यमिक बोर्ड द्वारा जो ट्रेनिंग इन्होंने ली है, इस भरोसे वो ट्रेनिंग ली है मान्यवर, जो विद्यालयों के संचालक

थे, उन्होंने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड उत्तराखण्ड का सर्टिफिकेट उन अभिभावकों को दिखाया और अभिभावकों ने दो–ढाई लाख रुपये खर्च किया और 2 वर्ष की ट्रेनिंग अपने बच्चों को दिलवाई है, तो सरकार का माध्यमिक शिक्षा बोर्ड उत्तराखण्ड पर भरोसा जता कर उत्तराखण्ड के अभिभावकों ने अपने बच्चों को ट्रेनिंग दिलाई है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि इन लड़कियों के भविष्य को सुरक्षित रखते हुए इनकी नियुक्ति के बारे में सरकार कोई उपाय करे, कोई सार्थक पहल करे।

प्राथमिक विद्यालयों में अगर नर्सरी क्लास नहीं है तो पहली क्लास से लेकर तीसरी क्लास तक जहाँ 100 से अधिक बच्चों की संख्या है, जो ये योग्य शिक्षक हैं जिन्होंने नर्सरी टीचर्स की ट्रेनिंग ली है, ऐसी व्यवस्था सरकार कर सकती है कि उनको रखा जाए और वे पहली क्लास से तीसरी क्लास के बच्चों को पढ़ायें। एक समस्या आ सकती है कि जिन्होंने दूसरे बोर्डों से नर्सरी टीचर की ट्रेनिंग ली है, उसमें यह व्यवस्था की जा सकती है कि जिन्होंने उत्तराखण्ड माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा, मान्यता प्राप्त बोर्ड के द्वारा ट्रेनिंग ली है, मैं सोचता हूँ कि इनकी संख्या ज्यादा नहीं है, बहुत मुश्किल से डेढ़ सौ, दो सौ की संख्या इनकी होगी। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी जानकारी दे रहे थे कि 136 की संख्या है, तो उनकी संख्या दो सौ से ज्यादा नहीं होगी या दो–ढाई सौ ज्यादा नहीं होगी, इसलिए मैं आपके माध्यम से इस गम्भीर विषय पर कहना चाहता हूँ और मैंने पहले भी कहा कि हम राजनीति के लिए इस विषय को नहीं उठा रहे हैं, हम सचमुच चाहते हैं कि आपका विनिश्चय इस पर आ जाए। सरकार द्वारा उदारतापूर्वक और सचमुच उन बच्चों के भविष्य को देखते हुए, मैं माननीय मुख्यमंत्री, माननीय शिक्षा मंत्री और सरकार से चाहूँगा कि इस पर सार्थक पहल करें और सार्थक निर्णय लें तो माननीय अध्यक्ष जी, हम आपके आभारी होंगे।

*शिक्षा मंत्री (श्री मदन कौशिक)–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष जो एन0टी0टी0 के विषय को आज नियम–58 के अन्तर्गत पुनः उठाया गया है, कल भी इस विषय पर सदन में चर्चा हुई थी, सदन में इस पर सरकार का अपना पक्ष रखा गया था और माननीय पीठ के द्वारा भी इस पर निर्देश दिया गया था कि इस पर क्या किया जा सकता है, सरकार इस पर पहल करे। तो माननीय अध्यक्ष जी, निश्चित रूप से यह बड़ा गम्भीर विषय है और सरकार इस सारे विषय की ओर गम्भीर है, लेकिन जैसा मैंने कल भी बताया कि हमारे यहाँ 15 हजार प्राथमिक विद्यालय हैं और किसी भी में प्री–प्राईमरी क्लासेस नहीं चलाई जाती हैं, नर्सरी की क्लासेस नहीं चलाई जाती हैं और अभी माननीय नेता प्रतिपक्ष डा0 हरक सिंह रावत जी ने कहा तो निश्चित रूप से इसमें दोनों चीजों का स्पष्टीकरण देना सरकार के लिए आवश्यक होगा कि एक तो उत्तराखण्ड माध्यमिक बोर्ड इनकी ट्रेनिंग नहीं देता है, इनकी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ट्रेनिंग निजी संस्थान देते हैं, एन0सी0ई0आर0टी0 का कोर्स एप्रुव होगा, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड केवल उनकी परीक्षा लेने का काम करता है और बोर्ड परीक्षा ले सकता है, बोर्ड को परीक्षा लेने का अधिकार है। कोई भी बोर्ड से प्रार्थना करे और प्रापर्ली फीस जमा करे तो बोर्ड परीक्षा ले सकता है। सरकारी स्तर पर कोई ट्रेनिंग नहीं देते हैं, तथापि यह आंदोलन 2 वर्षों से नही और पुराना है, चूँकि अभी माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने कहा कि यह विषय गम्भीर है तो सरकार भी इस पर निश्चित रूप से गम्भीर है।

मान्यवर, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी इस पर वार्ता की थी और मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष से भी यह निवेदन करना चाहूँगा कि मैं कल माननीय मुख्यमंत्री जी से इस पर मिलूँगा और उनसे निवेदन करूँगा कि आप नेता प्रतिपक्ष को अपने यहाँ बुलाकर इस पर गम्भीरता से विचार करते हुए कोई समाधान यदि निकल सकता है तो एन0टी0टी0 की जो समस्या है।

श्री अध्यक्ष–

आप भी उसमें रहेंगे।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, मैं भी उसमें रहूँगा। इस प्रदेश के जो नौजवान आंदोलन चला रहे हैं, निश्चित रूप से इसे अच्छी दिशा में समाप्त करने में सफलता मिलनी चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कल निवेदन करूँगा और नेता प्रतिपक्ष से कहना चाहता हूँ कि आप भी स्वयं इस सम्बन्ध में माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करें और फिर भी बैठकर कोई समाधान सकारात्मक दिशा में निकले, ऐसा प्रयास होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

यह तो कल पीठ से ही निर्देश हुए थे और इस विषय में कल भी आपके द्वारा भी अपना पक्ष रखा गया था, परन्तु जो एक नया तथ्य माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने कहा है मुकदमों के बारे में इसका भी आप परीक्षण करवा दें और इसमें जो व्यवस्था हो सकती है कर दीजिए।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, ठीक है। (व्यवधान) मुकदमा वापस लेने के लिए क्या व्यवस्था की जा सकती है, इसका परीक्षण भी किया जायेगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

इसमें जो भी कानूनी राहत मिल सकती है, करें।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, जैसा पीठ का निर्देश है, उसी के अनुसार इसमें कार्यवाही की जायेगी।

श्री अध्यक्ष–

इसे मैं कार्य स्थगन के रूप में अग्राह्य करता हूँ।

अगली सूचना माननीय सदस्य चौधरी यशवीर सिंह जी, मौ0 शहजाद जी और हरिदास जी की है, जो अर्द्धकुम्भ हरिद्वार में बनी सड़कों के पुनर्निर्माण हेतु कुम्भ के बजट में प्राविधान किये जाने के सम्बन्ध में है। मैं इसकी ग्राह्यता पर सुन रहा हूँ।

*चौधरी यशवीर सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए धन्यवाद। मान्यवर, पिछले अर्द्ध कुम्भ के मौके पर तत्कालीन सरकार ने हरिद्वार में कुछ सड़कों का, जो बहुत अच्छी सड़कें हैं, उनका निर्माण कराया था। मान्यवर, जो तीर्थ यात्री हरियाणा, उत्तर प्रदेश एवं दिल्ली से आते हैं, वे इन्हीं सड़कों से हरिद्वार आते हैं। मान्यवर, इसमें एक सडक पुहाना से झबरेड़ा तक है। दूसरी सडक मंगलौर से झबरेड़ा होते हुए गुरूकुल नारसन तक है। तीसरी सडक झबरेड़ा से सहारनपुर सीमा तक है और चौथी सडक मंगलौर से लेहबोली होते हुए उत्तर प्रदेश सीमा तक है।

माननीय अध्यक्ष जी, ये सड़कें रीढ़ हैं। हरिद्वार में जितने भी तीर्थयात्री और पर्यटक आते हैं वे इन्हीं सड़कों से आते हैं। इन्हें बने हुए छः या सात साल हो गये हैं। आज ये सड़कें जीर्ण–शीर्ण अवस्था में हैं। मान्यवर, एक रोड, जो पुहाना से गुरूकुल नारसन चली गयी है, इस रोड का इस्तेमाल बाईपास के रूप में भी हो रहा है। इस रोड का चौड़ीकरण होना अत्यन्त आवश्यक है, क्योंकि इस रोड पर बीच में एक छोटा सा पुल तिकोनिये का है, इस पुल का पुनर्निर्माण होना भी अति आवश्यक है। अभी कुम्भ का बजट आया है, इसकी पहली किस्त आ चुकी है। पहली किस्त में इन सड़कों में से किसी भी सड़क को नहीं लिया गया है। कुम्भ की तीन किस्त आनी है, जैसा कि बतलाया गया है। माननीय मंत्री श्री पन्त जी यहाँ पर बैठे हैं, मैं उनसे आग्रह्य करता हूँ कि इन सडकों को पुनर्निर्माण हेतु अगले बजट में ले लिया जाय।

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, माननीय चौधरी यशवीर सिंह जी द्वारा सदन का ध्यान इस महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करने के उद्देश्य से यह सूचना यहाँ पर रखी गयी। इसके सम्बन्ध में अवगत कराना है कि अर्द्धकुम्भ 2004 में जिन सडकों का सुधार कार्य कराया गया था, उनमें मंगलौर–झबरेड़ा–नारसन रोड का चौडीकरण एवं सुदृढ़ीकरण किया गया और इसकी लम्बाई 24.375 किलोमीटर थी और इसकी लागत थी 414.37 लाख रु0। मान्यवर, इसी तरह से पुहाना–झबरेड़ा मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण था, इसकी लम्बाई 14 किलोमीटर थी और इसकी लागत थी 294.02 लाख। मान्यवर, मंगलौर मण्डी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

से गुरुकुल बार्डर तक मंगलौर देवबन्द मार्ग का सुधार था 11 किलोमीटर और इसकी लागत थी 252.60 लाख रुपये।

मान्यवर, अब चूँकि कुम्भ 2010 में प्रस्तावित है और इस प्रस्तावित कुम्भ के लिए जो लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व वाली सड़कें हैं, उनके सुधार के लिए 350 लाख रुपये प्रस्तावित किया गया है। इसके माध्यम से लोक निर्माण विभाग के जो मोटर मार्ग कुम्भ क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं, उनका सुधार कार्य कराया जाना प्रस्तावित है और यदि आवश्यक हुआ तो कुम्भ के अन्दर अन्य मार्ग, जिनकी उपयोगिता कुम्भ क्षेत्र में होगी, उन मार्गों के भी सुधारीकरण का प्रस्ताव है। चूँकि अभी यह सीमित धनराशि थी, 350 लाख रुपये, इससे प्राथमिकता में जो चरण निर्धारित किया गया, उसमें इनको चिन्हित किया गया। अन्य जो मार्ग हैं, उनमें कुछ विभागीय बजट से, कुछ कुम्भ निधि से बनाने का प्रयास किया जाएगा ताकि कुम्भ को बहुत व्यवस्थित ढंग से सम्पन्न कराया जाय। वहाँ आधारभूत सुविधा हम उपलब्ध कराएं, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है कि कुम्भ के अन्तर्गत आने वाले सभी तीर्थ यात्रियों को असुविधा न हो, उस क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों को असुविधा न हो, यह प्रयास सरकार कर रही है।

श्री हरिदास--

माननीय अध्यक्ष जी, सरकार ने तो हमारी बात का जवाब ही नहीं दिया।

चौ0 यशवीर सिंह--

मान्यवर, हमारा अनुरोध है कि इन्हें अगले बजट में सम्मिलित कर लिया जाय, मेलाधिकारी को निर्देशित कर दिया जाय।

श्री प्रकाश पन्त--

मान्यवर, ये तीन मार्ग, जो मैंने बताए, इनका निर्माण अर्द्धकुम्भ में किया गया था।

श्री हरिदास--

मान्यवर, 6 साल हो गये हैं। (व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त--

मान्यवर, मैंने स्पष्ट कहा कि जितनी भी ऐसी योजनाएं हैं, उनको लिया जाएगा। चूँकि अभी तो 350 लाख रुपये का पहला बजट था। (व्यवधान)

चौ0 यशवीर सिंह--

मान्यवर, अगले बजट में मेलाधिकारी को निर्देशित कर दिया जाय।

*काजी मौ0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, इनको भी जोड़ लें, क्योंकि यदि ये सड़कें ठीक नहीं होंगी तो आप कुम्भ यात्रियों को हरिद्वार तक ले जा नहीं पाएंगे। (व्यवधान) मान्यवर, आप इन सब मार्गों को न बनवाएं, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किन्तु यदि राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक ट्रक पलट गया, तो वहाँ पर कोई दूसरा वैकल्पिक मार्ग नहीं है। आप कुम्भ यात्रियों को ले जा नहीं पाएंगे।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, सारे मार्ग, जो कुम्भ क्षेत्र के हैं, जो अति महत्वपूर्ण हैं, इनका निर्धारण किया जा रहा है कि कौन–कौन से मार्ग बनने हैं और पूरी कार्य योजना बन रही है। आप चिन्तित मत होइए। हमारी जिम्मेदारी है, हम उसको व्यवस्थित कर रहे हैं। ताकि कुम्भ क्षेत्र की व्यवस्थाओं में कहीं कोई दिक्कत न आए।

श्री हरिदास–

मान्यवर, ये सड़कें ली जाएंगी या नहीं ? (व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, जो मोटर मार्ग आपने इंगित किये हैं, उनका परीक्षण करा लेते हैं।

काजी मौ0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, परीक्षण करा कर ही ये अर्द्धकुम्भ में बनी थी।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, अगर बनने लायक होंगी तो कुम्भ में ही बनेंगी। (व्यवधान)

श्री हरिदास–

मान्यवर, हमारा सीधा–सीधा प्रश्न है कि ये बनेंगी या नहीं ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय चौ0 यशवीर सिंह और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

(बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्यों के अपने–अपने स्थान पर खड़े होकर एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान।)

काजी मौ0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, इसमें अगर का तो कोई सवाल ही नहीं है। ये अर्द्धकुम्भ में बनी थी, कुम्भ में तो इनका बनना जरूरी है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री प्रकाश पन्त–

जो अभी आवयकताएं होंगी उनको देखा जाएगा।

काजी मौ0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, यह सरकार हमें कुम्भ के प्रति संवेदनशील नहीं दिखाई देती।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, चिन्तित न हों। (व्यवधान)

श्री हरिदास–

मान्यवर, अर्द्धकुम्भ में बनी थी, आज टूट–फूट गयी है। माननीय मंत्री जी एक बार खड़े होकर कह दें कि इनको बनावाएंगे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

चौ0 यशवीर सिंह–

मान्यवर, मेलाधिकारी को निर्देशित कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष–

माननीय महेन्द्र सिंह माहरा जी।

श्री महेन्द्र सिंह माहरा "महूं भाई"–

मान्यवर, उत्तराखण्ड राज्य में नजूल भूमि को फ्री–होल्ड करने हेतु तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1999 में एक शासनादेश जारी किया गया था, जिसके अन्तर्गत लोहाघाट की शहरी जमीन को फ्री–होल्ड कर स्थानीय नागरिकों को मालिकाना हक दिया जाना था। जिस प्रशासन द्वारा उक्त जमीन को फ्री–होल्ड कराने का कार्य शुरू भी किया गया था, परन्तु अभी तक भी उक्त जमीन का फ्री–होल्ड नहीं हो पाया है, जिससे स्थानीय जनता में जबरदस्त रोष है।

अतः इस अति अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना पर, नियम–58 के अन्तर्गत स्वीकृत कर, चर्चा कराने की माँग करता हूँ। मान्यवर, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे सुनने का मौका दिया, मुझे बड़ा कष्ट है, दुःख है...।

श्री अध्यक्ष–

आप ज्यादा दुःखी न हुआ करिये।

श्री महेन्द्र सिंह माहरा "महूं भाई"–

मान्यवर, मैं तो ज्यादा दुःखी इसलिए हूँ कि हमने आपको दुःखी किया। तीसरी बार मैं यह प्रश्न ला रहा हूँ, तीन बार माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने चिट्ठी भेजी परन्तु विद्वान अधिकारियों ने एक पत्र का भी उत्तर मुझे नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, कृपया इसको देख लें कि अधिकारियों द्वारा माननीय विधायकों के, माननीय पूर्व मंत्रियों के पत्रों का उत्तर न दिया जाना, यह बहुत गम्भीर मामला है। कई बार यह बात सदन में भी आ चुकी है, इसे भविष्य में गम्भीरता से लिया जाय।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, इसे गम्भीरता से लिया जायेगा।

श्री महेन्द्र सिंह माहरा "महूं भाई"–

मान्यवर, मुझे यही कष्ट है और कोई कष्ट नहीं है। मान्यवर, जिस शहर लोहाघाट की मैं बात करना चाह रहा हूँ, 18वीं शताब्दी में, अंग्रेजों के समय में यह शहर बसाया गया था।

श्री अध्यक्ष–

आप तो जनरल डायर से भी पीछे पहुँच गये। उस समय किसका राज था यहाँ पर ? (हँसी)

श्री महेन्द्र सिंह माहरा "महूं भाई"–

मान्यवर, अंग्रेजों का राज था और मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, यदि मैं कह दूँ अपने शब्दों में कि जैसा राज आज चल रहा है, वही राज था उस समय, तो उसमें कोई अतिशयोक्ति तो नहीं होगी। (हँसी)

मान्यवर, क्षमा करें मुझे, इस शहर को अंग्रेजों के समय में, 18वीं शताब्दी में अगल–बगल के गाँवों के लोगों को बुलाकर बसाया गया था। उस समय खाम के पट्टे इनको दिये गये थे और वर्ष, 1939 में इन पट्टों की अवधि समाप्त हो गई। उसके बाद इस जमीन का कोई प्रारूप, कोई स्वरूप नहीं बनाया गया। उसके तुरन्त बाद जब देश आजाद हुआ, देश की आजादी के बाद, इसका स्वामित्व जिला पंचायत, अल्मोड़ा को सौंप दिया गया, बाद में पिथौरागढ़ को सौंप दिया गया। स्वामित्व सौंपने के बाद भी इसका प्रारूप और स्वरूप नहीं बना। वर्ष, 1999 में तत्कालीन उत्तर प्रदेश राज्य में एक शासनादेश फ्री–होल्ड के लिए जारी किया गया। उसमें सारे शहरों का फ्री–होल्ड हुआ, केवल यह 15 हजार की आबादी वाला शहर, आज जिसका कोई स्वरूप नहीं है, कोई प्रारूप

नहीं है, भवन का स्वरूप नहीं है, जमीन का स्वरूप नहीं है। इससे जो कठिनाइयां आज बेरोजगार नौजवान बच्चों के लिए आ रही है, देश और प्रदेश की जितनी योजनायें हैं, आज उनका लाभ उनको नहीं मिल पा रहा है। आज कोई बैंक इनको ऋण देने के लिए तैयार नहीं है, कोई योजनायें उनके लिए स्वरूप में नहीं आ पा रही है। आज यह तकलीफ है, व्यापारी अगर अपनी लिमिट बनाना चाहता है, अपनी दुकान की, तो व्यापारियों के ऋण की लिमिट नहीं बन रही है। कई बार मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बारे में लिखा, दो बार उनके वहाँ पर दौरे भी हुए, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से एक ही प्रार्थना की कि इसके नजूल को फ्री–होल्ड कर दें, परन्तु आज कष्ट हुआ मुझे।

मान्यवर, वर्ष, 1999 में एक शासनादेश लागू हुआ, उसके बाद भी इसका फ्री–होल्ड नहीं हुआ। वहीं पर 9 किलोमीटर दूर पर उसी जनपद का एक शहर है, चम्पावत, उसमें नाप लैंड है, उसमें सारी सुविधायें हैं। आज 20 हजार की आबादी वाले उस शहर में हम कोई भी सुविधा न तो बेरोजगार नवयुवकों को दे पा रहे हैं, न व्यापारियों को दे पा रहे हैं, न भूतपूर्व सैनिकों को दे पा रहे हैं। आज तक उस जमीन का स्वरूप किसी ने तय नहीं किया। पिछली सरकार में भी कई बार यह बातें उठी और मैं समझता हूँ कि जो अंतिम पत्र है, उसमें यह तय हो गया था कि इसको नजूल घोषित कर दिया जाय। 1977 में तत्कालीन उत्तर प्रदेश में जब हम थे, तब से राज्यपाल महोदय ने इसमें कह दिया था कि यह जो खाम की लैण्ड है, यह नजूल की भूमि घोषित कर दी जाय और फ्री–होल्ड कर दी जाय। आज तक उसमें कार्यवाही नहीं हुई। तो मैं आज इस सदन के माध्यम से आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि जो तकलीफ वहाँ के 20 हजार लोगों की आबादी वाले शहर के लोगों की है, उसको तुरन्त दूर कर दिया जाय और इसमें माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से मैं अनुरोध करूँगा कि आज इस सदन में आप आश्वस्त कर दें, फ्री–होल्ड की घोषणा कर दें, तो मुझे कोई तकलीफ नहीं।

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय महेन्द्र सिंह माहरा जी ने अति महत्वपूर्ण विषय पर सदन का ध्यान आकर्षित किया है। श्रीमन्, नगरीय क्षेत्रों में वर्तमान में दो तरह की भूमि अवस्थापित है। श्रीमन्, एक नजूल भूमि और दूसरी खाम की भूमि। निश्चित रूप से यह दिक्कत सामने आ रही है और वर्ष 1816 में जब सुगौली की संधि हुई थी और उसके पश्चात् काली तथा शारदा नदी सीमा रेखा बनी। ऐसे सभी स्थान जहाँ पर ब्रितानी हुकुमत की सेनाएं रहती थीं, उसको सामान्य प्रचलन की भाषा में खाम लैण्ड कहा गया और ऐसी सभी भूमि जो कब्जा की गयी, ब्रितानी सेनाओं के माध्यम से कब्जा की गयी भूमि थी, उसे नजूल लैण्ड, नजूल भूमि कहा गया और इसके निस्तारण के लिए नजूल मैनुवल अविभाजित उत्तर प्रदेश में आया था और अविभाजित उत्तर प्रदेश में इस भूमि को फ्री–होल्ड किया और उसको न केवल फ्री–होल्ड, बल्कि जिसके स्वामित्व में उनके ये

पट्टे हैं, उनको यह भूमि सौंपी जाय। ऐसा प्रयास अविभाजित उत्तर प्रदेश के समय में हुआ, नजूल भूमि के लिए। लेकिन खाम की भूमि में जैसा की माननीय सदस्य ध्यान आकर्षित किया है, ये प्रक्रिया परिचालित नहीं हो पायी और परिणामस्वरूप खाम के पट्टे जिन भू-स्वामियों के थे, उन पर अग्रिम कार्यवाही नहीं हो पा रही थी। हम इस विषय पर अति संवेदनशील है, प्रयास कर रहे हैं कि इन दोनों समस्याओं का समाधान हो और शीघ्र से शीघ्र इसके मार्ग को, इसके समाधान के मार्ग को निकाला जाय, ताकि स्थानीय स्तर पर जो समस्याएं हो रही हैं, इनका समाधान हो, ऐसा प्रयास हमारी तरफ से हो रहा है।

श्री महेन्द्र सिंह माहरा "महूं भाई"–

मान्यवर, एक मिनट मैं ले रहा हूँ, जैसा कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने अवगत करवाया है दिनांक 07-11-2006 का, जब उत्तराखण्ड बन चुका था, दिनांक 07-11-2006 का एक पत्र है जिलाधिकारी, चम्पावत का अपर सचिव, राजस्व विभाग, उत्तरांचल को प्रेषित किया गया था। उसमें साफ लिखा है कि कालान्तर में नोटिफाईड एरिया लोहाघाट के क्षेत्रान्तर्गत भूमि का प्रबन्धन जिला परिषद्, पिथौरागढ़ से लेकर जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ हो देते हुए उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्देश दिये गये कि विषय वस्तु के सन्दर्भ में वर्णित परिस्थितियों में राज्यपाल महोदय नजूल मैनुवल के नियम-45 के अन्तर्गत यह आदेश देते हैं कि नोटिफाईड एरिया लोहाघाट के क्षेत्रान्तर्गत समस्त नजूल भूमि का प्रबन्ध जिला परिषद्, पिथौरागढ़ से तुरन्त वापस ले लिये जाय। यह महत्वपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश शासन से जारी इस शासनादेश दिनांक 12 जुलाई, 1977 में पूर्व में निर्गत शासनादेश के अन्तर्गत जिसमें लोहाघाट भूमि को नजूल भूमि माना गया था। यह भी उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश में इस विषय पर विचार के फलस्वरूप सम्यक् पिथौरागढ़ में श्री राज्यपाल ने इस समस्त भूमि को नजूल की भूमि कहा है और यह भी निर्देश, इस शासनादेश राज्यपाल अनुभाग-2, 12 जुलाई, 1977 के माध्यम से दिये गये हैं। राज्यपाल महोदय ने वर्ष, 1977 में इसको नजूल डिकलियर कर दिया था। इसमें पुरानी सरकार में पत्रावली चली है, यदि आपके विद्वान अधिकारी इसको देखें तो इसमें कल ही सब कुछ हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मान्यवर, आप इस बात को तो सोचें कि आज राजस्व में आपकी कितनी कमी आ रही है, उस शहर से कोई राजस्व नहीं मिल रहा है, परन्तु मकान बनते जा रहे हैं। शहर का स्वरूप, भूमि का स्वरूप और भवनों का स्वरूप कुछ नहीं है। मैं तो आपसे केवल अनुरोध कर रहा हूँ, जैसे प्रदेश में सारी चीजें लागू होती हैं, उसमें और है क्या ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय श्री महेन्द्र सिंह माहरा तथा संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

श्री महेन्द्र सिंह माहरा "महू भाई"–

मान्यवर, थोड़ा सा इस पत्र में और है।

श्री अध्यक्ष–

कृपया पत्र दे दें।

श्री महेन्द्र सिंह माहरा "महू भाई"–

मान्यवर, लोहाघाट में नगरीय क्षेत्र की भूमि नजूल की भूमि है, इस भूमि पर काबिज व्यक्तियों का विनियमितीकरण किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है, क्योंकि इसके अभाव में उन्हें कानूनन कोई मालिकाना हम प्राप्त नहीं है। नियमानुसार मालिकाना हक दिये जाने का प्रस्ताव बनाकर विकास के कार्यों को गति दी जा सकेगी। इस प्रकार लोहाघाट नगरीय क्षेत्र में भूमि से सम्बन्धित वर्तमान स्थिति का विधिक परीक्षण कराकर नीति तय करना चाहें। मान्यवर, आप उनको कह दें।

श्री अध्यक्ष–

आप उनको पत्र दे दें। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, आप इनके पत्र का संज्ञान ले लें।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, मैंने कहा आप जो विषय संज्ञान में लाये हैं, उसका संज्ञान लिया जायेगा। आप इस पत्र की प्रति उपलब्ध करा दें, इसमें जो कार्यवाही है, उसको जल्द से जल्द सम्पादित करायेंगे।

श्री प्रेमानन्द महाजन–

मान्यवर, सिंचाई के लिए किसानों को उत्तराखण्ड पावर कार्पोरेशन से सरकारी नीति के तहत ट्यूबवेल सैंक्शन किया जाता है। वर्तमान समय में ऊधमसिंह नगर में लगभग साढ़े तीन सौ ट्यूबवेल के कनेक्शन सैंक्शन हैं, जिसमें विकास खण्ड गदरपुर में लगभग 40 कनेक्शन सैंक्शन हैं। 40 के 40 में किसी को आधा सामान दे दिया गया है, किसी को पौने, किसी को तार मिला है तो किसी को पोल मिला है और किसी को क्लैम्प मिला है। कुल मिलाकर एक व्यक्ति को सारा सामान दिया जाता तो कम से कम एक ट्यूबवेल तो बन पाता, इससे एक व्यक्ति को फायदा हो पाता। यह स्थिति एक दिन की नहीं है लगभग डेढ़ दो साल से बनी है। मैं समझता हूँ कि यह स्थिति आपके हरिद्वार जिले की भी होगी। यह कार्य प्रणाली है हमारे उत्तराखण्ड पावर कार्पोरेशन की। मान्यवर, ट्यूबवेल न लगने से किसान परेशान है। निश्चित रूप से किसान जब अपनी सिंचाई के लिए सेक्यूरिटी जमा करके कनेक्शन लेता है और ट्यूबवेल नहीं लग पाता है तो मान्यवर, इससे उसकी सिंचाई प्रभावित हो रही है, सिंचाई से फसल भी प्रभावित हो रही है, किसान बड़ा परेशान है, मैं तो समझता हूँ कि इससे सीधे–सीधे प्रदेश के साथ–साथ राष्ट्र की

भी हानि हो रही है। अन्न का उत्पादन किसान अपने लिए नहीं करता वह देश के लिए करता है, सबके लिए करता है। किसान खाता कितना है, अपनी उपज का अपने लिए कितना रखता है बाकी तो वह देश के लिए फायदा करता है। मान्यवर, यह जो विषय है, जो मैं पहले भी कह रहा था अभी भी कह रहा हूँ, यह तात्कालिक है, अविलम्बनीय है। इस पर मैं सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराये जाने की माँग करता हूँ।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, विकास खण्ड गदरपुर और विकास खण्ड रूद्रपुर के किसानों की समस्या के सम्बन्ध में माननीय सदस्य श्री प्रेमानन्द महाजन जी ने ध्यान आकर्षित किया है, विशेष तौर पर जो आपने विषय रखा कि ट्यूबवेल के कनेक्शन आवेदित करने के पश्चात मान्यवर, लम्बे समय तक इसका आवश्यक सामान उपलब्ध नहीं होता है। जिसके कारण ट्यूबवेल के कनेक्शन लग नहीं पाते। श्रीमन्, मैं इस विषय का परीक्षण करवा लूँगा और शीघ्रातिशीघ्र जिन किसानों ने कनेक्शन के लिए आवेदन किया है, धनराशि जमा हो गई है, तो उनको तत्काल कनेक्शन दिये जा सकें, ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

श्री अध्यक्ष–

माननीय प्रेमानन्द महाजन और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को अग्राह्य कर रहा हूँ।

*श्री मनोज तिवारी–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए बहुत–बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, इस उत्तराखण्ड राज्य का नव निर्माण कुछ भावनाओं को लेकर और उसमे सबसे ज्यादा यहाँ के विकास को, उससे भी महत्वपूर्ण यहाँ का जो हमारा नवयुवक बेरोजगार पड़ा रहता था और यहाँ से पलायन दूसरे क्षेत्रों में, और प्रदेशों में कर जाता था, इन सारी भावनाओं को लेकर हुआ था और उसमें इस पर्वतीय राज्य में पूरे प्रदेश के अन्दर सबसे ज्यादा अपार सम्भावनायें यहाँ के नवयुवकों के लिए है। उसमें या तो यहाँ का नवयुवक आर्मी में भर्ती होने के लिए जाता है या फिर उस ग्रामीण क्षेत्र का, उस निर्धन परिवेश का व्यक्ति जो आज की शिक्षा, कोई भी शिक्षा चाहे सी0पी0एम0टी0 की हो, चाहे इंजीनियरिंग की हो, जिसमें बहुत ज्यादा खर्च आता है, उसकी ओर के अलावा जो निर्धन परिवार का व्यक्ति है, वह नवयुवक जो कम शिक्षा ग्रहण करता है, वह शिक्षा के क्षेत्र में रोजगार की सम्भावनाओं को तलाशता है, जिसमें उसको लगता है कि इसमें कुछ आसानी से नौकरी मिल जायेगी, उसी के तहत पूरे प्रदेश के अन्दर शिक्षा समाज को हम सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। आज हम देख रहे हैं चाहे एन0टी0टी0 का मुद्दा हो चाहे छठे वेतनमान का हो, चाहे पी0टी0ए0 का हो और उसके साथ जिस विषय की मैं बात कर रहा हूँ विशिष्ट बी0टी0सी0 के प्रशिक्षित, उनका पूरे प्रदेश के अन्दर आन्दोलन चल रहा है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

माननीय अध्यक्ष जी, पिछली सरकार ने भी जो हमारे बी0एड0 के लोग थे और जो पूरी अर्हता रखते थे और अपने आपको एल0टी0 के पद के समान पाते थे। लेकिन उन्होंने इस बेरोजगारी के समय अपने–आपको उस प्राथमिक विद्यालय में और हम सब की भावनाओं को देखते हुए, उस ग्रामीण क्षेत्र की जनता की भावना को देखते हुए उस प्राथमिक विद्यालय, जो एकल विद्यालय चल रहा, या सुदूरवर्ती क्षेत्रों में जो विद्यालय बन्द पड़े हैं, वहाँ पर विशिष्ट बी0टी0सी0 के प्रशिक्षित के रूप में पढ़ाया। लेकिन वर्तमान की सरकार ने उस प्रक्रिया में भी विराम लगा दिया है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से एक अनुरोध करना चाहता हूँ कि जो विशिष्ट बी0टी0सी0 के प्रशिक्षित यहाँ पर आन्दोलनरत् हैं, सबसे पहले जो एल0टी0. है, एल0टी0 में सरकार विज्ञप्ति निकालेगी उसके साथ–साथ जो प्राथमिक विद्यालय में पद रिक्त होते हैं विशिष्ट बी0टी0सी0 के प्रशिक्षु के जिसके लगभग पाँच हजार हैं, उन पदों को भरने का काम करेगी और उसके साथ–साथ हम इस बात को भी समझते हैं कि सरकार अपने बचाव में इस बात को भी रखेगी कि हम बी0टी0सी0 को प्रारम्भ करने जा रहे हैं। लेकिन हम जानते हैं कि जिस बात को सरकार कहेगी किसी भी बी0टी0सी0 की प्रवेश परीक्षा या उसका जो भी दीर्घ कार्यकाल होता है, उसको कहीं न कहीं समय लगेगा। लेकिन जो आज बेरोजगारों की शिक्षा विभाग में फौज खड़ी है, आज जगह–जगह जो आन्दोलन हो रहे हैं और आज जो प्राथमिक विद्यालय सुदूरवर्ती क्षेत्र में हैं, उस भावना को मैं समझता हूँ, शिक्षा मंत्री जी शायद समझते हैं या नहीं समझते हैं, उन भावनाओं को देखते हुए आप इस पीठ से शिक्षा मंत्री जी को आदेशित करने की कृपा करेंगे कि शीघ्र से शीघ्र जो हमारे लगभग पाँच या आठ हजार, जो मेरी जानकारी के अनुसार खाली हैं प्राथमिक विद्यालय में मान्यवर, इन खाली सीटों को प्राथमिकता के आधार पर, जो विशिष्ट बी0टी0सी0 के अभ्यर्थी हैं, इनके द्वारा इन सीटों को सरकार भरेगी और मैं अनुरोध करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपके माध्यम से यहाँ पर माननीय शिक्षा मंत्री जी कोई न कोई ठोस आश्वासन इस सदन को देंगे।

*श्री करन मेहरा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं केवल माननीय सदस्य श्री मनोज तिवारी जी की बात से अंपने को सम्बद्ध करते हुए इतना इस बात पर और जोड़ना चाहता हूँ। चूँकि उत्तराखण्ड राज्य की जो भौगोलिक परिस्थिति है और जो आज के दिन में परिस्थिति है। यहाँ बहुत सारे साधन नहीं हैं जिससे अपने बच्चों को रोजगार दे सकें। मानव संसाधन ही एक ऐसा काम हो सकता है जिसमें मानव संसाधन को विकसित करके अपने बच्चों को रोजगार दें। मैंने पहले भी इस सदन में कहा था कि हम दिमाग बेचने का काम कर सकते हैं। टूरिज्म या हॉर्टीकल्चर या एग्रीकल्चर की हम बात करते हैं इस पर बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है और बहुत ज्यादा समय लगेगा। बहुत सारे परिवार हैं जिसके पास इतनी भूमि ही नहीं है कि वे कृषि का काम का सकें। केवल मानव संसाधन ही ऐसा केन्द्र है, जिसमें अपनी योग्यता के अनुसार हमारे प्रदेश के नवयुवक को अपने को उभारने का मौका मिलेगा।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मेरा आपकी पीठ के माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री से निवेदन है कि वे केवल आबकारी विभाग की ओर ध्यान न देकर, शिक्षा विभाग, जो बहुत महत्वपूर्ण विभाग है, हमारा अपने वाला भविष्य, जिस पर निर्भर है, उस पर गम्भीरता से विचार करेंगे और जो हमारे प्राइमरी विद्यालय हैं, जिनमें आठ हजार से ज्यादा पद रिक्त हैं। कई ऐसे विद्यालय हैं जो मेरी जानकारी हैं, जिसमें डेढ़ से दो सौ तक बच्चे पढ़ते है और उनमें मात्र एक शिक्षक के माध्यम से स्कूल चलाया जा रहा है। जिससे वहाँ आने वाले बच्चे जो पढ़ के निकलेंगे उनके भविष्य की ओर हमारी चिन्ता है। दिनों-दिन अपराध बढ़ रहे हैं, उसके पीछे भी एजुकेशन की कमी है और वही एक बड़ा कारण है। मैं चाहूँगा माननीय अध्यक्ष जी, हमारे शिक्षा मंत्री जी विशिष्ट बी0टी0सी0 का प्रशिक्षण आगे लागू रखें। जो हमारे बी0एड0 करके जो बेरोजगार बच्चे हैं और घरों में बैठे हैं, राज्य के विकास में, राज्य की सेवा में अपनी भूमिका को अदा करेंगे और मैं चाहूँगा कि अब इस पर माननीय शिक्षा मंत्री जी निर्देशित करेंगे, उस पर माननीय शिक्षा मंत्री जी अवश्य कार्यवाही करेंगे।

श्री मदन कौशिक-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मनोज तिवारी जी और माननीय करन मेहरा जी ने विशिष्ट बी0टी0सी0 को निरन्तर जारी रखने के सम्बन्ध में जो नियम- 58 के अन्तर्गत सूचना इस सदन को दी। इस सम्बन्ध में मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि वर्तमान में जो विशिष्ट बी0टी0सी0 की प्रक्रिया है, वह जारी है। दूसरा में निश्चित रूप से कहूँगा अपने प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों से भी, कि हम इस राज्य को उस दिशा में ले जाना चाहते हैं, जहाँ कम से कम इस सदन के माध्यम से वो जानकारी हमारे उन नवजवानों के पास जाये और वह जानकारी जनता तक जाये, जिससे हमारे नवजवान और जनता कम से कम इस सदन के माध्यम से गुमराह न हो। यदि गलत जानकारी इस सदन के माध्यम से जायेगी या गलत जानकारी जाने के बाद कोई क्षेत्र में इस तरह का माहौल बनेगा कि कहीं न कहीं इस प्रदेश का नवजवान या जनता ये महसूस करेगी। हाँ, जो जानकारी का अभाव है, उससे इस प्रकार की कोई न कोई घटना घटित हो रही है। मान्यवर, मैं यहाँ यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि पूरे राज्य के अन्दर वर्तमान में 20676 पद प्राथमिक विद्यालयों में सृजित हैं और वर्तमान में इसके बदले 15675 पद पर सहायक अध्यापक काम कर रहे हैं और 5001 पद रिक्त हैं, उनके सापेक्ष मैं 5520 पद विशिष्ट बी0टी0सी0 भर्ती की प्रक्रिया वर्तमान में जारी है। उसमें से कुछ नहीं आये यानी वर्तमान में हम इस पर पूरा विचार करें तो ऐसी परिस्थिति वर्तमान में है कि सृजित पदों के सापेक्ष इन विशिष्ट बी0टी0सी0 की भर्ती होने के पश्चात सृजित पद नहीं है।

ये सूचना देकर कि आठ हजार पद रिक्त हैं मान्यवर, ये तो आंकडें हैं, कोई ऐसा भी नहीं है कि इनको हम बिना जानकारी के बोल सकते हैं। हम यह भी नहीं कह रहे हैं कि हम इस प्रक्रिया को बन्द करने जा रहे हैं और हम इस प्रक्रिया को इसके बाद भरेंगे नहीं। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही उसके बाद कितने पद बचेंगे, कितने पद रिटायरमेन्ट होंगे उसके बाद ही शुरू हो पायेगी। सन् 2012 तक हमने अभी आँकड़े लिए

हैं कि 1625 ऐसे पद होंगे जो रिटायरमेन्ट के बाद मिलेंगे। कुछ प्रमोशन के बाद जो पद रिक्त होंगे। इन सब पदों को इस समय निकाला जा रहा है कि 2012 तक हमारे पास कितने पद होंगे, कितने पद रिटायरमेन्ट के होंगे और कितने पद प्रमोशन के बाद मिलेंगे, इन सब चीजों के बाद निश्चित रूप से इस पर निर्णय लेंगे। जैसा कहा जा रहा है कि विशिष्ट बी0टी0सी0 बन्द कर रहे हैं, कोई ऐसा उत्तर अभी सरकार की तरफ नहीं आया है। यह सही है कि नियमित बी0टी0सी0, हमने कहा कि हम नियमित बी0टी0सी0 प्रारम्भ करेंगे क्योंकि जिस प्रकार की गुणवत्ता की हम बात कर रहे हैं, तब उसका नियमित रूप से एक अध्यापक मिलेगा। मान्यवर, मैं सदस्यों को, उनकी चिन्ता को, निश्चित रूप से इस सदन के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ऐसा कोई निर्णय सरकार ने नहीं लिया है कि विशिष्ट बी0टी0सी0 हम तत्काल बन्द करें। हमने जो कहा कि पहला बैच जो 5520 पदों का है, वह गतिमान है, उसके बाद कोई कार्यवाही की जायेगी।

श्री मनोज तिवारी--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं शिक्षा मंत्री की तरफ से एक जानकारी चाह रहा था, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपने अभी कहा, पद सृजित की बात आई, तो यहाँ पर हमारे जो नौनिहाल हैं, उनके और राज्य के भविष्य की बात है। 40 पर एक अध्यापक का मानक हमारे यहाँ माना गया है। पहले तो मेरा यह मानना है और सदन से भी मेरी गुजारिश है कि इस मानक को भी चेंज करना चाहिए। क्योंकि उसमें कक्षाओं का कहीं उल्लेख नहीं है। 40 बच्चे अगर 1 से लेकर 5वीं कक्षा तक हैं तो भी एक ही अध्यापक है तो कैसे एक अध्यापक हर विषय पर बच्चों का ध्यान दिला सकता है। दूसरी बात कुल कितने छात्र हमारे यहाँ पंजीकृत विद्यालयों में पंजीकृत हैं और उनके सापेक्ष में कितने अध्यापक हमारे यहाँ हैं, इन सब चीजों पर ध्यान देते हुए हमें पदों की बात करनी चाहिए। मान्यवर, मेरा तो मानना है कि कक्षाओं के हिसाब से जितने विषय हैं, उस हिसाब से अध्यापकों की नियुक्ति की जानी चाहिए और पद सृजित होने चाहिए, क्योंकि भविष्य से सम्बन्धित मामला है। राज्य के भविष्य के बारे में।

श्री अध्यक्ष--

माननीय शिक्षा मंत्री जी, इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे ?

श्री मदन कौशिक--

मान्यवर, माननीय सदस्य जी ने जो चिन्ता जाहिर की है तो मैं यह अवगत जरूर कराना चाहूँगा कि हिन्दुस्तान के हम उन राज्यों में सम्मिलित हैं, जहाँ पर छात्र और शिक्षक का अनुपात हमारे यहाँ पर 28 है। जहाँ पर कुछ शिक्षक इस रूप में होंगे कि कहीं ज्यादा हैं और कहीं कम हैं तो उनको हम व्यवस्थित करने का काम कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक सवाल है गम्भीरता का तो सरकार भी गम्भीर है और गम्भीरता का इससे बड़ा प्रमाण क्या मिल सकता है कि 18-19 महीनों में हम लोगों ने 10 हजार से भी ज्यादा शिक्षकों की भर्ती की है। इससे बड़ी गम्भीरता की बात और क्या हो सकती है। (मेजों की थपथपाहट)

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्य श्री मनोज तिवारी और माननीय शिक्षा मंत्री को सुनने के बाद मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ। (व्यवधान के मध्य)

कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"–

माननीय अध्यक्ष जी, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने आज हमारी सूचना को, जो जनहित की है, नियम–58 में उठाने का मौका दिया है। मान्यवर, आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा कि राजस्थान के गूजर आंदोलन के समर्थन में दिनांक 7 जून, 2008 को लक्सर में भी आन्दोलन आयोजित किया गया। सब कुछ बड़ा शांतिपूर्वक हो रहा था। रेलवे फाटक पर आधे घण्टे का सांकेतिक जाम लगाया गया, उसके बाद लण्ढौरा, हरिद्वार चौराहे पर जा करके पुतला दहन किया गया। उसके बाद जनता लौट रही थी। रेलवे फाटक पर दोबारा भीड़ हो गयी। फाटक उस समय बन्द था। तभी एस0डी0एम0, लक्सर दनदनाते हुए पहुँचते हैं, जन समुदाय और जनता को भद्दी–भद्दी बात और अपशब्द कहते हैं और 75–80 साल के वृद्ध पर डण्डे से प्रहार करते हैं, उनको चोट लग जाती है, सर फट जाता है। आप देखें कि यह दुर्भाग्य है कि जिस अधिकारी को प्रशासनिक दक्षता का परिचय देना चाहिए था, जिसको संयम से काम लेना चाहिए था, वो क्रोध में अपना नियंत्रण भूल जाते हैं, अपनी मर्यादाओं को भूल जाते हैं और एक वृद्ध व्यक्ति पर प्रहार करते हैं और यह वास्तिवकता है कि ऐसा देखते हुए चाहे मैं हूँ या कोई भी हो, अगर किसी वृद्ध व्यक्ति पर प्रहार किया जायेगा तो किसी से रहा नहीं जायेगा। अनायास ही पत्थर फेंके गये और एस0डी0एम0 साहब को चोट आ गई और यह किसी ने नहीं देखा कि गलती किसकी थी। उस कृत्य के लिए स्वयं एस0डी0एम0 जिम्मेदार थे, लेकिन बेकसूर कांग्रेस कार्यकर्ता जिनका मतलब नहीं था, 70 साल के बेकसूर मास्टर श्री जगमेर सिंह जी, जो 10 साल से रिटायर हो गये हैं, चौ0 सूबेराम जी, 68 साल के हुसैनपुर वाले, जिनके हाथ में फ्रैक्चर था, उनका नाम एफ0आई0आर0 में लिखवाया गया।

यदि विधायक का नाम लिखवा देते तो कोई दिक्कत नहीं थी, अपना 51 इंच का सीना लेकर सबसे पहले जेल जाने के लिए पहुँच जाते। मेरा नाम न लिखवा करके कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न कर रहे हैं, यह कहाँ की बात है और ऐसा लग रहा है कि वर्तमान में जो भाजपा सरकार है, उसमें लग रहा है कि "कार्यकर्ता करें पुलिस का अपमान, बेईमान हो रहे बलवान, वाह रे वाह उत्तराखण्ड की भाजपा सरकार तुम्हारा विपक्ष हनन है महान"। मान्यवर, मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस कार्यकर्ता ने जो नहीं किया है उन्हें उसकी सजा दी जा रही है, लेकिन प्रजेन्ट गवर्नमेन्ट का वायस कैसा है कि युवा मोर्चा के कार्यकर्ता कुछ करते हैं तो कोतवाल का ट्रांसफर हो जाता है, उनके खिलाफ मुकदमा नहीं होता है, हरिद्वार में कोतवाल की आंख फोड़ दें तो मुकदमा वापस हो जाता है और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमे किये जा रहे

हैं। मैं इसका विरोध करता हूँ और इस महत्वपूर्ण मुद्दे को आपके समक्ष लाते हुए न्याय की उम्मीद करता हूँ कि लक्सर निवासियों के साथ, जो 150 गाँव के तीन हजार कार्यकर्ता उस दिन आये थे, एक जनहित के मुद्दे को लेकर के आये थे, उनके साथ इंसाफ होगा। उन दो मुकदमों को जो एक मुकदमा जी0आर0पी0 ने दर्ज किया और दूसरा मुकदमा पुलिस ने दर्ज किया है, यह दो मुकदमे हैं, एक मुकदमा नहीं है और यह शासन के संज्ञान में आना जरूरी है, इन दोनों मुकदमों की अद्यतन स्थिति जानकर कृपया आवश्यक कार्यवाही करें, आप हमारे संरक्षणदाता हैं।

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, आपने नियम-58 पर माननीय सदस्य कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन" को सुना, अभी इन्होंने जो नोटिस दी है, यह 7 जून, 2008 की घटना की दी है और यह आपकी सदाशयता का परिचय है कि आपने 7 जून, 2008 की नोटिस को आज नियम-58 में सुना है। नियम-58 में स्पष्ट रूप से प्राविधानित है, उसके बावजूद भी आपने ये संरक्षण अपनी सम्मानित पीठ से दिया है।

श्री अध्यक्ष–

आज सदन का आखिरी दिन है और मेरे ख्याल से इस वर्ष का भी आखिरी सत्र होगा।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, अब तो प्रतिपक्ष के साथी आक्षेप नहीं लगायेंगे। (व्यवधान)

काजी मौ0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, पीठ पर हमने कोई आक्षेप नहीं लगाया, पीठ पर हमें पूरा विश्वास है।

श्री अध्यक्ष–

ऐसी कोई बात नहीं है आप सभी पीठ को मानते हैं।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, अभी जिस विषय को माननीय विधायक जी ने यहाँ पर रखा है, चूँकि यह विषय न्यायालय में विचाराधीन है और इस विषय पर सदन के अन्दर चर्चा किया जाना उपयुक्त नहीं होगा, अतः मेरा आपसे आग्रह है कि कृपया इसको अग्राह्य करें।

श्री अध्यक्ष–

माननीय कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन" और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के बाद मैं इसे अग्राह्य करता हूँ।

(श्री अध्यक्ष द्वारा माननीय सदस्य श्री राजेश जुवांठा जी का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य सदन में उपस्थित नहीं थे।)

श्री किशोर उपाध्याय--

मान्यवर, हमारी सम्मिलित सूचना है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि पहले श्री मनोज तिवारी जी को बोलने का अवसर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष--

श्री मनोज तिवारी एक बार बोल चुके हैं। कल करन मेहरा भी बोल चुके हैं, अब दुबारा नहीं बोलेंगे।

श्री प्रकाश पन्त--

मान्यवर, नियम-58 पर एक माननीय सदस्य एक बार ही बोल सकता है।

श्री किशोर उपाध्याय--

माननीय अध्यक्ष जी, आपका और सभी सदस्यों का आशीर्वाद रहेगा तो सदा किशोर ही रहूँगा और माननीय मुन्ना भाई, मुन्ना ही बने रहेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, यद्यपि यह प्रकरण नवसृजित राज्य के लिए इतना महत्वपूर्ण था कि सदन की सारी कार्यवाही स्थगित करते हुए नियम-310 के अन्तर्गत इस पर विचार होना चाहिए था, लेकिन आपका आदेश हमें शिरोधार्य है। आपने नियम-58 के अन्तर्गत इस पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, यह राज्य शहादतों से, लोगों के संघर्ष से, हमारी माताओं, बहिनों के बलिदान से, हमारे नौजवानों, छात्रों, भूतपूर्व सैनिकों के संघर्ष से आज यह एक राज्य के रूप में हमारे सामने है और इसी की वजह से यह विधान सभा भी है। मान्यवर, यह राज्य हम लोगों ने और मैं भी इस राज्य के संघर्ष का एक छोटा सा सिपाही रहा हूँ, इसलिए इस राज्य का संघर्ष किया था कि ये राज्य भ्रष्टाचार मुक्त होगा, यहाँ की सरकारें संवेदनशील होंगी, आम आदमी की बात सुनेंगी, आम गरीब की बात सुनेंगी। लेकिन ठीक उसका उल्टा हो रहा है। ये राज्य, आज जो सत्ता में बैठे हुए है, जो सत्ता को चला रहे हैं, जो अधिकारी सत्ता का संरक्षण पा रहे हैं, उनकी लूट-खसोट और उनके भ्रष्टाचार की एक बड़ी भारी मांद बन गया है और इसी तरह का एक प्रकरण सारी प्रक्रियाओं को, सारी मान्यताओं को दरकिनार करते हुए और वह भी सबसे महत्वपूर्ण जो विभाग है और जो सबसे महत्वपूर्ण काम है और उस विभाग में 185 लाख का सीधे-सीधे घोटाला हुआ है।

मान्यवर, अगर हमारे सजग पत्रकार इस बात को नहीं उठाते कि सारे नियमों को ताक में रख करके, सारी प्रक्रियाओं को ताक में रख करके, इस राज्य को लूटने का काम किया जा रहा है तो यह घोटाला कम से कम 1500 लाख रुपये का होता। जिस प्रकरण की मैं बात कर रहा हूँ, सरकार ने जियोग्राफिकल इन्फॉरमेशन सिस्टम कम्प्यूटर प्रणाली खरीदने के लिए जो औपचारिकताएं होती है, उन सब को उस समय दरकिनार करते हुए जब इसको खरीदने का निर्णय लिया और उस समय तत्कालीन जो मुख्य सचिव

हैं, सचिव हैं उनके सामने जो पी0एस0आई0 (पब्लिक साईंस इन्स्टीट्यूट) ने 22 लाख रुपये की मांग सरकार के सामने रखी थी, आप जो ये प्रणाली लगाना चाहते हैं उसको हम 22 लाख रुपये में आपको उपलब्ध करवा देंगे। मान्यवर, कल भी हमने उससे सम्बन्धित पत्रावली, अब चाहे वो सूचना के अधिकार के माध्यम से प्राप्त की हो, चाहे किसी और माध्यम से प्राप्त की हो, मान्यवर, पूरी पत्रावली आपके संज्ञान के लिए पीठ को दी है कि किस तरह से इसमें अनियमितताएं हुई हैं। एक वरिष्ठ आई0ए0एस0 अधिकारी, जो इस कॉडर के भी नहीं हैं, अचानक अवतरित होते हैं और यह कहते हैं कि मेरा उत्तराखण्ड से बड़ा भारी प्रेम है, इस पवित्र धरती से मेरा बड़ा भारी प्रेम है और मैं इस पर काम कर रहा हूँ, इसलिए मैं इस राज्य की सेवा करना चाहता हूँ, मैं राज्य की सेवा में मुफ्त में यह प्रणाली आपको उपलब्ध करवा दूँगा।

मान्यवर, जब उस पर कार्यवाही आगे बढती है, तो अचानक ही यह कहा जाता है कि इसमें तो हमारा कुछ खर्चा आता है, इसलिए ज्यादा तो नहीं लेकिन अगर आप हमको 3 लाख रुपये दे देंगे तो 3 लाख रुपये में यह प्रणाली आपको उपलब्ध हो जाएगी। मान्यवर, 22 लाख और मुफ्त की जगह 3 लाख रुपये में, लेकिन अचानक ही पता नहीं कैसे यह स्थिति उत्पन्न हो जाती है और किस तरह से अधिकारियों को दबाव में लेकर अचानक ही एक कम्पनी अस्तित्व में आती है, न्यू इंक कम्पनी और फिर यह तय होता है कि अब न्यू इंक कम्पनी के माध्यम से इस सिस्टम को, इस एक सी0डी0 को 90 हजार रुपये में उपलब्ध करवाया जाएगा। मान्यवर, एक सी0डी0 90 हजार में, जहाँ पहले मुफ्त की बात थी, वह अब 90 हजार रुपये में उपलब्ध करवाई जाएगी और आनन–फानन में कई विभाग उस सी0डी0 को लेने में उत्सुकता दिखाते हैं। कई अधिकारी उसमें आपत्ति भी करते हैं कि यह ठीक नहीं है, बिना टेण्डर की औपचारिकता के नहीं लेना चाहिए। एक लाख से ऊपर का कोई भी क्रय बिना टेण्डर के नहीं हो सकता है। फिर अचानक पता नहीं कैसे 90 हजार रुपये की सी0डी0 का मूल्य निर्धारित होता है और वह 90 हजार की जगह 50 हजार की हो जाती है।

*श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, मंदी का जमाना है।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, इसी मंदी के चक्कर में आप लोग सत्ता में आ गये, लोगों को बरगला कर, सत्य से परे बातें करके कि हम मंदी को घटा देंगे। इसी प्रकार मंदी का जमाना आया है, इस भ्रष्टाचार में, जो मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ। (व्यवधान) मान्यवर, अचानक यह कहा जाता है कि सी0डी0 की कीमत 50 हजार रुपये हो गया है और अधिकारियों को दबाव में लेकर हिल्ट्रॉन 100 सी0डी0 खरीदता है और 50 लाख रुपये

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

का भुगतान कर दिया जाता है, राजस्व विभाग 88 सी0डी0 खरीदता है और 44 लाख रुपये का भुगतान कर दिया जाता है, हैल्थ सिस्टम 20 सी0डी0 खरीदता है और 10 लाख रुपये का भुगतान कर दिया जाता है। उत्तरांचल स्पेशल एप्लीकेशन सेन्टर 150 सी0डी0 खरीदता है और 75 लाख रुपये का भुगतान कर दिया जाता है, इस तरह से और भी विभागों में हो सकता है, खरीदी गयी हो, और भी विभागों को सी0डी0 उपलब्ध करवाई गयी हो। जो कम्प्यूटर के विशेषज्ञ हैं, सी0डी0 के बारे में जानकारी रखते हैं, जब उसका आंकलन करते हैं।....... (व्यवधान)

मान्यवर, यह हंसने की बात नहीं है, यह बहुत गम्भीर मामला है, इस राज्य की जड़ों को खोखला किया जा रहा है, भ्रष्टाचार के माध्यम से। जब इस सी0डी0 का परीक्षण होता है, यह पत्रावली में अंकित है, विशेषज्ञ यह लिखते हैं कि यह सी0डी0 तो 20 रुपये की भी नहीं है। (शेम-शेम की ध्वनि)

इस सी0डी0 की कीमत 20 रुपये भी नहीं है और अगर हमारे जो चौथे स्तम्भ के सजग प्रहरी हैं, अगर उन्होंने साहस नहीं दिखाया होता और मैं इस सम्मानित सदन के माध्यम से सदन के समक्ष कहना चाहता हूँ कि जो हमारे चौथे स्तम्भ के प्रहरी हैं, जिन लोगों ने इस बात को उजागर किया, उनके सरकारी विज्ञापन बन्द करवा दिये गये और उसके साथ-साथ उनको प्रताड़ित किया गया। अब तो मान्यवर, इस राज्य में चौथा स्तम्भ भी सुरक्षित नहीं है, ऐसे राज्य की कल्पना हम लोगों ने नहीं की थी, ऐसे राज्य के लिये हमारे लोगों ने शहादत नहीं दी थी। जो संदर्भित लोग है, वह सीधे-सीधे चुने गये लोकशाही के सबसे ऊँचे पद पर बैठे हुए हैं, उन लोगों का संरक्षण उन अपराधियों को प्राप्त है, उन भ्रष्टाचारियों को प्राप्त है। मान्यवर, इस राज्य का, जिसकी अभी चर्चा हो रही थी, जिसके लिये हमारे इतने बेरोजगार आत्महत्या तक हो मजबूर हो रहे हैं, इस राज्य को इस सब के लिए थोड़े ही अस्तित्व में लाया गया था। इसलिए कुर्बानियां नहीं दी गई थी कि हमारे बेरोजगार आत्महत्या के लिए उतारू हों। जो 185 लाख रुपये भ्रष्टाचार में चला गया है, उससे कुछ हाथों को तो काम दिया जा सकता था।

मान्यवर, इन भ्रष्टाचारियों को सीधे-सीधे सत्ता का संरक्षण प्राप्त है और अभी कुछ समय पूर्व तक वह सज्जन मुख्यमंत्री के सचिव रह चुके हैं। जिन सज्जन ने यह सारा कांड किया है, जो भ्रष्टाचार की बुनियाद डाली है, वह सज्जन मुख्यमंत्री के सचिव रह चुके हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्रीगण कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार मुक्त हैं, हम बहुत ईमानदार हैं, वह सिर्फ कहने से ही नहीं चलेगा, साथ में उसे दिखाई भी देना चाहिए। अगर आप भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दे रहे हैं।...

श्री अध्यक्ष-

माननीय उपाध्याय जी, सभी चीजें विस्तार से आ गई हैं।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, यह बहुत गम्भीर मामला है, इसी विभाग की यह हालत नहीं है, बल्कि हर विभाग की यही स्थिति है।

श्री अध्यक्ष–

विस्तार से यह विषय आ गया है।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, कल हमने आपको पत्रावली दी थी, यह आपको मिल गई होगी।

श्री अध्यक्ष–

जी, मिल गई है।

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, बहुत ही संजीदगी से और गम्भीरता से माननीय सदस्य श्री किशोर उपाध्याय जी, जो काफी विद्वान सदस्य हैं उन्होंने इस विषय को अपनी कुशल वाकपटुता के माध्यम से रखने का प्रयास किया और उससे भी ज्यादा उस विषय को गम्भीरता देने का प्रयास माननीय सदस्य, मसूरी, श्री जोत सिंह गुनसोला जी ने अपनी बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से किया है।

(माननीय सदस्य श्री किशोर उपाध्याय ने अपने स्थान पर बैठे हुए कुछ कहे जाने पर)

श्री अध्यक्ष–

जैसे आपने प्रश्न किया, वैसे ही उसका उत्तर आ रहा है।

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, चूँकि दोनों माननीय सदस्यों के माध्यम से, एक माननीय सदस्य ने अपनी वाकपटृता से और एक माननीय सदस्य अपनी बॉडी लैंग्वेज से इस विषय को बड़ा गम्भीर विषय बनाने का प्रयास किया। मान्यवर, जब कल विषय उठा था और उससे पूर्व भी इस विषय पर अनेकों बार चर्चाएं होती रही तो मुझे भी एक क्षण को ऐसा लगा कि यह बहुत बड़ा गम्भीर विषय है, लेकिन जब श्रीमन्, इसकी गहराई पर गया मैं तो श्रीमन्, वो मैं सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूँ। श्रीमन्, यह प्रकरण जुलाई, 2005 से प्रारम्भ हुआ। श्रीमन्, जुलाई, 2005 में श्रीमन्, कौन सत्ता में था, कौन सरकार में था, यह श्रीमन्, [illegible] सदन जानता है और उसके पश्चात् श्रीमन्, उस समय यह प्रस्ताव आया जिस [illegible] उल्लेख माननीय किशोर जी ने किया, माननीय सदस्य ने किया।

श्री किशोर उपाध्याय--

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी की जानकारी को सही कर देता हूँ। यह 31 अक्टूबर, 2004 में शुरू हुआ मान्यवर, प्रकरण। अब एक साल और पहले चले गये। 31 अक्टूबर, 2004 को जो पीपुल साइंस इंस्टीट्यूट के सम्मानित अध्यक्ष हैं, मुख्य सचिव के कमरे में ये प्रकरण शुरू हुआ मान्यवर, इसलिए इसको दुरूस्त कर लें।

श्री प्रकाश पन्त--

श्रीमन्, आपकी बात आ गयी है, मैं अपनी बात कह रहा हूँ। श्रीमन्, उसके पश्चात् जो यह प्रकरण आगे बढ़ा और प्रस्ताव, निश्चित रूप से पहले के रहे होंगे, कई बैठकें होती हैं, कई बार चिट्ठियां दी जाती हैं, लेकिन जहाँ के पत्रावली में प्रारम्भ हुआ, वो मैं जिक्र आपसे कर रहा हूँ। उसके पश्चात् संशोधित स्वरूप में 10 जून, 2006 को न्यू इंक पब्लिकेशन प्राईवेट लिमिटेड ने आग्रह कराया तत्कालीन सरकार को कि उत्तरांचल इन्फॉरमेशन सिस्टम के रूप में एक जी0आई0एस0 एप्लीकेशन पैकेज और ये पैकेज जिसके माध्यम से उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था उस सॉफ्टवेयर में की है कि जो उत्तरांचल के बारे में ग्राम स्तर तक की महत्वपूर्ण सूचनाओं को उपलब्ध करा सकता है और तत्कालीन समय में श्रीमन्, अब 10 जून, 2006 को किसकी सरकार थी, कौन सत्ता में था, यह विषय विचार का नहीं है, यह विषय चिंतन का भी नहीं और उसके पश्चात् तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने 14 जून, 2006 को यह अनुमति प्रदान की श्रीमन्, और उसके माध्यम से 50 हजार रुपये प्रति सॉफ्टवेयर श्रीमन्, ये क्रय करने की प्रक्रिया प्रारम्भ हुई और जिसके तहत मुख्य राजस्व आयुक्त कार्यालय में जो हिल्ट्रान के माध्यम से सॉफ्टवेयर क्रय किये गये और प्रत्येक लाईसेन्स की कीमत 50 हजार रुपये और 80 लाईसेन्स क्रय किये गये। कुल इसकी कीमत 40 लाख रुपये हुई।

श्रीमन्, सूचना प्रौद्योगिकी विकास अभिकरण द्वारा विभिन्न विभागों को उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से 12 लाईसेन्स खरीदे गये और 50 हजार रुपये प्रति लाईसेन्स की दर से इसकी कीमत 06 लाख रुपये हुई। श्रीमन्, उत्तराखण्ड हेल्थ सिस्टम विकास परियोजना निदेशक द्वारा 02 लाईसेन्स क्रय किये गये और इन लाईसेन्सों की कीमत 01 लाख रुपये हुई श्रीमन्, और इस तरह से कुल 94 लाईसेन्स क्रय किये गये आज की तिथि तक और जिनकी कीमत 47 लाख रुपये हुई। अब श्रीमन्, विचारणीय विषय ये है कि जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि एक सी0डी0 है और सी0डी0 की कीमत 20 रुपये है, ये माननीय सदस्य ने सदन को अवगत कराया। श्रीमन्, एक सी0डी0 जो ब्लैंक सी0डी0 है श्रीमन्, वो 20 रुपये की हो सकती है, लेकिन एक बौद्धिक सम्पदा जिसके माध्यम से एक सॉफ्टवेयर बनाया गया है, उस सॉफ्टवेयर की कीमत आंकना निश्चित रूप से [illegible] संसाधन की (व्यवधान)

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी तथ्य से परे बातें रख रहे हैं। मान्यवर, ये मैंने नहीं कहा मान्यवर, इस लोडेड सी0डी0 का जिन्होंने आँकलन किया है, उन्होंने कहा है ये , और यह पत्रावली में अंकित है।

श्री अध्यक्ष–

जिस मैग्जीन का आप सन्दर्भ दे रहे हैं तो सदन मैग्जीन का सन्दर्भ तो लेता नहीं है, न संज्ञान लेता है।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, सदन तो श्रीमन्, आपकी बात का संज्ञान लेगा ना, सदन किसी अखबार में कही गयी बात का संज्ञान भी नहीं लेगा, किसी पत्रावली की बात का भी नहीं, सदन आपकी बात का संज्ञान लेगा। श्रीमन्, किसी बौद्धिक क्षमता का आंकलन हम बाजार में बिकने वाली ब्लैंक सी0डी0 से करें, यह उचित नहीं है। यह व्यवस्था जिसके तहत यह क्रय किया गया अभी तक जितने सॉफ्टवेयर क्रय किये गये हैं उनके लाइसेंस क्रय किये गये हैं उनकी कीमत 47 लाख रुपये है 94 लाईसेन्स की। अब इस तरह से इस सम्पूर्ण प्रकरण को हम देखें तो यह पायेंगे कि यह पूरी तरह से जैसे कि आपने नोटिस में भी कहा है, आपने लिखा है कि 01 करोड़ 85 लाख रुपये की सी0डी0 क्रय कर ली गई। सी0डी0 तो क्रय हुई नहीं, सॉफ्टवेयर क्रय किये गये, वह भी 47 लाख के और 47 लाख के क्रय करने के लिए प्रक्रिया प्रारम्भ हुई, मैं तो 2005 की पत्रावली निकाल रहा हूँ, आप कह रहे हैं 2004 से हो रहा है, इसका मतलब आपकी सरकार के अभी तक तो 56 घोटाले थे, यदि इसे घोटाला कह रहे हैं, जबकि यह घोटला नहीं तो इसको भी अनुसूची में शामिल कर लिया जाय (व्यवधान)

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, यदि यह घोटाले से सम्बन्धित प्रश्न है तो इसको जरूर रखा जाय, चाहे यह अब का हो या तब को हो। अगर घोटाला हुआ है तो इसकी अवश्य जाँच कराई जाये। इसकी जाँच के लिए सरकार घोषणा करे। (व्यवधान)

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्य श्री दिनेश अग्रवाल, श्री किशोर उपाध्याय, श्री जोत सिंह गुनसोला, श्री दिनेश अग्रवाल, श्री केदार सिंह, श्री मनोज तिवारी, श्री बलबीर सिंह नेगी, श्री महेन्द्र सिंह माहरा तथा श्री मयूख महर 'वेल' में आ गये और अपनी बात को जोर–जोर से उठाने लगे, जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।) (घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया अपने स्थान पर जायें।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, यह प्रकरण पूरा कपोल कल्पित है, केवल सरकार की छवि को धूमिल करने के लिए यहाँ पर, अति रंजित करके यह प्रकरण यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है, यह उचित नहीं है। यह इस बात का प्रमाण है और दबाव के आधार पर आप इस बात को कहना चाह रहे हैं, इसलिए इस सूचना को अग्राह्य किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य श्री किशोर उपाध्याय और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ और शेष सूचनायें, जो नियम–310 और नियम–58 में प्राप्त हुई हैं, उनका नियम–300 में संज्ञान लेते हुए सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूँ।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के 'वेल' में खड़े माननीय सदस्य नारे लगाने लगे, जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।) (घोर व्यवधान)

विधान सभा की समितियों के गठन हेतु माननीय अध्यक्ष को प्राधिकृत किये जाने का प्रस्ताव

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि यह सदन विधान सभा की लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति तथा अनुसूचित जाति, जनजाति एवं विमुक्त जाति समिति में कार्य करने हेतु निर्धारित संख्या में माननीय सदस्यों को नामित करने हेतु माननीय विधान सभा अध्यक्ष को प्राधिकृत करता है और इस प्रकार नामित सदस्य विधान सभा द्वारा विधिवत निर्वाचित समझे जायेंगे।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव "यह सदन विधान सभा की लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति तथा अनुसूचित जाति, जनजाति एवं विमुक्त जाति समिति में कार्य करने हेतु निर्धारित संख्या में माननीय सदस्यों को नामित करने हेतु माननीय विधान सभा अध्यक्ष को प्राधिकृत करता है और इस प्रकार नामित सदस्य विधान सभा द्वारा विधिवत निर्वाचित समझे जायेंगे।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

गन्ना मंत्री (श्री मदन कौशिक)–

मान्यवर, हमारी सरकार द्वारा गन्ने का मूल्य निर्धारित किया गया था, यहाँ पर बसपा के माननीय सदस्यों ने कहा था कि जो मूल्य सरकार ने घोषित किया है, जब पर्चियों पर गन्ना शुरू हो जाएगा, तब वह मानेंगे। मुझे सदन को यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि आज दिनांक 19 तारीख को सभी मिलों द्वारा गन्ने का मूल्य 143–148 रुपये कर दिया गया है। (मेजों की थपथपाहट)

(नेता प्रतिपक्ष को छोड़कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समस्त सदस्य एवं बहुजन समाज पार्टी के समस्त सदस्य 'वेल' में आकर अपनी बात को जोर–जोर से कहने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तराखण्ड माल के स्थानीय क्षेत्रों में प्रवेश पर कर विधेयक, 2008

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तराखण्ड माल के स्थानीय क्षेत्रों में प्रवेश पर कर विधेयक, 2008 पर विचार किया जाए।

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नैनीताल उच्च न्यायालय, द्वारा सर्वश्री पौलीप्लैक्ट्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड एवं सर्वश्री डी0सी0एम0 ग्रुप आफ इण्डस्ट्रीज द्वारा दायर रिट याचिकाओं में दिनांक 02–06–2008 एवं दिनांक 23–06–2008 को पारित निर्णयों से उत्तर प्रदेश प्रवेश कर अधिनियम, 2000, जो कि यथावत उत्तराखण्ड राज्य में अंगीकृत किया गया था, को असंवैधानिक घोषित किया गया है। उसके तहत हमको नये स्वरूप में इसको लेकर आना पड़ रहा है। श्रीमन्, यह कोई नया एक्ट नहीं है, नया विधेयक नहीं है। माननीय नैनीताल उच्च न्यायालय, ने उक्त दोनों निर्णयों में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ द्वारा रिट याचिका संख्या–251 आफ 2003 में दिनांक 27–01–2004 को दिये गये निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्त को आधार माना है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा उत्तर प्रदेश प्रवेश कर अधिनियम को इस आधार पर असंवैधानिक घोषित किया गया था कि यह कम्पन्सेट्री नेचर का नहीं है। यह पुरानी व्यवस्थाओं को ही लागू करने के लिए किया गया है चूँकि इसको माननीय न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किया गया था इसके तहत इसको किया गया है। माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय के विरूद्ध विशेष अनुज्ञा याचिका सर्वोच्च न्यायालय में दायर की गयी और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कम्पन्सेट्री नेचर की व्याख्या करने के लिए 5 सदस्यीय संविधान पीठ का गठन किया है। उक्त संविधान पीठ द्वारा कम्पन्सेट्री नेचर के मानदण्ड निर्धारित किये गये और सभी सम्बन्धित उच्च न्यायालयों को यह निर्देश दिये गये कि वह अपने–अपने राज्यों के प्रवेश पर कानून का अध्ययन इस दृष्टि से कर लें कि यह कम्पन्सेट्री नेचर का है अथवा नहीं। उक्त निर्देशों के अनुपालन में पुनः इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा उत्तर प्रदेश प्रवेश कर

अधिनियम, 2000 को असंवैधानिक घोषित किया है। उक्त निर्णय के उपरान्त उत्तर प्रदेश द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुज्ञा याचिका दायर करने के साथ-साथ पूर्वगामी प्रभाव से नया प्रवेश कर कानून प्रख्यापित किया गया है। नैनीताल उच्च न्यायालय द्वारा उत्तराखण्ड में अंगीकृत प्रवेश कर अधिनियम को असंवैधानिक घोषित करने के उपरान्त नया प्रवेश कर कानून बनाये जाने के बिन्दु पर न्याय विभाग का भी मत प्राप्त किया गया और न्याय विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि नया कानून बनाने का निर्णय प्रशासनिक विभाग को लेना है। न्याय विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि प्रस्तावित कानून कम्पन्सेट्री नेचर का है तो फिर भारत के संविधान के अनुच्छेद-304 के परन्तुक के अन्तर्गत महामहिम राष्ट्रपति जी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। न्याय विभाग के परामर्श से नैनीताल उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय के विरूद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुज्ञा याचिकायें दायर करने की कार्यवाही भी पृथक से की जा रही है। उत्तराखण्ड के गठन के समय सिगरेट, क्रूड आयल, मशीनरी एवं स्पेयर पार्ट्स, नेचुरल गैस एवं नॉन लेवी शुगर प्रवेश कर की देयता थी, जिसमें से वर्तमान में केवल नॉन लेवी शुगर पर ही 2 प्रतिशत की कर देयता रह गयी थी। गत वर्षों में प्रवेश कर की मद की प्राप्तियां निम्न प्रकार रही हैं :-

वर्ष 200-2001 में 3.28 करोड़ रुपये, 2001-2002 में 6.65 करोड़ रुपये, 2002-2003 में 7.32 करोड़ रुपये, 2003-2004 में 5.35 करोड़ रुपये, 2004-2005 में 5.52 करोड़ रुपये, 2005-2006 में 5.70 करोड़ रुपये, 2006-2007 में 7.34 करोड़ रुपये, 2007-2008 में 4.64 करोड़ रुपये। अन्य राज्यों की भाँति उत्तराखण्ड में भी राजस्व हित में पूर्वगामी प्रभाव से दिनांक 09-11-2000 करोड़ से नया प्रवेश कर कानून बनाये जाने की आवश्यकता है। अतः इसके लिए निम्न प्रकार प्रस्तावित किया जा रहा है।

(1) नये प्रवेश कर कानून में लोकल एरिया में माल लाये जाने पर 5 प्रतिशत तक प्रवेश कर लगाया जाना प्रस्तावित है।

(2) प्रवेश कर की देयता निम्न अनुसूची में वर्णित वस्तुओं में से राज्य द्वारा अधिसूचित वस्तु पर होगी।

अनुसूची

(I) केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 14 में यथा परिभाषित अपरिष्कृत तेल।

(II) रुपये 10 लाख या उससे अधिक मूल्य की मशीनरी तथा मशीनरी के स्पेयर पार्ट्स

(III) प्राकृतिक गैस।

(IV) नॉन लेवी चीनी।

(V) सिगरेट्स के रूप में तम्बाकू।

(VI) न्यूजप्रिन्ट को छोड़कर लेखन, छपाई अथवा पैकिंग के प्रयोजन हेतु कागज।

(VII) तम्बाकू युक्त पान मसाला (गुटखा)

(VIII) सीमेन्ट

(IX) कोयला।

(X) भारत क्षेत्र के बाहर से आयातित किसी भी जाति के सभी किस्म तथा सभी पेड़ों की लकड़ी तथा इमारती लकड़ी तथा बांस उगता हुआ अथवा चीरा गया।

(XI) हाई स्पीड डीजल, लो सल्फर हाई स्पीड डीजल, अल्ट्रा लो सल्फर हाई स्पीड डीजल, लाइट डीजल ऑयल, सुपीरियर केरोसिन ऑयल, फरनेस ऑयल, रेजिड्यूल ऑयल, लो सल्फर हैवी स्टॉक्स, हैवी पेट्रोलियम स्टॉक्स तथा उनके विभिन्न प्रकार किन्तु लोक वितरण प्रणाली के मिट्टी के तेल को छोड़कर।

(XII) क्लिंकर।

(XIII) सभी प्रकार की मोटर गाड़ियों, उनके चैसिस को सम्मिलित करते हुए, किन्तु ट्रैक्टर को छोड़ते हुए।

(XIV) केन्द्र बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 14 में यथा परिभाषित लोहा एवं इस्पात।

(XV) एल्यूमीनियम बर्तनों को छोड़कर एल्यूमीनियम तथा उसके उत्पाद।

(XVI) सभी प्रकार के केबिल्स।

(XVII) लैपटॉप, कम्प्यूटर सिस्टम तथा पैरीफरेल्स, एल0सी0डी0 सहित टेलीविजन।

(XVIII) साइकिल, साइकिल रिक्शा तथा पशुचालित गाड़ियों के टायर तथा ट्यूब को छोड़कर टायर तथा ट्यूब।

(XIX) संगमरमर पत्थर (मारबल स्टोन्स) तथा उनके टायल।

(XX) रेफ्रिजिरेटर, एयर–कन्डिशनर तथा एयर–कन्डिशनिंग प्लान्ट।

(3) प्रवेश कर के लिए पंजीयन की सीमा वाणिज्य कर की भांति 5 लाख रुपये वार्षिक रहेगी।

(4) प्रवेश 2कर का क्रियान्वयन वाणिज्य कर विभाग द्वारा ही किया जायेगा।

(5) नया प्रस्तावित प्रवेश कर कानून कम्पन्सेट्री प्रकृति का होगा और इसके लिए एक उत्तराखण्ड व्यापार विकास निधि की स्थापना भी प्रस्तावित है। प्रवेश कर की वार्षिक प्राप्तियों को उत्तराखण्ड व्यापार विकास निधि में बजट व्यवस्था के माध्यम से राज्य सरकार के लोक लेखा के सम्बन्धित शीर्षों में विनियोग किया जायेगा तथा इस निधि के संचालन हेतु पृथक से उत्तराखण्ड स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (निधि) नियमावली बनायी जायेगी।

(6) यह प्रस्तावित विधेयक दिनांक 09-11-2000 के पूर्वगामी प्रभाव से लागू होगा।

मान्यवर, इस प्रकार से यह कोई नया विधेयक नहीं है। इस विधेयक के माध्यम से चूँकि यह श्रीमन्, हमारे राज्य के लिए आवश्यक आवश्यकता थी। इसके तहत यह लागू किया गया है। चूँकि यह न्यायालय के द्वारा दिये गये निर्देशों के माध्यम से असंवैधानिक घोषित किया गया था। इसलिए यह सदन के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष--

कोई माननीय सदस्य इस पर अपने विचार रखना चाहें, तो रख सकते हैं।

(किसी माननीय सदस्य ने विचार प्रस्तुत नहीं किये।)

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड माल के स्थानीय क्षेत्रों में प्रवेश पर कर विधेयक, 2008 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड–2 से खण्ड–18, अनुसूची, खण्ड–1 , प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तराखण्ड माल के स्थानीय क्षेत्रों में प्रवेश पर कर विधेयक, 2008

(उत्तराखण्ड विधेयक संख्या वर्ष 2008)

स्थानीय क्षेत्र में उपभोग, उपयोग अथवा विक्रय हेतु माल के प्रवेश पर कर के उद्ग्रहण एवं संग्रह तथा उससे सम्बन्धित अथवा आनुषंगिक विषयों के सम्बन्ध में विधि का उपबन्ध करने के लिए–

विधेयक

भारत गणराज्य के उनसठवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा निम्नवत् रूप में अधिनियमित किया जाता है :–

अध्याय–1

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ

1\. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड माल के स्थानीय क्षेत्रों में प्रवेश पर कर अधिनियम, 2008 है।

(2) यह सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में लागू होगा।

(3) यह 09 नवम्बर, 2000 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

परिभाषाएं

2\. (1) इस अधिनियम में, जब तक कि विषय अथवा सन्दर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो–

(क) "कारबार" में सम्मिलित है–

(एक) कोई व्यापार, वाणिज्य या विनिर्माण अथवा व्यापार, वाणिज्य अथवा विनिर्माण की प्रकृति का कोई प्रोद्यम या समुत्थान, चाहे ऐसा व्यापार, वाणिज्य, विनिर्माण, प्रोद्यम या समुत्थान लाभ पाने के उद्देश्य से किया जाये या नहीं और चाहे ऐसे व्यापार, वाणिज्य, विनिर्माण, प्रोद्यम या समुत्थान से कोई लाभ प्रोद्भूत हो या नहीं;

(दो) किसी संकर्म संविदा के निष्पादन या किसी प्रयोजन के लिए माल के उपयोग करने के अधिकार का अन्तरण (चाहे किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए हो या न हो); और

(तीन) ऐसे व्यापार, वाणिज्य, विनिर्माण, प्रोद्यम या समुत्थान अथवा संकर्म संविदा अथवा पट्टा से सम्बन्धित या इनसे प्रासंगिक अथवा आनुषांगिक कोई संव्यवहार;

(ख) "ब्यौहारी" से ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत है, जो कि अपने कारोबार के दौरान, चाहे अपने स्वयं के लेखे में अथवा किसी कर्ता अथवा किसी व्यक्ति के लेखे में कोई माल स्थानीय क्षेत्र में लाता है या लिवाता है अथवा किसी स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश के बाद माल का परिदान प्राप्त करता है अथवा परिदान प्राप्त करने का हकदार है और इसमें सम्मिलित है–

(एक) कोई स्थानीय प्राधिकरण, निगमित निकाय, कम्पनी, कोई सहकारी सोसाइटी या कोई अन्य सोसाइटी, क्लब फर्म, अविभक्त हिन्दू कुटुम्ब अथवा व्यक्तियों का अन्य संगम, जो कि ऐसा कारोबार करता है;

(दो) कोई फैक्टर, दलाल, आढ़ती, कमीशन अभिकर्ता, परिशोधी अभिकर्ता या कोई अन्य वाणिज्यिक अभिकर्ता, चाहे वह किसी भी नाम से पुकारा जाये और चाहे यहाँ इसके पूर्व उल्लिखित वर्णन का हो या न हो, जो किसी प्रकट या अप्रकट कर्ता की ओर से माल के क्रय, विक्रय, सम्मरण या वितरण करने का कारबार करता है;

(तीन) कोई नीलामकर्ता, जो किसी प्रकट या अप्रकट कर्ता के माल के विक्रय या नीलामी का कारोबार करता हो और चाहे आशयित क्रेता का प्रस्ताव उसके द्वारा अथवा कर्ता के द्वारा अथवा कर्ता के नाम निर्देशिती द्वारा स्वीकार किया जाता हो;

(चार) कोई सरकार, जो कारोबार के दौरान अथवा अन्यथा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से नकद अथवा आस्थगित भुगतान पर अथवा कमीशन पर पारिश्रमिक अथवा अन्य मूल्यवान प्रतिफल पर माल का क्रय, विक्रय, सम्मरण अथवा वितरण करती है;

(पांच) प्रत्येक व्यक्ति, जो राज्य के भीतर, राज्य के बाहर निवास करने वाले ब्यौहारी के अभिकर्ता के रूप में कार्य करता है तथा राज्य में माल का क्रय, विक्रय, सम्मरण अथवा वितरण करता है अथवा ऐसे ब्यौहारी की ओर से निम्नलिखित रूपव से कार्य करता है:–

(क) माल विक्रय अधिनियम, 1930 (केन्द्रीय अधिनियम सं0 3 वर्ष 1930) में यथा परिभाषित वाणिज्यिक अभिकर्ता, या

(ख) माल या माल से सम्बन्धित हक के दस्तावेजों का प्रबन्ध करने के लिए अभिकर्ता, या

(ग) माल की विक्रय कीमत के संग्रह या भुगतान करने के लिए अभिकर्ता या ऐसे संग्रह या भुगतान के लिए प्रत्याभूतिदाता;

(घ) कोई फर्म अथवा कम्पनी अथवा अन्य निगमित निकाय जिसका मुख्य कार्यालय अथवा मुख्यालय राज्य के बाहर स्थित है तथा ऐसी शाखा या कार्यालय के माध्यम से माल के क्रय, विक्रय सम्भरण अथवा वितरण के सम्बन्ध में, जिसकी कोई शाखा अथवा कार्यालय राज्य में है;

(सात) कोई व्यक्ति, जो संकर्म संविदा के निष्पादन में अन्तर्ग्रस्त माल (चाहे वह माल के रूप में हो या किसी अन्य रूप में) में सम्पत्ति के अन्तरण का कारबार करता है;

(आठ) कोई व्यक्ति, जो नकद, आस्थगित भुगतान या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिये किसी माल के किसी भी प्रयोजनार्थ (चाहे किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए हो या न हो) उपयोग करने के अधिकार के अन्तरण का कारबार करता है;

(नौ) कोई व्यक्ति, जो कारोबार प्रकृति के यदा–कदा संव्यवहारों के दौरान, चाहे स्वयं के लेखे में अथवा कर्ता के लेखे में अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लेखे में, कोई माल स्थानीय क्षेत्र में लाता है या लिवाता है अथवा किसी स्थानीय क्षेत्र से माल के प्रवेश के बाद माल का परिदान प्राप्त करता है अथवा परिदान प्राप्त करने का हकदार है।

स्पष्टीकरण– इस अधिनियम के प्रयोजन हेतु शब्द "कारोबार के दौरान" में कारबार की स्थापना अथवा प्रारम्भ के दौरान सम्मिलित होगा।

(ग) "माल का प्रवेश" से उसके व्याकरणीय रूप–भेद और सजातीय पदों सहित निम्नलिखित रूप में माल का प्रवेश वहाँ उपभोग, उपयोग अथवा विक्रय हेतु अभिप्रेत है,

(एक) स्थानीय क्षेत्र के भीतर–ऐसे क्षेत्र के बाहर के किसी अन्य स्थान से;

(दो) स्थानीय क्षेत्र के भीतर– राज्य के बाहर के किसी स्थान से;

(तीन) स्थानीय क्षेत्र के भीतर– भारत क्षेत्र के बाहर के किसी स्थान से;

(घ) "स्थानीय क्षेत्र" से निम्नलिखित क्षेत्र अभिप्रेत है–

(एक) उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) के अधीन कोई नगर निगम,

(दो) उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) के अधीन कोई नगर पालिका,

(तीन) उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एंव जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) के अधीन कोई जिला पंचायत अथवा क्षेत्र पंचायत,

(चार) यूनाइटेड प्रोविन्सेज पंचायत राज ऐक्ट, 1947 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) के अधीन कोई ग्राम पंचायत,

(पांच) कैन्टोनमेन्ट्स ऐक्ट, 1924 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) के अधीन कोई छावनी (कैन्टोनमेन्ट),

(छः) उत्तर प्रदेश इण्डस्ट्रियल एरिया डेवलपमेन्ट ऐक्ट, 1976 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) के अधीन कोई औद्योगिक विकास क्षेत्र,

(सात) कोई औद्योगिक टाउनशिप, चाहे किसी नाम से पुकारा जाये,

(आठ) संसद अथवा राज्य विधान सभा के किसी नियम के अधीन कोई स्थानीय प्राधिकरण, चाहे किसी नाम से पुकारा जाये;

(ङ) "अनुसूची" से इस अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है;

(च) "अनुसूचित माल" से इस अधिनियम की अनुसूची में उल्लिखित माल अभिप्रेत है;

(छ) "कर" से इस अधिनियम के अधीन उद्ग्रहणीय कर अभिप्रेत है,

(ज) "माल का मूल्य" से किसी माल का मूल क्रय बीजकों अथवा बिलों से अभिनिश्चित मूल्य अभिप्रेत है और इसमें पैकिंग सामग्री का मूल्य, पैकिंग तथा अग्रेषण प्रभार, बीमा

प्रभार, उत्पादन शुल्क का प्रतिनिधित्व करने वाली धनराशियों, प्रतिशुल्क, सीमा शुल्क तथा इस प्रकार के अन्य शुल्क, कोई प्रभारित फीस अथवा कर, परिवहन प्रभार, ढुलाई प्रभार तथा ऐसे माल, जो स्थानीय क्षेत्र के भीतर वहाँ उपभोग, उपयोग अथवा विक्रय हेतु लाया जा रहा है अथवा प्राप्त किया जा रहा है, के क्रय एवं परिवहन से सम्बन्धित कोई प्रभार सम्मिलित है;

परन्तु यह कि जहाँ कोई माल--

(एक) क्रय किया गया है तथा उसका मूल्य किसी दस्तावेज के प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत न किये जाने के कारण अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता है, अथवा

(दो) क्रय किया गया है तथा ब्यौहारी अथवा प्रभारी व्यक्ति द्वारा घोषित मूल्य किसी दस्तावेज के प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत न किये जाने के कारण उसका सत्यापन नहीं किया जा सकता है; अथवा

(तीन) क्रय किया गया है तथा क्रय कीमत अथवा परिवहन प्रभार एवं अन्य प्रभार के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेज विश्वास के योग्य नहीं है; अथवा

(चार) क्रय के अन्यथा प्राप्त अथवा अभिप्राप्त किया गया है। 'माल के मूल्य' का आशय उस मूल्य अथवा कीमत से होगा, जिस पर उसी प्रकार तथा उसी गुणवत्ता का माल स्थानीय क्षेत्र में, जिसके भीतर माल उपभोग, उपयोग अथवा विक्रय हेतु लाया जा रहा है अथवा प्राप्त किया जा रहा है, खुले बाजार में थोक कीमत पर बेचा जाता है अथवा बिकने योग्य है।

स्पष्टीकरण--इस खण्ड के अधीन किसी माल की थोक कीमत के अभिनिश्चय के प्रयोजन हेतु थोक कीमत में क्रेता द्वारा उत्पाद शुल्क अथवा किसी अन्य शुल्क के रूप में संदत्त या देय कोई धनराशि सम्मिलित होगी, किन्तु स्थानीय क्षेत्र के भीतर प्रवेश के बाद माल के लिए किये गये किसी कार्य के लिए प्रभारित कोई धनराशि अथवा उसी प्रकार अथवा उसी प्रकार के गुणवत्ता के माल की बिक्री के सम्बन्ध में इस अधिनियम के अधीन देय कर सहित फीस अथवा टैक्स की देय कोई धनराशि सम्मिलित नहीं होगी।

(क) "निधि" से उत्तराखण्ड व्यापार विकास निधि (उत्तराखण्ड ट्रेड डेवलपमेन्ट फण्ड) अभिप्रेत है;

(ख) शब्द और पद, जो इस अधिनियम में प्रयुक्त हुए हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं, उनका वही अर्थ होगा, जो कि उन्हें उत्तराखण्ड (उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 अथवा तदन्तर्गत बनाये गये नियमों में समनुदेशित किया गया है।

इस अधिनियम के अधीन प्राधिकारी

3. (1) इस अधिनियम के प्रयोजनों के क्रियान्वयन हेतु–

(क) वाणिज्य कर विभाग के कमिश्नर, वाणिज्य कर, एडिश्नल कमिश्नर, वाणिज्य कर तथा ज्वाइन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर क्रमशः कमिश्नर एडिश्नल कमिश्नर एवं ज्वाइन्ट कमिश्नर होंगे और वे क्रमशः कमिश्नर, प्रवेश कर, एडिश्नल कमिश्नर, प्रवेश कर एवं ज्वाइन्ट कमिश्नर प्रवेश कर के रूप में पदाभिहित होंगे;

(ख) उत्तराखण्ड (उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अपील अधिकारी तथा अधिकरण के अध्यक्ष एवं सदस्य क्रमशः प्रवेश कर के अपील अधिकारी तथा अधिकरण के अध्यक्ष एवं सदस्य होंगे;

(ग) वाणिज्य कर विभाग में तैनात सभी डिप्टी कमिश्नर तथा असिस्टैन्ट कमिश्नर, प्रवेश कर के डिप्टी कमिश्नर तथा असिस्टैन्ट कमिश्नर होंगे तथा उसी प्रकार वाणिज्य कर विभाग में तैनात सभी वाणिज्य कर अधिकारी, प्रवेश कर अधिकारी होंगे।

(घ) राज्य सरकार अथवा कमिश्नर वाणिज्य कर द्वारा किसी वाणिज्य कर मण्डल (सर्किल) में तैनात वाणिज्य कर अधिकारी से अनिम्न पद का कोई अधिकारी, राज्य सरकार अथवा कमिश्नर, वाणिज्य कर द्वारा उत्तराखण्ड (उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 की धारा 42 तथा 43 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत अधिकारी तथा उत्तराखण्ड (उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 की धारा 47 के अधीन स्थापित किसी जांच चौकी पर तैनात वाणिज्य कर अधिकारी से अनिम्न पद के अधिकारी इस अधिनियम के अधीन कर निर्धारक प्राधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करेंगे।

(ङ) अधिकरण के अध्यक्ष एवं सदस्यों के सिवाय इस अधिनियम के अधीन सभी अधिकारी तथा प्राधिकारी, कमिश्नर के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य करेंगे तथा कमिश्नर, अपील प्राधिकारी के सिवाय, उसके प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन किसी भी अधिकारी में निहित शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सक्षम होगा।

(2) इस अधिनियम के अधीन प्राधिकारियों का क्षेत्राधिकार वही होगा, जैसा कि राज्य सरकार अथवा कमिश्नर, वाणिज्य कर द्वारा उत्तराखण्ड (उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से नियत अथवा अभिनिश्चित किया जाये।

कर का उद्ग्रहण

4. (1) राज्य में व्यापार, वाणिज्य तथा उद्योग के विकास के प्रयोजन हेतु स्थानीय क्षेत्र के भीतर उपभोग, उपयोग अथवा विक्रय हेतु उस स्थानीय क्षेत्र के बाहर किसी स्थान से अनुसूची में विनिर्दिष्ट माल के प्रवेश पर ऐसी दर से, जो माल के मूल्य के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी, जैसी कि राज्य सरकार द्वारा, अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाये, कर का उद्ग्रहण तथा संग्रहण किया जायेगा, तथा भिन्न–भिन्न माल अथवा माल के भिन्न–भिन्न वर्गों पर भिन्न–भिन्न दर विनिर्दिष्ट की जा सकती है,

परन्तु यह कि राज्य सरकार अधिसूचना के द्वारा अनूसूची में संशोधन कर सकती है और ऐसी अधिसूचना के जारी होने पर उप धारा (10) के प्राविधानों के अध्यधीन अनुसूची तद्नुसार संशोधित समझी जायेगी।

(2) उप धारा (1) के अधीन उद्ग्रहीत कर उस समय तक उद्ग्रहीत किया जाता रहेगा, जिस समय तक व्यापार, वाणिज्य और उद्योग के लिए अधिक उन्नत व्यापार की परिस्थितियाँ प्रशस्त करने की दृष्टि से राज्य में बिजली, सड़क बाजार की परिस्थितियों इत्यादि अवसंरचना को उन्नत करने के लिए अपेक्षित है।

(3) उप धारा (1) के अधीन उद्ग्रहीत कर उस ब्यौहारी द्वारा देय होगा, जो ऐसा माल, चाहे अपने लेखे में अथवा अपने कर्ता के लेखे में स्थानीय क्षेत्र के भीतर लाता है अथवा लिवाता है अथवा ऐसे माल का स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश पर परिदान लेता है अथवा परिदान लेने का हकदार है;

परन्तु यह कि राज्य सरकार अधिसूचना के द्वारा ऐसी शर्तों के अध्यधीन, जैसी कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाये, विद्युत (पावर) के उत्पादन, संचरण और वितरण में संलग्न किसी पावर प्रोजेक्ट इण्डस्ट्रियल यूनिट को, जिसका सकल पूँजीगत निवेश एक हजार करोड़ रुपये या उससे अधिक है, उस स्थानीय क्षेत्र के बाहर किसी स्थान से स्थानीय क्षेत्र भीतर ऐसे माल के, जो कि उक्त इकाई द्वारा उपयोग तथा उपभोग किया जाये, प्रवेश पर दूसरे ब्यौहारियों के कर भुगतान की देयता को अपने ऊपर लेने की अनुमति दे सकती है।

स्पष्टीकरण– जहाँ माल के स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश पर उसका परिदान लिया जाता है अथवा ब्यौहारी से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा स्थानीय क्षेत्र में लाया जाता है तो ब्यौहारी, जो ऐसे व्यक्ति से माल का परिदान लेता है, स्थानीय क्षेत्र में माल को लाने वाला अथवा लिवाने वाला समझा जायेगा।

(4) राज्य सरकार अधिसूचना के द्वारा अधिसूचना में अधिसूचित शर्तों के अधीन यह सुनिश्चित करने के लिए कि पावर प्रोजेक्ट इण्डस्ट्रीयल यूनिट में उपभोग अथवा उपयोग हेतु स्थानीय क्षेत्र के बाहर किसी स्थान से स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर प्रभावी कर दरें राज्य की ऊर्जा नीति की तिथि पर लागू क्रमिक कर की दरों से अधिक न हो जाये, उस सीमा तक जितना आवश्यक हो, कर की धनराशि में छूट दे सकती है।

(5) कोई ब्यौहारी, जो किसी स्थानीय क्षेत्र के भीतर माल लाता है या लिवाता है कर का दायी नहीं होगा। यदि वित्तीय वर्ष के दौरान ऐसे माल का सकल मूल्य पाँच लाख रुपये से या ऐसी अधिक धनराशि से, जैसी राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना के द्वारा या तो किसी माल के सभी ब्यौहारियों के मामले में अथवा ऐसे ब्यौहारियों के किसी विशेष वर्ग के मामले में विनिर्दिष्ट की जाये कम हो;

परन्तु यह कि इस उप धारा के उपबन्ध उत्तराखण्ड के बाहर से स्थानीय क्षेत्र में लाये गये माल के मूल्य के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे।

(6) उप धारा (1) अथवा उप धारा (3) में किसी बात के होते हुए भी ऐसे ब्यौहारी, जो स्थानीय क्षेत्र के भीतर कोई माल लाता है अथवा लिवाता है, जो कि उस स्थानीय क्षेत्र के बाहर ले जाने के उद्देश्य से स्थानीय क्षेत्र के भीतर उसके द्वारा बेच दिया जाता है तथा वह माल वास्तव में बाहर ले जाया जाता है, उस पर कोई कर उद्ग्रहीत तथा संग्रहीत नहीं किया जायेगा;

परन्तु यह कि यदि स्थानीय क्षेत्र के भीतर किसी माल के प्रवेश के समय ऐसे स्थानीय क्षेत्र में उपयोग, उपभोग अथवा बिक्री की बगैर स्थानीय क्षेत्र के बाहर ले जाने के उद्देश्य से ऐसे स्थानीय क्षेत्र के भीतर बिक्री किये जाने वाले माल की मात्रा तथा मूल्य अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता तो ब्यौहारी माल की सकल मात्रा के मूल्य पर कर की धनराशि का भुगतान करेगा तथा ऐसे स्थानीय क्षेत्र के बाहर ले जाने के उद्देश्य से तथा, जबकि माल वास्तव में बाहर ले जाया जाता है, ऐसे स्थानीय क्षेत्र के भीतर माल विक्रय किये जाने के बाद ब्यौहारी इस अधिनियम की धारा 5 में प्राविधानित रीति के अनुसार कर की संदत्त धनराशि की वापसी का दावा कर सकता है;

परन्तु अग्रेत्तर यह कि इस तथ्य को साबित करने का भार कि कोई माल स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश के बाद ऐसे स्थानीय क्षेत्र के बाहर उपभोग, उपयोग अथवा विक्रय के उद्देश्य से बिक्री किया गया तथा वास्तव में ऐसे स्थानीय क्षेत्र के बाहर ले जाया गया, माल की बिक्री करने वाले ब्यौहारी के ऊपर होगा।

(7) जहाँ माल का कोई अकेला परेषण, जो कि अंशतः स्थानीय क्षेत्र के भीतर उपभोग, उपयोग अथवा बिक्री के लिए है तथा अंशतः ऐसे स्थानीय क्षेत्र के बाहर किसी स्थान के लिए अंतरण के लिए है, किसी ब्यौहारी द्वारा ऐसे स्थानीय क्षेत्र के भीतर लाया जाता है अथवा प्राप्त किया जाता है और जहाँ स्थानीय क्षेत्र में उपभोग, उपयोग अथवा विक्रय किये जाने वाले माल का मूल्य अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता,

तो ब्यौहारी परेषण के सभी माल के मूल्य पर कर का भुगतान करेगा तथा किसी माल के उपरोक्त रूप से अंतरण होने के बाद इस विधेयक की धारा 5 में प्राविधानित रीति से ऐसे अन्तरित माल के सम्बन्ध में कर के रूप में संदत्त धनराशि की वापसी का दावा कर सकता है;

परन्तु यह कि इस तथ्य को साबित करने का भार, कि कोई माल स्थानीय क्षेत्र में लाने अथवा प्राप्त करने के बाद ऐसे स्थानीय क्षेत्र के बाहर बगैर वहाँ उपभोग, उपयोग अथवा विक्रय के अन्तरण कर दिया गया है, वापसी का दावा करने वाले ब्यौहारी के ऊपर होगा।

(8) जहाँ माल के स्थानीय क्षेत्र के भीतर प्रवेश के सम्बन्ध में कर देय है और उसे अभिकर्ता द्वारा संदत्त कर दिया गया है तो कर्ता कर के भुगतान के लिए दायी नहीं होगा और उसी तरह जहाँ स्थानीय क्षेत्र के भीतर किसी माल के प्रवेश के सम्बन्ध में कर देय है तथा उसे कर्ता द्वारा संदत्त कर दिया गया है तो अभिकर्ता कर के भुगतान के लिए दायी नहीं होगा।

(9) जहाँ किसी–

(एक) क्रय किये गये अनुसूचित माल के सम्बन्ध में– (क) ऐसे माल का मूल्य अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता अथवा ब्यौहारी अथवा माल के प्रभारी व्यक्ति द्वारा ऐसे माल को घोषित मूल्य, जैसी भी स्थिति हो, किसी दस्तावेज के अप्राप्त होने अथवा प्रस्तुत न किये जाने के कारण सत्यापन योग्य नहीं है, अथवा

(ख) क्रय मूल्य अथवा परिवहन प्रभार एवं अन्य प्रभार के समर्थन में प्रस्तुत कोई दस्तावेज विश्वास योग्य नहीं है, अथवा

(दो) अनुसूचित माल के सम्बन्ध में, जो कि क्रय के रूप में अन्यथा प्राप्त अथवा अभिप्राप्त किया गया हैं, माल के प्रभारी व्यक्ति अथवा ब्यौहारी, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा घोषित ऐसे माल का मूल्य युक्तियुक्त तथा विश्वास के योग्य प्रतीत नहीं होता है, तो माल के प्रभारी व्यक्ति अथवा ब्यौहारी, जैसी भी स्थिति हो, को सुनवाई का मौका देने के पश्चात् किसी स्थानीय क्षेत्र में, जिसमें

ऐसा माल लाया जा रहा है, खुले बाजार में कर निर्धारक प्राधिकारी द्वारा युक्तियुक्त रूप से अवधारित थोक मूल्य, माल का मूल्य समझा जायेगा और इस प्रयोजन हेतु खण्ड (एक) के संदर्भ में कर निर्धारक प्राधिकारी की यह धारणा होगी कि क्रय के रूप के अन्यथा प्राप्त अथवा अभिप्राप्त किया गया है।

(10) इस धारा के अधीन जारी की गयी प्रत्येक अधिसूचना, जारी किये जाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधान सभा के समक्ष, जब वह सत्र में हो, उसके एक सत्र या एकाधिक आनुक्रमिक सत्रों में, जो कम से कम कुल चौदह दिन की अवधि पर्यन्त चले, रखी जायेगी और जब तक कि कोई बाद की तारीख नियत न की जाये, गजट में प्रकाशित होने की तारीख से, ऐसे उपान्तरणों या वातिलीकरणों के अध्यधीन रहते हुए, जो राज्य विधान सभा उक्त अवधि में करने के लिए सहमत हो, प्रभावी होगी, किन्तु इस प्रकार का कोई उपान्तरण या वातिलीकरण सम्बद्ध अधिसूचना के अधीन पहले की गयी किसी बात की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, सिवाय इस बात के, कि कर या अर्थदण्ड का आरोपण, निर्धारण, लगाया जाना अथवा वसूल किया जाना उक्त उपान्तरण या वातिलीकरण के अधीन होगा।

कर के उद्ग्रहण का विलोमितीकरण

5. (1) जहाँ कोई ब्यौहारी धारा 4 की उप धारा (1) के अधीन अधिसूचित माल स्थानीय क्षेत्र के भीतर उसके प्रवेश पर वहाँ उपभोग, उपयोग अथवा विक्रय हेतु लाया है अथवा लिवाया है तथा ऐसे स्थानीय क्षेत्र में ऐसे माल के प्रवेश के सम्बन्ध में कर का भुगतान किया है तो ऐसे कर का उद्ग्रहण विलोमित होगा तथा उप धारा (3) के उपबन्धों के अध्यधीन, ब्यौहारी द्वारा कर के रूप में संदत्त धनराशि ऐसे ब्यौहारी को निम्नलिखित परिस्थितियों में वापस की जायेगी:-

(क) जहाँ माल, ऐसे स्थानीय क्षेत्र में उपयोग के बिना विक्रता ब्यौहारी को क्रय की तारीख से 6 माह के भीतर वापस कर दिया जाये,

(ख) जहाँ माल, ऐसे स्थानीय क्षेत्र में उपयोग के बिना, राज्य के बाहर किसी स्थान को परेषित कर दिया जाये,

(ग) जहाँ माल ऐसे स्थानीय क्षेत्र में उपयोग के बिना वहाँ उपभोग, उपयोग अथवा विक्रय के लिए किसी अन्य स्थानीय क्षेत्र को परेषित कर दिया जाये,

(घ) जहाँ माल, या तो अन्तर्राज्यीय व्यापार अथवा वाणिज्य के दौरान अथवा भारत क्षेत्र के बाहर माल के निर्यात के दौरान पुनः विक्रय कर दिया जाये,

(ङ) जहाँ कोई अनुसूचित माल ऐसे स्थानीय क्षेत्र के बाहर ले जाने के लिए विक्रय किया जाय तथा वास्तव में बाहर ले जाया जाये।

स्पष्टीकरण– यह अवधारित करने के लिए कि ब्यौहारी द्वारा कोई माल अन्तर्राज्यीय व्यापार अथवा वाणिज्य के दौरान अथवा भारत क्षेत्र के बाहर माल के निर्यात के दौरान बेचा गया है अथवा नहीं, केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (संख्या 74 वर्ष, 1956) की धारा 3 तथा धारा 5 लागू होगी।

(2) जहाँ किसी ब्यौहारी द्वारा स्थानीय क्षेत्र के भीतर किसी माल के प्रवेश के सम्बन्ध में कर का भुगतान किया गया है किन्तु स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश के पूर्व माल नष्ट हो जाता है तो कर के रूप में संदत्त कोई धनराशि ब्यौहारी को उप धारा (3) के उपबन्धों के अध्यधीन वापस कर दी जायेगी।

(3) उप धारा (1) अथवा उप धारा (2) के उपबन्धों के अनुसार वापसी योग्य पायी गयी कोई धनराशि प्रथमतः ब्यौहारी के विरूद्ध बकाया किसी धनराशि में समायोजित की जायेगी ओर शेष धनराशि, यदि कोई हो, ब्यौहारी को वापस की जायेगी;

परन्तु यह कि जहाँ किसी स्थानीय क्षेत्र में उपयोग अथवा विक्रय के बिना कोई माल किसी अन्य स्थानीय क्षेत्र में वहाँ उपयोग, उपभोग अथवा विक्रय के लिए स्वयं को परिदान हेतु परेषित किया जाता है तो वापसी योग्य पायी गयी धनराशि ऐसे स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश के सम्बन्ध में देय कर की धनराशि में समायोजित की जायेगी।

छूट (रिबेट) 6. जहाँ धारा 4 की उप धारा (1) के अधीन अधिसूचित किसी अनुसूचित माल के सम्बन्ध में ऐसे माल की बिक्री अथवा खरीद के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड (उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर

अधिनियम, 2005) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 के अधीन उस अधिनियम में पंजीकृत किसी ब्यौहारी द्वारा कर देय है तथा किसी स्थानीय क्षेत्र के भीतर ऐसे माल के प्रवेश से पूर्व के भुगतान की देयता प्रोद्भूत हो गयी है तो राज्य सरकार, अधिसूचना के द्वारा तथा ऐसी शर्तों एवं निर्बन्धनों जैसी कि उसमें विनिर्दिष्ट की जायें, के अध्यधीन, इस अधिनियम के अधीन उद्ग्रहीत कर की सम्पूर्ण धनराशि तक छूट अनुमन्य कर सकती है।

छूट 7. जहाँ राज्य सरकार का समाधान है, कि ऐसा करना लोकहित में समीचीन है, वह अधिसूचना के द्वारा ऐसी शर्तों एवं निबन्धनों, जैसी कि अधिसूचना मे विनिर्दिष्ट की जाय।, के अध्यधीन किसी माल अथवा माल के किसी वर्ग को अथवा ब्यौहारियों के किसी वर्ग को कर से मुक्त कर सकती है।

पंजीकरण 8. (1) उप धारा (2) के उपबन्धों के अध्यधीन, प्रत्येक ब्यौहारी, जो कर भुगतान करने का दायी है, विहित रीति के पंजीयन शुल्क जमा के सबूत के साथ पंजीयन मंजूर करने के लिए जिस तारीख को वह इस अधिनियम के अधीन कर भुगतान का दायी होता है, के 30 दिन के भीतर कर निर्धाकर प्राधिकारी को प्रार्थना–पत्र देगा;

परन्तु यह कि जिस ब्यौहारी के पास उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 अथवा उत्तराखण्ड (उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 के अधीन स्वीकृत पंजीयन प्रमाण–पत्र है, यदि उपरोक्त समय के भीतर प्रार्थना–पत्र के विहित प्रारूप में वांछित सूचनाएं दे देता है तो वह इस अधिनियम के अधीन पृथक पंजीयन प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के लिए दायी नहीं होगा और इस अधिनियम के सभी प्रयोजनों के लिए ऐसा ब्यौहारी पंजीकृत ब्यौहारी समझा जायेगा;

परन्तु यह और कि यदि कोई सरकारी विभाग नियमित कारबार में संलग्न नहीं है तो सरकार को इस अधिनियम के अधीन पंजीयन प्रमाण–पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी।

(2) जहाँ किसी ब्यौहारी का उत्तराखण्ड राज्य के भीतर कोई निश्चित स्थान नहीं है तो तह इस अधिनियम के अधीन पंजीयन प्राप्त करने के लिए दायी नहीं होगा।

(3) इस अधिनियम के अधीन पंजीयन प्रमाण–पत्र मंजूर करने के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड (उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 की धारा 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 तथा धारा 22 के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे, जैसे कि वे उस अधिनियम के अधीन पंजीयन प्रमाण–पत्र मंजूर करने के लिए लागू होते हैं।

विवरणियों का प्रस्तुतीकरण तथा कर निर्धारिण

9. (1) इस अधिनियम के अधीन पंजीयन प्राप्त करने के लिए दायी प्रत्येक ब्यौहारी अपने कर निर्धारक प्राधिकारी को ऐसी रीति से, ऐसी कर अवधियों के लिए तथा ऐसे समय के भीतर, जैसा कि विहित किया जाये, अनुसूचित माल के मूल्य की ऐसी विवरणियां, विवरणी में दिखायी गयी कर की धनराशि के जमा के सबूत के साथ दाखिल करेगा,

परन्तु यह कि कर निर्धारक प्राधिकारी ब्यौहारी के प्रार्थना-पत्र पर पर्याप्त कारणों के आधार पर ब्यौहारी को विहित समय के पश्चात् भी विवरणी दाखिल करने की अनुमति दे सकता है।

(2) धारा 8 की उप धारा (2) में सन्दर्भित ब्यौहारी के अन्यथा प्रत्येक ब्यौहारी, जो कर के भुगतान करने का दायी है, कर निर्धारक प्राधिकारी को प्रत्येक कर निर्धारण वर्ष के लिए स्वयं निर्धारित कर की सालाना विवरणी ऐसी रीति से तथा ऐसे समय के भीतर जैसा कि विहित किया जाये, दाखिल करेगा,

परन्तु यह कि कर निर्धारक प्राधिकारी ब्यौहारी के प्रार्थना–पत्र पर पर्याप्त कारणों के आधार पर विवरणी दाखिल करने के लिए 90 दिन की अवधि तक समय बढ़ा सकता है।

(3) जहाँ–

(क) किसी ब्यौहारी ने उप धारा (1) के सन्दर्भित सभी कर अवधियों के लिए विवरणियां तथा उप धारा (2) में सन्दर्भित स्वयं निर्धारित कर की सलाना विवरणी दाखिल कर दी है,

(ख) प्रथम दृष्टया यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि ब्यौहारी ने किसी अनुसूचित माल का मूल्य छिपाया है अथवा अन्यथा कर के भुगतान का अपवंचन किया है, तथा

(ग) ब्यौहारी ने ना तो कर के रूप में जमा किसी धनराशि की वापसी का दावा किया है और न किसी अनुसूचित माल

के सम्बन्ध में धारा 5 के अधीन कर की धनराशि के विलोमितीकरण का दावा किया है,

कर निर्धारक प्राधिकारी ब्यौहारी की उपस्थिति की अपेक्षा के बिना, स्वतः निर्धारित कर की विवरणी को स्वीकार करेगा;

परन्तु यह कि जहाँ कर निर्धारक प्राधिकारी का यह दृष्टिकोण है कि–

(एक) विवरणी में दिखाया गया देय कर लागू कर की दर से संगणित नहीं किया गया है, अथवा

(दो) कर की संगणना में गणितीय त्रुटि है, अथवा

(तीन) किसी छूट या रियायत का किसी प्रमाण–पत्र अथवा किसी विहित प्रमाण–पत्र अथवा घोषणा–पत्र के आधार पर दावा किया गया है किन्तु ऐसे घोषणा–पत्र अथवा प्रमांण–पत्र का प्रारूप दाखिल नहीं किया गया है, तो वह ब्यौहारी को स्वतः कर निर्धारण की संशोधित सालाना विवरणी नोटिस की तामीली के 15 दिन के भीतर दाखिल करने के लिए नोटिस जारी करेगा और यदि कर निर्धारक प्राधिकारी का स्वतः कर निर्धारण की संशोधित विवरणी के समाधान हो जाता है तो वह स्वतः कर निर्धारण की संशोधित विवरणी को स्वीकार करेगा।

(4) ब्यौहारी से भिन्न ब्यौहारी, जिसके मामले में उप धारा (3) के अधीन कर निर्धारक प्राधिकारी द्वारा कर का स्वतः निर्धारण स्वीकार किया जाना है में, कर निर्धारक प्राधिकारी ऐसी जाँच, जैसा कि वह ठीक समझे, और ब्यौहारी को सुनवायी का युक्तियुक्त मौका देने के बाद स्थानीय क्षेत्र में वहाँ उपभोग, उपयोग अथवा बिक्री के लिए लाये गये अथवा लिवाये गये अनुसूचित माल का मूल्य तथा ब्यौहारी द्वारा देय कर की धनराशि का अवधारण करेगा;

परन्तु यह कि कोई भी बात कर निर्धारक प्राधिकारी को अनुसूचित माल का मूल्य तथा ब्यौहारी द्वारा देय कर की धनराशि का अवधारण सर्वोच्च न्याय एवं विवेक के अनुसार करने से नहीं रोकेगी जहाँ–

(क) अनुसूचित माल के सम्बन्ध में ब्यौहारी ने लेखे नहीं रखे हैं, अथवा

(ख) ब्यौहारी ने अनुसूचित माल के सम्बन्ध में रखे गये लेखे तथा दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये हैं, अथवा

(ग) ब्यौहारी द्वारा प्रस्तुत लेखे तथा दस्तावेज कर निर्धारक प्राधिकारी द्वारा विश्वास योग्य नहीं पाये गये हैं, अथवा

(घ) स्थानीय क्षेत्र में लाये गये अथवा प्राप्त किये गये अनुसूचित माल का मूल्य ब्यौहारी द्वारा प्रस्तुत लेखों तथा दस्तावेजों से सत्यापन नहीं किया जा सकता हो।

अनन्तिम कर निर्धारण

10. (1) जहाँ कोई ब्यौहारी, जिस पर धारा 9 की उप धारा (1) लागू होती है, स्थानीय क्षेत्र के भीतर अनुसूचित माल के प्रवेश पर ऐसे माल के मूल्य तथा देयकर की विवरणी विहित समय अथवा अनुमन्य समय के भीतर दाखिल करने में असमर्थ रहता है अथवा ऐसी विवरणी में दिखाये गये देय कर में जमा का सबूत नहीं देता है, अथवा कर निर्धारक प्राधिकारी के मतानुसार दाखिल विवरणी गलत अथवा अपूर्ण है, अथवा गलत विवरणों से युक्त है तो कर निर्धारक प्राधिकारी, धारा 9 के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, किन्तु सुनवायी का युक्तियुक्त अवसर देने के बाद, अनुसूचित माल की कीमत तथा उस पर देयकर का अनन्तिम निर्धारण कर सकता है।

(2) जहाँ कर निर्धारक प्राधिकारी द्वारा उप धारा (1) के अधीन कर निर्धारण कर दिया गया है तो ऐसे कर निर्धारण के कारण उस अनुसूचित माल के मूल्य के पुनः अवधारण तथा पूरे वर्ष के लिए कर का निर्धारण करने से नहीं रोकेगा।

कर का समाधान

11. (1) जहाँ किसी अनुसूचित माल के सम्बन्ध में कोई ब्यौहारी इस अधिनियम के अधीन कर के भुगतान के लिए दायी है, किन्तु उत्तराखण्ड (उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 के अधीन तथा परिभाषित ब्यौहारी की परिभाषा के अन्तर्गत नहीं आता है, जो वह इस धारा के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन स्थानीय

क्षेत्र में ऐसे माल को लाने अथवा प्राप्त करने अथवा ऐसे माल का परिदान लेने से पूर्व ऐसी माल के अनुसूचित माल के सम्बन्ध में माल के अनुमानित मूल्य पर कर के भुगतान का विकल्प अपना सकता है।

(2) प्रत्येक ब्यौहारी, जिसका उत्तराखण्ड राज्य के भीतर कारोबार का कोई निश्चित स्थान नहीं है, इस धारा के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन, स्थानीय क्षेत्र के भीतर लाने अथवा प्राप्त करने अथवा ऐसे माल के परिदान लेने से पूर्व अनुसूचित माल के सम्बन्ध में अनुसूचित माल के अनुमानित मूल्य पर कर का भुगतान करेगा।

(3) प्रत्येक व्यक्ति या ब्यौहारी, जो उप धारा (1) अथवा उप धारा (2) के अन्तर्गत नहीं आता है और जो कि इस अधिनियम के अधीन कर के भुगतान के लिए दायी है, स्थानीय क्षेत्र के भीतर लाने अथवा प्राप्त करने अथवा ऐसे माल के परिदान लेने से पूर्व, ऐसे अनुसूचित माल के सम्बन्ध में माल के अनुमानित मूल्य पर कर का भुगतान करने का विकल्प ले सकता है।

(4) उप धारा (1), (2) एवं (3) में सन्दर्भित कोई ब्यौहारी अथवा व्यक्ति, जैसी भी स्थिति हो, एक बार किसी कर निर्धारण वर्ष के लिए इस धारा में कर के भुगतान करने का विकल्प अपनाता है तो उस कर निर्धारण वर्ष की किसी अवधि के लिए किसी अन्य रीति के कर के भुगतान के लिए अपने विकल्प में परिवर्तन करने का हकदार नहीं होगा।

(5) कोई ब्यौहारी, जो इस धारा के उपबन्धों के अधीन कर का भुगतान करता है, धारा 9 में सन्दर्भित विवरणियों को दाखिल करने के लिए दायी नहीं होगा।

(6) जहाँ इस धारा के अधीन किसी माल के सम्बन्ध में कर का भुगतान कर दिया गया है तो धारा 9 के अधीन ऐसे माल के सम्बन्ध में कोई कर निर्धारण नहीं किया जायेगा।

(7) धारा 4 की उप धारा (9) के उपबन्ध समस्त माल पर, जिसके स्थानीय क्षेत्र के भीतर प्रवेश के सम्बन्ध में इस धारा के अधीन कर का भुगतान किया जाना है, लागू होंगे।

12. (1) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति अनुसूची में विनिर्दिष्ट कोई माल, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाय, राज्य के भीतर किसी विनिर्माता से स्थानीय क्षेत्र के भीतर लाने का इच्छुक है, विनिर्माता से माल का परिदान लेने के समय स्थानीय क्षेत्र के भीतर ऐसे माल के प्रवेश पर देय कर का भुगतान विनिर्माता को करेगा तथा इस प्रकार से संदत्त कर को विनिर्माता प्राप्त करेगा। विनिर्माता ऐसा माल क्रेता को नहीं देगा, जब तक कि क्रेता द्वारा ऐसे कर की धनराशि का भुगतान नहीं किया जाता है।

(2) उप धारा (1) के अधीन कर प्राप्त करने वाला विनिर्माता माल के सम्भरण तथा प्राप्त कर के सम्बन्ध में एक विवरणी कर निर्धारक प्राधिकारी को दाखिल करेगा तथा इस प्रकार प्राप्त कर ऐसी रीति तथा ऐसे समय के भीतर, जैसा कि विहित किया जाय, जमा करेगा।

(3) जहाँ कोई विनिर्माता इस धारा के अधीन कर को जमा करने में असफल रहता है तो वह उस पर देय ब्याज और अर्थदण्ड, यदि कोई हो, के साथ कर का भुगतान करने का दायी होगा, जो कि मालगुजारी के रूप में वसूला जायेगा।

(4) जहाँ कर निर्धारक प्राधिकारी का समाधान हो जाता है कि उप धारा (1) में सन्दर्भित कोई माल विनिर्माता के द्वारा उसे परिदान के बाद तथा स्थानीय क्षेत्र के भीतर उसके प्रवेश के पूर्व खो जाता है अथवा नष्ट हो जाता है तो वह यह निर्देश देगा कि ऐसे माल के सम्बन्ध में संदत्त कर उस व्यक्ति को वापस किया जायेगा, जिसने उप धारा (1) के अधीन कर का भुगतान किया था;

परन्तु यह कि ऐसी वापसी का कोई दावा माल के खो जाने अथवा नष्ट हो जाने की तारीख से 6 माह के समाप्त होने के बाद ग्रहण नहीं किया जायेगा।

(5) उत्तराखण्ड (उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 की धारा 35 के अधीन कर की धनराशि की कटौती के सम्बन्ध में अर्थदण्ड के अधिरोपण से सम्बन्धित उपबन्ध तथा उक्त अधिनियम की

धारा 34 की उप धारा (4) के अधीन ब्याज की देयता से सम्बन्धित उपबन्ध इस धारा के अधीन विनिर्माताओं द्वारा क्रेताओं से संग्रहित धनराशियों पर आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

उत्तराखण्ड (उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 के कुछ उपबन्धों का लागू होना

13. उत्तराखण्ड (उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 के निम्नलिखित उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों सहित इस अधिनियम के अधीन सभी ब्यौहारियों एवं सभी कार्यवाहियों पर लागू होंगे:–

(एक) धारा 3 (7) (ङ) (i) एवं (ii) नयी फर्मों तथा कारोबार बन्द करने वाली फर्मों का दायित्व;

(दो) धारा 8 सांपत्तिक सम्मुत्थान का दायित्व;

(तीन) धारा 9 फर्म इत्यादि के मामले में दायित्व;

(चार) धारा 10 अप्राप्तवय और असमर्थ व्यक्तियों के मामले में कर दायित्व;

(पाँच) धारा 11 कोर्ट ऑफ वाड्र्स, आदि के मामले में कर दायित्व;

(छः) धारा 16 स्वैच्छिक पंजीयन;

(सात) धारा 17 की उप धारा (11) कारबार में परिवर्तन सम्बन्धी भेजे जाने वाली सूचना;

(आठ) धारा 20 राजस्व के हित में प्रतिभूमि;

(नौ) धारा 25 की उप धारा (10) कर निर्धारण वर्ष के दौरान कर की दर में परिवर्तन के कारण कर का निर्धारण;

(दस) धारा 29 कर निर्धारण से छूट गये आवर्त का निर्धारण;

(ग्यारह) धारा 30 भूल का सुधार;

(बारह) धारा 31 कर निर्धारण के किसी आदेश को अपास्त करने की शक्ति;

(तेरह) धारा 33 आवर्त और कर आदि को पूर्णांकित करना;

(चौदह) धारा 34 कर का भुगतान और उसकी वसूली;

(पन्द्रह) धारा 34 की उप धारा (20) वसूली अथवा वापसी की छोटो–मोटी धनराशि की अवज्ञा;

(सोलह) धारा 36 वापसी;

(सत्रह) धारा 40 ब्यौहारी द्वारा कर के रूप में गलत वसूल की गई धनराशि का संवितरण;

(अठारह) धारा 42 लेखों को दिखाने की आज्ञा देने की शक्ति और प्रवेश और निरीक्षण करने की शक्ति;

(उन्नीस) धारा 43 माल को अभिग्रहण करने की शक्ति;

(बीस) धारा 46 पुलिस आदि से सहायता लेने की शक्ति;

(इक्कीस) धारा 47 जांच चौकियों और नाकों की स्थापना;

(बाईस) धारा 48 घोषण–पत्र द्वारा राज्य के बाहर से माल आयात करना;

(तेईस) धारा 49 रेल, नदी, वायु मार्ग या डाक द्वारा राज्य के भीतर माल का आयात;

(चौबीस) धारा 50 राज्य से होकर सड़क से माल का प्रेषण और माल के पारगमन के लिए प्राधिकार का जारी किया जाना;

(पच्चीस) धारा 51 प्रथम अपील;

(छब्बीस) धारा 52 कमिश्नर द्वारा पुनरीक्षण;

(सत्ताईस) धारा 53 अपील अधिकरण के समक्ष अपील;

(अट्ठाईस) धारा 55 उच्च न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण;

(उन्तीस) धारा 56 आदेश जिसके विरूद्ध अपील या पुनरीक्षण दाखिल नहीं किया जायेगा;

(तीस) धारा 57 विवादग्रस्त प्रश्नों का अवधारण;

(इक्तीस) धारा 58 अपराध एवं अर्थदण्ड;

(बत्तीस) धारा 59 लेखों का रख–रखाव;

(तैंतीस) धारा 64 अधिकारिता के प्रति आपत्ति;

(चौंतीस) धारा 66 साबित करने का भार;

(पैंतीस) धारा 67 अपील में अतिरिक्त साक्ष्य;

(छत्तीस) धारा 68 क्षतिपूर्ति (इन्डेमनिटि)

(सैंतीस) धारा 69 कतिपय कार्यवाहियों पर रोक;

(अड़तीस) धारा 70 कुछ ऐसी सूचना जो गोपनीय होगी;

(उन्तालिस) धारा 72 पूर्वगामी प्रभाव से अधिसूचनाएं जारी करने की शक्ति;

(चालीस) धारा 73 राजस्व को कपट वंचित करने के लिए किये गये अन्तरण का शून्य होना;

(इक्तालीस) धारा 74 कतिपय मामलों में फीस;

(बयालिस) धारा 75 किस्तें मंजूर करने का अधिकार;

(तैंतालिस) धारा 77 रुग्ण औद्योगिक इकाईयों के लिये सुविधा;

उत्तराखण्ड (उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 के उपबन्धों के अधीन क्रय अथवा विक्रय अथवा दोनों के आवर्त का कोई सन्दर्भ इस अधिनियम के अधीन अनुसूचित माल के मूल्य का सन्दर्भ समझा जायेगा।

इस अधिनियम के अधीन उद्ग्रहण के आगम का उपयोग

14. (1) इस अधिनियम के अधीन उद्ग्रहण का आगम फण्ड (निधि) में विनियोजित किया जायेगा और अनन्य रूप से उत्तराखण्ड राज्य में व्यापार, वाणिज्य तथा उद्योग के विकास अथवा उनको प्रशस्त करने के लिए उपयोग किया जायेगा, जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होगा–

(क) बाजार तथा औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ने के लिए सड़कों तथा पुलों का निर्माण, विकास तथा रख–रखाव;

(ख) वित्तीय, औद्योगिक और वाणिज्य इकाईयों को वित्त, सहायता, अनुदान तथा सहायिकी (सब्सिडी) का प्रबन्धन;

(ग) उद्योगों को बिजली तथा पानी की पूर्ति, बाजार और अन्य वाणिज्यक प्रक्षेत्रों के लिए अवसंरचना का सृजन;

(घ) व्यापार, वाणिज्य और उद्योग को सामान्य रूप से आगे बढ़ाने के लिए अन्य अवसंरचना का सृजन, विकास तथा रख रखाव;

(ङ) सम्बन्धित क्षेत्रों में प्रदूषण मुक्त पर्यावरण का सृजन, विकास तथा रख–रखाव के लिए वित्त सहायता, अनुदान और सहायिकी (सब्सिडी) का प्रबन्धन;

(च) व्यापार, वाणिज्य और उद्योग अथवा उससे सम्बन्धित सुविधाओं से जुड़ा कोई अन्य प्रयोजन जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करें;

(छ) खण्ड (क), (ग), (घ), (ङ) तथा (च) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों हेतु स्थानीय निकायों तथा सरकारी ऐजेन्सियों के लिए वित्त सहायता, अनुदान तथा सहायिकी का प्रबन्ध करना;

(2) इस अधिनियम के अधीन उद्ग्रहीत तथा संग्रहीत प्रवेश कर उत्तराखण्ड व्यापार विकास निधि में जमा किया जायेगा तथा अनन्य रूप से व्यापार, वाणिज्य तथा उद्योग को प्रशस्त करने के लिए उपयोग किया जायेगा। प्रवेश कर के रूप में प्राप्त धनराशि का उपयोग उप धारा (1) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अन्यथा नहीं किया जायेगा।

(3) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा समुचित लेखाशीर्ष के अन्तर्गत कर जमा करने और उद्ग्रहण का आगम उत्तराखण्ड राज्य में अनन्य रूप से व्यापार एवं वाणिज्य के विकास में उपयोग करने की रीति को विनिर्दिष्ट करेगी।

कठिनाइयों का निवारण करने की शक्ति

15. (1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने में कोई कठिनाई आती है तो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे उपबन्ध बना सकती है जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों तथा जो कठिनाईयों के निवारण के लिए आवश्यक अथवा समीचीन प्रतीत हों;

परन्तु यह कि इस प्रकार का कोई आदेश इस अधिनियम के अधिसूचित होने की तारीख से दो वर्ष की समाप्ति के बाद नहीं किया जायेगा।

(2) उप धारा (1) के किसी आदेश के अधीन बनाये गये उपबन्धों का वही प्रभाव होगा, मानो कि इस अधिनियम में अधिनियमित किये गये हों और ऐसा कोई आदेश उस तिथि जो कि इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से पूर्वतर न हो, की सीमा तक भूतलक्षी किया जा सकता है।

(3) उप धारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश इसके किये जाने के बाद शीघ्रातिशीघ्र विधान सभा के समक्ष रखा जायेगा और उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23क की उप धारा (1) के उपबन्ध लागू होंगे जैसे कि वे राज्य सरकार द्वारा किसी उत्तराखण्ड अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों के सम्बन्ध में लागू होते हैं।

नियम बनाने की शक्ति

16. राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

विधिमान्यकरण

17. (1) किसी न्यायालय, अधिकरण अथवा प्राधिकरण के किसी निर्णय, डिक्री अथवा आदेश के होते हुए भी, सभी की गयी कार्यवाहियां, किये गये कार्य, बनाये गये, नियम अथवा तात्पर्यित रूप से लिये गये, किये गये, बनाये गये, जारी किये गये तथा उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2000) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 के अधीन प्रवेश कर का उद्ग्रहण निर्धारण, संग्रहण, वसूली, प्राप्ति अथवा प्रोद्भूत देयता इस अधिनियम के अधीन विधिमान्य रूप से लिया गया, किया गया, बनाया गया, जारी किया गया, उद्ग्रहीत, निर्धारित, संग्रहीत, वसूल किया गया, प्राप्त अथवा प्रोद्भूत समझा जायेगा, माना कि यह अधिनियम सभी तात्वित समय में प्रवृत रहा हो .तथा प्रवेश कर की वापसी के लिए किसी न्यायालय अथवा अधिकरण अथवा किसी प्राधिकरण के समक्ष कोई वाद अथवा अन्य कार्यवाही नहीं चलायी जायेगी अथवा वाद अथवा अन्य कार्यवाही नहीं चलायी जायेगी अथवा जारी नहीं रखी जायेगी।

(2) एतद्द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि उप धारा (1) में कोई बात किसी व्यक्ति को अधिनियम के अधीन प्रवेश कर की देय धनराशि से अधिक संदत्त धनराशि की वापसी का दावा करने से रोकने के लिए नहीं समझी जायेगी, बशर्ते कर का भार किसी अन्य पर न डाला गया हो।

18. (1) उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2000) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007, एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपरोक्त अधिनियम के अधीन शक्ति का प्रयोग करते हुए किया गया कोई कार्य अथवा की गयी कोई कार्यवाही, इस अधिनियम के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए किया गया अथवा की गयी समझी जायेगी, मानो कि यह अधिनियम सभी तात्विक समय में प्रवृत्त रहा हो।

अनुसूची

1– केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 14 में यथा परिभाषित अपरिष्कृत तेल।

2– रुपये 10 लाख या उससे अधिक मूल्य की मशीनरी तथा मशीनरी के स्पेयर पार्ट्स।

3– प्राकृतिक गैस।

4– नॉन लेवी चीनी।

5– सिगरेट के रूप में तम्बाकू।

6– अखबारी कागज (न्यूजप्रिन्ट) को छोड़कर लेखन, छपाई अथवा पैकिंग के प्रयोजन हेतु कागज।

7– तम्बाकू युक्त पान मसाला (गुटखा)।

8– सीमेन्ट।

9– कोयला।

10– भारत क्षेत्र के बाहर से आयतित बल्लियों सहित किसी भी जाति के सभी किस्म तथा सभी पेड़ों की लकड़ी तथा इमारती लकड़ी तथा बाँस, चाहे उगता हुआ या चीरा गया।

11– हाई स्पीड डीजल, लो सल्फर हाई स्पीड डीजल, अल्ट्रा लो सल्फर हाई स्पीड डीजल, लाइट डीजल ऑयल, सुपीरियर केरोसीन ऑयल, फरनेस ऑयल, रेजिड्यूल ऑयल, लो सल्फर हैवी स्टॉक्स, हैवी पेट्रोलियम स्टॉक्स तथा उनके विभिन्न प्रकार किन्तु लोक वितरण प्रणाली के मिट्टी के तेल को छोड़कर।

12– क्लिंकर।

13– ट्रैक्टरों को छोड़कर सभी प्रकार की मोटर गाड़ियों,उसके चैसिस को सम्मिलित करते हुए।

14– केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 14 में यथा परिभाषित लोहा एवं इस्पात।

15– एल्यूमिनियम बर्तनों को छोड़कर एल्यूमिनियम तथा उसके उत्पाद।

16– सभी प्रकार के केबिल।

17– लैपटॉप, कम्प्यूटर सिस्टम तथा पैरीफेरल्स, एल0सी0डी0 सहित टेलीविजन।

18– साइकिल, साइकिल रिक्शा तथा पशुचालित गाड़ियों के टायर तथा ट्यूब को छोड़कर टायर तथा ट्यूब।

19– संगमरमर पत्थर (मारबल स्टोन्स) तथा उनके टायल।

20– रेफ्रिजिरेटर, एयर–कन्डिशनर तथा एयर–कन्डिशनिंग प्लान्ट।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–18 अनुसूची, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तराखण्ड माल के स्थानीय क्षेत्रों में प्रवेश पर कर विधेयक, 2008 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड माल के स्थानीय क्षेत्रों में प्रवेश पर कर विधेयक, 2008 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

सैनिक स्कूल घोड़ाखाल, जिला नैनीताल में उत्तराखण्ड का कोटा दुगुना किये जाने के सम्बन्ध में संकल्प

श्री चन्दन राम दास–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से संकल्प प्रस्तुत करता हूँ कि "यह सदन केन्द्र सरकार से संस्तुति करता है कि सैनिक स्कूल घोड़ाखाल, जिला नैनीताल में उत्तराखण्ड का कोटा दुगुना किया जाय ताकि युवाओं में सेना में अधिकारी बनने की रूचि बढ़ सके।"

श्री अध्यक्ष–

इस पर चर्चा जारी रहेगी।

नियम–53 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–53 के अन्तर्गत कुंवर प्रणव सिंह "चैम्पियन", श्री मौहम्मद शहजाद, श्री मनोज तिवारी, डा0 हरक सिंह रावत, श्री किशोर उपाध्याय, श्री पुष्पेश त्रिपाठी, श्री केदार सिंह रावत, श्री दिनेश अग्रवाल की कुल 07 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। इनमें से माननीय सदस्य श्री दिनेश अग्रवाल की सूचना जो सहस्त्रधारा रोड, देहरादून में विगत कई वर्षों से कूड़ा–कचरा डालने से इसके आस–पास के क्षेत्र लखौंड, डांडा, धौरन, ननूरखेड़ा, हिलब्यू अपार्टमेंट, दून ईस्ट पार्क, एकता विहार, मन्दाकिनी विहार, अमन विहार तथा गोविन्द नगर आदि में गन्दगी और बदबू से पीड़ित लोगों में उत्पन्न आक्रोश

के सम्बन्ध में है, को वक्तव्य के लिए तथा कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन" की सूचना, जो प्रदेश सरकार द्वारा समाज कल्याण विभाग में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को तृतीय श्रेणी के कनिष्ठ सहायक पदों पर पदोन्नति प्रदान कराये जाने के सम्बन्ध में है, मौहम्मद शहजाद की सूचना, जो योजनाओं की वित्तीय स्वीकृति दिलाये जाने व निलम्बन निरस्त किये जाने विषयक है, श्री मनोज तिवारी की सूचना, जो योग डिप्लोमाधारी आन्दोलन प्रशिक्षितों को शिक्षण संस्थाओं में नियुक्ति दिलाये जाने के सम्बन्ध में है, डा0 हरक सिंह रावत तथा श्री किशोर उपाध्याय की सूचना जो प्रदेश में पी0आर0डी0 के जवानों की विभिन्न मांगों के सम्बन्ध में है, श्री केदार सिंह रावत की सूचना, जो दिनांक 28–11–2008 को तहसील बड़कोट के नकोड़ा निवासी के मकान में आग लगने से हुए नुकसान के मुआवजे हेतु पीड़ित व्यक्ति को पर्याप्त सहायता दिलाये जाने के सम्बन्ध में है, मैं इन सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट कर रहा हूँ। शेष सूचना अस्वीकार हुईं।

अब हम उठते हैं कल पूर्वाह्न 11:00 बजे तक के लिए।

(इसके बाद सदन की कार्यवाही 04 बजकर 29 मिनट पर अगले दिन के 11:00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

देहरादून :

दिनांक: 19 दिसम्बर, 2008

महेश चन्द्र,

सचिव,

विधान सभा, उत्तराखण्ड।

नत्थी 'क'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 10 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या 31 पर)

एलडिको सिडकुल सितारगंज के कारखानों की सूची

1– रैकिल बैकसर इण्डिया लि0 सितारगंज, जिला ऊधमसिंह नगर।
2– पारले बिस्कुट इण्ड0 सितारगंज, जिला ऊधमसिंह नगर।
3– ब्रोस वेस्ट सिस्टम सितारगंज, जिला ऊधमसिंह नगर।
4– नरेन्द्रा प्लास्टिक सितारगंज, जिला ऊधमसिंह नगर।
5– गुजरात अम्बुजा सितारगंज, जिला ऊधमसिंह नगर।
6– पैकिंग इण्डिया लि0 सितारगंज, जिला ऊधमसिंह नगर।
7– महारानी पेन्टस सितारगंज, जिला ऊधमसिंह नगर।
8– ला पोला इण्डिया लि0 सितारगंज, जिला ऊधमसिंह नगर।
9– एडवांस पावर कन्ट्रोल प्रा0लि0 सितारगंज, जिला ऊधमसिंह नगर।
10– क्लियर प्लास्टिक लि0 सितारगंज, जिला ऊधमसिंह नगर।
11– तारा फीड लि0 सितारगंज, जिला ऊधमसिंह नगर।
12– के0एन0 जी आटो टैक लि0 सितारगंज, जिला ऊधमसिंह नगर।
13– परिशुद्ध मशीनस प्रा0लि0 सितारगंज, जिला ऊधमसिंह नगर।
14– एल्पला इण्डिया लि0 सितारगंज, जिला ऊधमसिंह नगर।
15– म्यूचल क्राफ्ट प्रा0लि0 सितारगंज, जिला ऊधमसिंह नगर।
16– मन्नू कनकास्ट प्रा0लि0 सितारगंज, जिला ऊधमसिंह नगर।
17– रवि पेकेजिंग इण्डस्ट्रीज सितारगंज, जिला ऊधमसिंह नगर।
18– सेटको आटोमोटिव लि0 सितारगंज, जिला ऊधमसिंह नगर।
19– सुमित पोलिमर्स इण्डिया लि0 सितारगंज, जिला ऊधमसिंह नगर।
20– के0एल0बी0 इलै0 प्रा0लि0 सितारगंज, जिला ऊधमसिंह नगर।
21– बिनिटी एडहैसिव प्रा0लि0 सितारगंज, जिला ऊधमसिंह नगर।
22– एस0 के0 ग्लैबनाइजिंग वर्क्स सितारगंज, जिला ऊधमसिंह नगर।
23– जैन ग्लास प्रा0लि0 सितारगंज, जिला ऊधमसिंह नगर।
24– त्रिवेदी इण्टर प्राइजेज सितारगंज, जिला ऊधमसिंह नगर।
25– ग्राफटी फास्टनर्स सितारगंज, जिला ऊधमसिंह नगर।
26– मौरासी फार्मा सितारगंज, जिला ऊधमसिंह नगर।
27– स्टार वेज इण्डस्ट्रीज सितारगंज, जिला ऊधमसिंह नगर।
28– अग्रवाल एक्सट्रक्शन प्रा0लि0 सितारगंज, जिला ऊधमसिंह नगर।
29– पी0एन0 डायकास्टिग प्रा0लि0 सितारगंज, जिला ऊधमसिंह नगर।
30– एम0 बी0 बर्मा फोजिंग इण्डस्ट्रीज सितारगंज, जिला ऊधमसिंह नगर।
31– अरावली इन्फा पावर लि0 सितारगंज, जिला ऊधमसिंह नगर।
32– कमल प्लास्टोमैट सितारगंज, जिला ऊधमसिंह नगर।
33– गाजियाबाद प्रो0प्रोजेक्ट सितारगंज, जिला ऊधमसिंह नगर।
34– जय स्विचेज इण्डिया प्रा0लि0 सितारगंज, जिला ऊधमसिंह नगर।
35– रियल टाइम सिस्टम लि0 सितारगंज, जिला ऊधमसिंह नगर।
36– सी0टी0एस0 इन्फाटेक प्रा0लि0 सितारगंज, जिला ऊधमसिंह नगर।

सिडकुल पन्तनगर में स्थापित प्रतिष्ठानों की सूची

1. मैसर्स डाबर इण्डिया लि0
2. " ब्रिटानिया इन्डस्ट्री लि0
3 " पारले बिस्कुट प्रा0लि0
4. " ऐडियेन्ट पॉलीमर्स प्रा0लि0
5. " भास्कर इनर्जी प्रा0लि0
6. " इन्टरेक्ट बिल्डिंग प्रॉडक्ट्स
7. " हिमालिया मशीनरी एण्ड प्लास्टिक प्रॉडक्ट्स
8. " किशमैन
9. " पॉलीमर्स, टैक्नोजिज प्रा0लि0
10. " इन्ट्रेक्ट
11. " शच्ची प्लास्टिक
12. " राघू प्रोडक्ट
13. " एक्मे टेलीपॉवर लि0
14. " ओबीटर्स टैक्सटाईल लि0
15. " वाईकॉन हैल्थ केयर
16. " जे0आर0 हरबल केयर
17. " औरचिड प्लाई इ0लि0
18. " बोल्ट मास्टर (ई0) प्रा0लि0
19. " एस. पी. पी. फूड प्रोडक्ट लि0
20. " ग्रीन प्लाई इन्डस्ट्रीज लि0
21. " टार्स पेरेन्ट्रीज प्रा0लि0
22. " एच.सी.एल. इनफार्सटनर्स लि0
23. " विजन प्रीकास्ट
24. " नैस्ले इ0 लि0
25. " कोरेस प्रिन्टर्स टेक प्रा0लि0
26. " इस्कर पेकेजिंग प्रा0लि0
27. " एरोविले लेट्स प्रा0लि0
28. " मंगल ट्यूब्स प्रा0लि0
29. " श्री कृष्णा बनस्पति
30. " होलिस्टिक इण्डिया लि0
31. " समृद्धि इन्ड्र0 लि0
32. " खुशबू इन्ड्र0
33. " रोशन इंडस्ट्रीज
34. " दि पेपर प्रोडक्ट लि0
35. " वोल्टाज लि0 (यूनिट–1)
36. " साईं इन्टरप्राईजेज
37. " बाम्बे बर्माह ट्रेडिंग कारपो0 लि0
38. " देवभूमि पॉलिमर्स लि0
39. " बजान प्लेमेटिक एण्ड हाईड्रोलिक्स
40. " स्टील बर्ड इन्टरमेशनल
41. " साईनाथ इडस्ट्रीज
42. " पूर्ति टैक्स टाईल
43. " डॅयूक्स प्रो0 प्रा0लि0
44. " वराही प्लास्टिक प्रा0लि0
45. " शिरडी इ0 लि0
46. " मुरलीवाला एग्रोटेक प्रा0लि0
47. " सिद्धनाथ ऑलीयर्स
48. " प्रीकॉल लि0
49. " इण्डिया ईक्स एण्ड कमैकल्स
50. " बजाज आटो लि0
51. " एस्कॉर्ट्स लि0 (रेलवे इजी0 डिवि0)
52. " गणेश पॉलीटैक्स लि0
53. " टैक्नीक्रियेटर्स कनेक्टिविटी
54. " जी0एस0 फारमा बटर (पी0) लि0
55. " वैरक इजी0 प्रा0लि0
56. " इनडोऐंस टैक्लो0 प्रा0लि0
57. " औरंगाबाद इलैक्ट्री0 लि0
58. " खन्डेलवाल लैब प्रा0लि0
59. " पी0एम0पी कम्पोनेन्ट्स
60. " मिन्डा कारपोरेशन लि0
61. " मिन्डा सन्स
62. " ई.एस.पी.आई.ई.एम. प्लैसटिक्स लि0
63. " मैनी सैफड सिस्टम
64. " औरंगाबाद ऑटो प्रा0लि0
65. " एस0जी0 मैसेनरीज

66. " टाईम टैक्नोप्लास्ट लि0 (1)
67. " थाई सुमित नील ऑटो प्रा0लि0
68. " नील मैटल प्रो0लि0
69. " मिन्डा इन्ड0 लि0
70. " मिन्डा फिमेम एकोस्टीक लि0
71. " लूमैक्स डी.के. ऑटो इड0 लि0
72. " बडैव इजीं0 प्रा0लि0
73. " हाई टैक्नो0 ट्रांस सिस्टम (इ0) प्रा0लि0
74. " एडविक हाईटैक प्रा0लि0
75. " सन्सेरा इजीं0 प्रा0लि0
76. " एल0जी0 बालाकृष्णन एण्ड ब्रोच लि0
77. " इडन मोटर्स प्रा0लि0
78. " एस0बी0आर ऑटो कम्पोनेन्ट्स प्रा0लि0
79. " सुप्रजीत इजी0 लि0
80. " परफेटी वान मैले ई0 प्रा0लि0
81. " प्रीमियर पिन इन्स्ट्री0
82. " एरा मैटलस बिल्डिंग सिस्ट0 लि0
83. " एस. बी. रिसेलर्स प्रा0लि0
84. " हैवलेट पैकर्ड ई0 सेल्स प्रा0लि0
85. " डफी कॉस्मेटिक प्रा0लि0
86. " हिमालिया मैनुफैक्चरिंग कारपोरेशन
87. " मोहित रबर फोम (आई0) प्रा0लि0
88. " मोईको क्यूवेल टैक्नो0 (पी) लि0
89. " बिस्लेरी इन्टरनैशनल प्रा0लि0
90. " दि इन्डिया थरमिट कॉर0 लि0
91. " अरपना इण्डस्ट्रीज
92. " विन्डलॉस प्रीसीजन प्रा0लि0
93. " सुमति इंजी0 का0 प्रा0लि0
94. " टूल ब्रॉज फारमूलेशन
95. " सर्द मैटल प्रा0लि0
96. " श्री बालाजी एग्रो0 फा0
97. " टाटा मोटर्स लि0
98. " बजाज मोटर्स लि0 (टी0एम0एल0वैन)
99. " रेने मैडर्स लि0 (टी0एम0एल0वैन)
100. " राने एमड्रीज लि0 (टी0एम0एल0वैन)
101. " टाटा फाईकोसा औटा मो0
102. " सुन्दरम फास्टनर्स लि0
103. " टाटा जॉनसन्स कन्ट्रोल औटा मोटा0 लि0
104. " आर0एस0बी0 ट्रांस0 (1) लि0
105. " अमूल औटा कम्पोनेन्ट्स प्रा0लि0
106. " औटामोटिव कम्पोजेक सिस्ट0 (इन्टरनैशनल)
107. " शिवानी लॉक्स प्रा0लि0
108. " डलफी टी0वी0एस0 डीजल सिस्ट0
109. मैसर्स लुकास टी0वी0एस0 लि0
110. " न्यू एलेनबरी वर्क्स
111. " निर्मिटी औटा कम्पनेन्ट प्रा0लि0
112. " फैडरल मोगल गटीज इण्ड0
113. " एन0आर0बी0 बीयरिंग लि0
114. " मयूर इण्ड0 लि0
115. " सोनासोमिक लैमफोरडर कम्पोनेन्ट लि0
116. " म्यूचल इण्डस्ट्री लि0
117. " आई0ए0एस0 प्रोडक्ट्स
118. " पंकज गैस सिलैण्डर लि0
119. " नॉरदन एरोमेटिक लि0
120. " हैल एण्ड हरटी फा0सि0 प्रा0लि0
121. " सोर्स औटोमेटिक पार्ट्स
122. " मीटर एण्ड मीटर प्रा0लि0
123. " सुसिमा लेबरेटरीज
124. " खुराना इंजी0 वर्क्स
125. " चिराग इन्टरप्राईज
126. " रिद्धि-सिद्धि ग्लूको ब्वॉइल्स लि0
127. " पोलर औटो एण्ड इंजी0 इड0 प्रा0लि0
128. " कैस्टीट इन्ड0
129. " राम प्रोडक्ट्स

130." ए0वी0 उद्योग
131." सुन्दर फारमेस्यूटीकल प्रा0लि0
132." यूनिवर्सल इण्ड0 सैफटी एण्ड ग्लास वर्क्स
133." सॉल एमपोर्टस
134." ओम इण्डस्ट्रीज
135." जीरॉक्स रेमेडीज
136." अमिता पॉलिमर्स प्रा0लि0
137." वी0एच0बी0 मैडीसिन्स लि0
138." टाईम टैक्नोप्लास्ट ले0 (11)
139." सी0जी0 फूड (इण्ड0) प्रा0लि0
140." टेराकॉम लि0
141." राघव पॉलीमर्स इण्डिया प्रा0लि0
142." सन इण्डिया फार्मेसी प्रा0लि0
143." एमपेथी फारमेस्यूटीकल
144." गीता इण्डस्ट्रीज प्रा0लि0
145." एकेसिया बॉयोटैक लि0
146." टी0ओ0एस0सी0 इन्टरनैश्नल प्रा0लि0
147." राजन्स प्रिटिंग प्रा0लि0
148." धूत ट्रांसमिशन्स प्रा0लि0
149." यूनिवर्सल कम्फर्ट प्रोडक्ट्स लि0
150." रिनैक इण्डिया लि0
151." एमके औटोमोबाईल इन्ड0 लि0
152." ब्रशमैन इण्डिया लि0
153." सिंग+प्रिटिंग एण्ड पैकेजिंग
154." बी0एस0टी0 टैक्सटाईल प्रा0लि0
155." शिवा इन्टरप्राईजेज
156." मैक्समेड लाईफ साईन्स प्रा0लि0
157." मैकमोल लेबरेटरीज प्रा0लि0
158." किरन उद्योग
159." प्लास्ट ओ फोम इण्डस्ट्रीज
160." अकितस इन0
161." स्पाईडर इण्डि0 लि0
162." अभिप्रिया बिजनैश (इण्डि0) प्रा0लि0
163." रिपलेश रेमेडी प्रा0लि0
164." डी0पी0 गर्ग एण्ड कम्पनी
165." गर्ग स्टील
166." सीमा डेरी एण्ड फूड लि0
167." एन0पी0 इण्डस्ट्रीज
168." नारायणी इण्डस्ट्रीज
169." एस0एम0 उद्योग
170." अम्बिका प्लास्ट
171." थाई फूडस एण्ड इनवेस्टमेन्टस प्रा0लि0
172." कन्ट्रांल एण्ड स्वीच गैयर हिमोनोसिया (पी) लि0
173." जयहिन्द औटोमेशन प्रा0लि0
174." जनरल मैडीकल इक्यूपमैन्ट्स लि0
175." औटा स्टैम्पिंग एण्ड एसम्बल्जि लि0
176." ग्राफिटी एक्सपोर्ट
177." क्योड एक्सपोर्ट
178." दीपक इण्डस्ट्रीज
179." जय ससपैन्सन सिस्ट0 लि0
180." परफेक्ट सेल्स कारपोरेशन
181." नूजीवीडू सीड्स लि0
182." ललित कपूर
183." पैसियों एयर कॉन प्रा0लि0
184." सिन्डीकेट ऑटो कम्पो0

सिडकुल हरिद्वार में स्थापित प्रतिष्ठानों की सूची

1. मैसर्स यूनिवर्सल इंजी0 वर्क्स
2. " मिन्डा सन्स
3 " छोलाईल प्रा0लि0
4. " गंगा माता प्रोडक्ट्स
5. " गिरधर इण्डस्ट्रीज
6. " के0के0जी0 इण्डस्ट्रीज
7. " आदि श्री इण्डस्ट्रीज
8. " सुप्रिया पॉलीपैक इण्डस्ट्रीज
9. " एक्यूटैक इंजी0 पैकर्स
10. " डी0एस0 इन्टरप्राईजेज
11. " क्रियेटिव फास्टनर्स
12. " गोल्डन ईस्ट इण्डिया (प्रा0) लि0
13. " आयुष्मान ग्रामोद्योग संस्थान
14. " आरोग्य फाउन्डेशन .
15. " सिनोकेन फार्मास्युटीकल लि0
16. " पैन्टा बायोटैक
17. " मैटिन हैल्थकेयर
18. " आर0के0 डिस्पोपेक
19. " पायाट्रोफिक इण्डिया लि0
20. " थेमिस मेडीकेयर लि0
21. " डिवाईन फॉरमुलेशन प्रा0लि0
22. " रिडोक्स फार्मा प्रा0लि0
23. " अग्रवाल ड्रग्स प्रा0लि0
24. " फैमेन्सीथ फोरमुलेर्स लि0
25. " नार्दन फाउण्डेशन इण्डिया प्रा0लि0
26. " मिन्डीया लि0
27. " नेचर इजेन्स
28. " मैगीकल फार्मा प्रा0लि0
29. " महेश्वरी फारमेस्युटीकल प्रा0लि0
30. " ट्वेंटी फस्ट सेन्चुरी प्रिटर्श लि0
31. " स्पीडी काफ्ट लि0
32. " मनमोहन पाईप प्रा0लि0
33. " हैवेल्स ई0लि0
34. " रेवती प्रिट ओ0 पैक
35. " वर्षा प्लासटिक इंड0
36. मैसर्स श्री गणेश प्रोसेसर
37. " हिन्दुस्तान कमफर्ट
38. " अरबन बायोटेक
39. " हमीलेशन हाउस वेयर प्रा0लि0
40. " अनहन्त इलैक्ट्रोप्लास्ट
41. " टाईगर स्टील इंजी0 (इण्डि) प्रा0लि0
42. " यूनिवर्सल पॉवर ट्रान्सफरमर प्रा0लि0
43. " एक्शल पैक लि0
44. " सी0आई0सी0ओ0 टैक्नो0 लि0
45. " एलूपन कम्पोजिट पैनल्स प्रा0लि0
46. " गनेका हैल्थ केयर
47. " एच0के0 पैकर्स एण्ड प्रिटर्स
48. " टेहन प्लास्टिक इन्ड.
49. " अरविन्द कैमिकल सिथेंनर्स प्रा0लि0
50. " डी0के0 बेरी एण्ड कं0
51. " विजन इन्टरनैश्नल
52. " टॉवर्स इलैक्ट्रीकल इन्ड0
53. " टेचाईका लेब्स एण्ड फार्मा प्रा0लि0
54. " रेडीसन लाईफसाईन्स
55. " स्कॉयर विजन इण्डिया प्रा0लि0
56. " एलूडेकर लेमिनेशन प्रा0लि0
57. " प्रेसेजेन्स एल0पी0वी0सी0 मोल्डर प्रा0लि0
58. " डुग्गर पॉवर प्रो0लि0
59. " सुपर टूल इन्ड0
60. " मॉर्डन इन्सट्रलेशन
61. " सैफगार्ड इन्डस्ट्री
62. " ए0वी0वी0 लि0

63. " श्रीबालाजी पैकेजिंगस
64. " प्रिन्ट ओ0 पैक
65. " स्वास्तिक एक्सट्रेशन
66. " लक्ष्मी ट्रान्स0 एण्ड इलै0
67. " यूनिवर्सल इन्डस्ट्री सर्विसेज
68. " महेश्वर इण्डस्ट्रीज
69. " एलकॉन इंजीनियरिंग
70. " विक्टर पॉलीनर्स
71. " लक्ष्मी शूज एण्ड एप्परल्स लि0
72. " फोन प्लास्टिक इन्टरनेश्नल प्रा0लि0
73. मैसर्स जे0एस0एच0 पैकेजिंग
74. " काने पैकेजिंग
75. " सॉयल केटेनीज एण्ड ग्लास लि0
76. " ए0पी0 प्रिन्ट एन पैक लि0
77. " ईस्टर्न हैल्थ केयर
78. " टेनेन्ट हेल्थ केयर
79. " अतुल ऑटा लि0
80. " जे0डी0आर0 कन्सट्र0 प्रा0लि0
81. " रैपिड मॉल्डर्स प्रा0लि0
82. " पाईनियर इन्टरनेश्नल
83. " एस0ओ0एस0 ऑयल सील प्रा0लि0
84. " हरीश इन्डस्ट्रीज
85. " सागर इन्टरप्राईजेज
86. " जय दुर्गा इन्डस्ट्रीज
87. " जैकॉन्ड ई0लि0
88. " समृद्धि ऑटा प्रा0लि0
89. " चामुन्डा पैकेजर्स
90. " एस0बी0एल0 इड0 प्रा0लि0
91. " नॉबल इन्डस्ट्रीज
92. " इन्डो लाईट इन्ड0 प्रा0लि0
93. " मधुरा एग्रो फूड्स प्रा0लि0
94. " दौलत राम इन्ड0
95. " हर्ब्स ला मैड
96. " के–2 क्लॉथ
97. " कन्ट्रोल एण्ड स्वीच गैयर क0लि0
98. " एस0एस0 ऐयरकॉन
99. " कुमार इन्ड0
100. " मॉडर्न ट्रान्स0
101. " एक्यूरेट ट्रान्स0
102. " एच0बी0एल0 पॉवर सिस्टम लि0
103. " ए0एल0एफ0 इंजी0 क0
104. " बी0एस0एल0 स्कैफिन्डिंग लि0
105. " एफनिक स्टील्स प्रा0लि0
106. " शिवालिक पैवर्स
107. " शारदा एक्सपोर्ट्स
108. " इन्डाऐसियन फ्यूज गैयर लि0
109. " क्वालिटि पॉलीथ्रेड प्रा0लि0
110. " मैलोकार्न इन्ड0 लि0
111. " वावर फारय मैनुफैक्चरिंग का0 प्रा0लि0
112. " फायर रौफ्टी डिवाईसेस प्रा0लि0
113. " हिपो मैकिंग इन्ड0
114. " जीवन पॉलीकर
115. " राजश्री अपटॉप फुटवेयर प्रा0लि0
116. " यू0के0 पॉली प्लास्ट प्रा0लि0
117. " केविटिव इन्ड0
118. " सुधारा सैनीटेशन प्रा0लि0
119. " आर0एस0जी0 पैकागंज प्रा0लि0
120. " शान्ता मोटर्स इन्ड0 लि0
121. " एडवान्स स्टील ट्यूब्स लि0
122. " पी0पी0आई0 ब्लोपैक प्रा0लि0
123. " मनीषा फार्मा प्लास्ट प्रा0लि0
124. " सहर्ष एसोसिएट्स
125. " राजा बिस्कुट इन्ड0 प्रा0लि0
126. " गुलशन लेमीपैक लि0
127. " लॉट्स ब्यूटी कैयर प्रो0 प्रा0लि0
128. " पाईन पैकेजिंग प्रा0लि0
129. " श्री जी पैकेजिंग एण्ड लॉजेस्टिक सर्विसेज

130. " श्री जी प्रोपैक प्रा0लि0
131. " हरबल कान्सेप्ट हैल्थ कैयरे
132. " ओरबिट केबिल (इ0)
133. " कैविन कैयर प्रा0लि0
134. " एवरीडे इन्डस्ट्री इ0 लि0
135. " कीरती बिल्डिंग सिस्टम (पी) यू0ए0 प्रा0लि0
136. " हिन्दुस्तान लीवर लि0
137. " एलकर्न ड्रग्स एण्ड फारमेस्यूटिकल्स लि0
138. " सेलो हाउस वेयर
139. " एंकर एलैक्ट्रीकल प्रा0लि0
140. " एंकर हैल्थ एण्ड ब्यूटी केयर प्रा0लि0
141. " घड़ी इन्डस्ट्रीज प्रा0लि0
142. " आई0टी0सी0 लि0
143. " नील महल प्रॉडक्स लि0
144. " वी0आई0पी0 इन्डस्ट्री लि0
145. " एरिस्ट्राकेरेट लगेज लि0
146. " एल्पस इन्डस्ट्रीज लि0
147. मैसर्स महेन्द्रा एण्ड महेन्द्रा लि0
148. " सारा सेल्स प्रा0लि0
149. " फोनिक्स लैम्प्स लि0
150. " स्वान टेलीकॉम
151. " औटोमेन इमैजीनेशन प्रा0लि0
152. " औटोमेन इमैजीनेशन प्रा0लि0
153. " ओम प्रोडक्ट्स
154. " शाकुम्बरा इन्टरनैशनल
155. " इन्डो हरबल प्रोडक्ट्स
156. " लक्ष्मी इन्डस्ट्रीज
157. " राजदीप ओवरसीज प्रा0लि0
158. " रिलेक्सो फुटवेयर
159. " तलसारी कं0 पॉलीनर्स प्रा0लि0
160. " बायोमेड हैल्थ केयर प्रोडक्ट प्रा0लि0
161. " मोडीकेशन औरगानाईज लि0
162. " मोडीकेशन बोयाटैक लि0
163. " जीवन्त लेबोरेटरी प्रा0लि0
164. " गेलियो ग्रेफिक्स
165. " स्टेडिक टैक्नोलोजी लि0
166. " आई0आई0क्यू0 लैम्प्स मैनुफैक्चरिंग क0
167. " सिने हेल्थ केयर
168. " उत्तरांचल मीटर्स प्रा0लि0
169. " कैप्टन इन्ड0
170. " विजया मेयरकेनल लि0
171. " डायनाविस्टा इन्ड0 प्रा0लि0
172. " उत्तरांचल इन्डस्ट्रीज
173. " प्रगति इलैक्ट्रानिक प्रा0लि0
174. " उत्तरांचल लिस्टिंग क0
175. " ठाकुर आयुर्वेदिक फा0 प्रा0लि0
176. " स्वास्तिक ट्यूब्स प्रा0लि0
177. " नरब्यान इंलै0 एण्ड इलैक्ट्रोनिक प्रा0लि0
178. " एक्सल इंजीनियरिंग
179. " हरटीज
180. " दया महर इलैक्ट्रोनिक्स
181. " टैम्पर प्रूफ क्लोजर्स
182. " अमन मैटल फर्नीसर्स
183. " आई0ए0जी0 औटोमेशन
184. मैसर्स पंकज पॉवर सोल्यूशन प्रा0लि0
185. " क्रान्ति औटोमोबाईल लि0
186. " गोरामल हरिराम लि0
187. " कन्ट्रोल एण्ड स्वीच गैयर गैरिज ई0लि0
188. " एसोसियेट इलैक्ट्रीकल प्रा0लि0
189. " इन्टीग्रेटेड सोल्यूशन
190. " सी0जी0 ओवरसीज इण्डिया
191. " प्राची लेदर
192. " दूलीप इंजीनियर्स

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 03 विधान सभा / 100–01–07–2010–200 प्रतियां (कम्प्यूटर / रीजियो)।